



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एन.-अ.-17022026-270216
CG-TN-E-17022026-270216

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98]
No. 98]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 10, 2026/माघ 21, 1947
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 10, 2026/MAGHA 21, 1947

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय

अधिसूचना

चेन्नई, 6 फरवरी, 2026

संख्या: IMU/HQ/ADM/Notification/2026/03 — भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (2008 का 22) की धारा 47(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अधिसूचना सामान्य जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है::

क्रम सं.	अध्यादेश/अधिसूचना	विवरण	कार्यकारी परिषद का संकल्प
1.	अध्यादेश 06 सन् 2020	<u>वित्त अधिकारी के पद हेतु भर्ती नियम</u>	कार्यकारी परिषद सं. EC 2025-86-15 दिनांक 25.09.2025 एवं EC 2025-87-01 दिनांक 21.11.2025
2.	अध्यादेश 01 सन् 2026	‘भा.स.वि.HR मैनुअल 2025’ गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए.	कार्यकारी परिषद सं. EC 2025-87-04 दिनांक 21.11.2025

संशोधित अध्यादेश 06, वर्ष 2020 [पैरा 7 एवं 10]

[कार्यकारी परिषद सं. EC 2025-86-15 दिनांक 25.09.2025 एवं EC 2025-87-01 दिनांक 21.11.2025]

वित्त अधिकारी के पद हेतु भर्ती नियम

7.	प्रत्यक्ष भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएँ	(क) शैक्षणिक अर्हताएँ अनिवार्य: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री अथवा जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहाँ समकक्ष ग्रेड। वांछनीय: चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA)/इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वॉर्स अकाउंटेंट्स (ICWA) सहित स्नातक डिग्री; अथवा न्यूनतम 55% अंकों के साथ वाणिज्य में स्नातकोत्तर (एम.कॉम.) डिग्री अथवा समकक्ष ग्रेड। [एवं] (ख) अनुभव अकादमिक लेवल 11 एवं उससे ऊपर में सहायक प्राध्यापक के रूप में कम से कम 15 वर्षों का अनुभव; अथवा अकादमिक लेवल 12 एवं उससे ऊपर में सहयोगी प्राध्यापक सहित कम से कम 8 वर्षों की सेवा, साथ ही वित्त/लेखांकन/बजटिंग में न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव। [अथवा] अनुसंधान प्रतिष्ठानों एवं/या उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों में समकक्ष अनुभव, साथ ही वित्त/लेखांकन/बजटिंग में न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव। [अथवा] कुल 15 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव, जिनमें से कम से कम 8 वर्ष उप-पंजीयक अथवा समकक्ष पद पर रहे हों, साथ ही वित्त/लेखांकन/बजटिंग में न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव।
10.	भर्ती की पद्धति	प्रत्यक्ष भर्ती / प्रतिनियुक्ति प्रतिनियुक्ति के लिए: नियुक्ति अधिमानतः भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा सेवा अथवा केंद्र/राज्य सरकार की अन्य समकक्ष संगठित सेवाओं से लेवल 12 से कम नहीं के अधिकारियों को आहरित कर की जाएगी। [अथवा] विश्वविद्यालय प्रणाली/अन्य संगठनों से, स्तंभ 7 के अंतर्गत निर्दिष्ट अर्हताओं की पूर्ति की शर्त पर, प्रतिनियुक्ति के आधार पर 5 वर्षों की अवधि के लिए अथवा मूल संवर्ग में अधिवार्षिकी आयु प्राप्त होने तक अथवा 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक—जो भी पहले हो।

टिप्पणी: विद्यमान अध्यादेश 06, वर्ष 2020 के [पैरा 7 एवं 10] का पाठ उपर्युक्तानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा।



भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भा.स.वि.- मानव संसाधन नियमावली (HR मैनुअल)





अनुक्रमणिका

विवरण	
अनुक्रमणिका	
अध्याय-I:	
भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2025 [वैधानिक पदों के अतिरिक्त गैर-शिक्षण पद]	
भाग-I: परिचय	
भाग-II: कैरियर उन्नति	
भाग – III: भर्ती एवं पदोन्नति नियम	
पद का कोड	पदों के लिए भर्ती नियम
NT/01	तकनीकी अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियम
NT/02	वरिष्ठ प्रशिक्षक के पद के लिए भर्ती नियम
NT/03	प्रशिक्षक के पद के लिए संयुक्त भर्ती नियम
	प्रशिक्षक के पद के लिए संयुक्त भर्ती नियमों का परिशिष्ट
NT/04	उप पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के लिए भर्ती नियम
NT/05	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के लिए भर्ती नियम
NT/06	वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के लिए भर्ती नियम
NT/07	पुस्तकालय सहायक के पद के लिए भर्ती नियम
NT/08	उप रजिस्ट्रार के पद के लिए भर्ती नियम
NT/09	सहायक रजिस्ट्रार के पद के लिए भर्ती नियम
NT/10	अनुभाग अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियम
NT/11	वरिष्ठ सहायक के पद के लिए भर्ती नियम
NT/12	सहायक के पद के लिए भर्ती नियम
NT/13	उप वित्त अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियम
NT/14	सहायक रजिस्ट्रार (वित्त) के पद के लिए भर्ती नियम
NT/15	अनुभाग अधिकारी (वित्त) के पद के लिए भर्ती नियम
NT/16	वरिष्ठ सहायक (वित्त) के पद के लिए भर्ती नियम
NT/17	सहायक (वित्त) पद के लिए भर्ती नियम
NT/18	वरिष्ठ निजी सचिव पद के लिए भर्ती नियम
NT/19	निजी सचिव पद के लिए भर्ती नियम
NT/20	व्यक्तिगत सहायक पद के लिए भर्ती नियम
पद कोड	पदों के लिए भर्ती नियम
NT/21	मुख्य छात्रावास वार्डन पद के लिए भर्ती नियम
NT/22	वरिष्ठ छात्रावास वार्डन पद के लिए भर्ती नियम
NT/23	छात्रावास वार्डन के पद के लिए भर्ती नियम
NT/24	अधीक्षक अभियंता (सिविल/विद्युत) के पद के लिए भर्ती नियम

NT/25	कार्यकारी अभियंता (सिविल) के पद के लिए भर्ती नियम
NT/26	सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल) के पद के लिए भर्ती नियम
NT/27	कार्यकारी अभियंता (विद्युत) के पद के लिए भर्ती नियम
NT/28	सहायक कार्यकारी अभियंता (विद्युत) के पद के लिए भर्ती नियम
NT/29	चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियम
NT/30	स्टाफ नर्स (ग्रेड III) के पद के लिए भर्ती नियम
NT/31	सिस्टम मैनेजर के पद के लिए भर्ती नियम
NT/32	सिस्टम इंजीनियर के पद के लिए भर्ती नियम
NT/33	वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर) के पद के लिए भर्ती नियम
NT/34	तकनीकी अधिकारी (हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर) के पद के लिए भर्ती नियम
NT/35	स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) (ओजी) के पद के लिए भर्ती नियम
NT/36	कानूनी अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियम
NT/37	संचार प्रबंधक का पद के लिए भर्ती नियम
निरस्त अध्यादेश - भाग-III 'भर्ती एवं पदोन्नति नियम' के लिए परिशिष्ट	
अध्याय-II: भर्ती मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)	
अध्याय-III: परामर्श नीति	

अध्याय - I

भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2025

[वैधानिक पदों के अतिरिक्त गैर-शिक्षण पद]

भाग-1

परिचय

आईएमयू-एचआर नियमावली निर्धारित करने वाला अध्यादेश
नियम

आईएमयू अधिनियम, 2008 की धारा 5(xv) और विधि 12(2)(iii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कार्यकारी परिषद एतद्वारा 'अध्यादेश आईएमयू - एचआर नियमावली [वैधानिक पदों के अतिरिक्त गैर-शिक्षण पदों के लिए भर्ती नियम और पदोन्नति मानदंड, भर्ती मानक संचालन प्रक्रिया और परामर्श नीति निर्धारित करना]' जारी करती है। यह अध्याय-I के अनुलग्नक में उल्लिखित सभी मौजूदा प्रासंगिक भर्ती नियमों और प्रासंगिक अध्यादेशों/विनियमों का स्थान लेता है।

1. परिचय

- आईएमयू एक शिक्षण-सह-संबद्ध विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना संसद के अधिनियम (2008 का संख्या 22) द्वारा 14 नवंबर 2008 को गुणवत्तापूर्ण समुद्री शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रदान करने के लिए की गई थी।
- भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के वैधानिक पदों के अलावा अन्य गैर-शिक्षण कर्मचारी, विश्वविद्यालय के अकादमिक और अनुसंधान उत्कृष्टता के उद्देश्यों को प्राप्त करने में अभिन्न भूमिका निभाते हैं। वे विभिन्न विभागों और परिसरों में अनेक भूमिकाएँ निभाते हैं, इसलिए उन्हें अपने ज्ञान और कौशल में सक्षम और अद्यतन होना आवश्यक है।
- विश्वविद्यालय की बढ़ती आवश्यकताओं और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के कैरियर विकास को पूरा करने के लिए स्वीकृत संख्या के भीतर पदों को पुनर्व्यवस्थित करके भर्ती और पदोन्नति नियमों की व्यापक समीक्षा करना।

2. उद्देश्य

- उपयुक्त पात्रता मानदंडों का निर्धारण करके और भर्ती की उचित विधि का पालन करते हुए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार की नियुक्ति करना, चाहे फिर यह सीधी भर्ती से, पदोन्नति से, प्रतिनियुक्ति/समायोजन द्वारा हो और भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत निर्धारित करना।
- विश्वविद्यालय की कार्यात्मक आवश्यकताओं और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की कैरियर प्रगति के बीच स्वस्थ संतुलन बनाए रखना।
- भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के अधिनियम और नियमों के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों/निर्देशों के अनुसार निष्पक्ष चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करना।
- गैर-शिक्षण कर्मचारियों को एक ऐसा कैरियर पथ प्रदान करना जो निरंतर उच्च प्रदर्शन को प्रोत्साहित करे और कर्मचारियों को अपने कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करे, जिससे वे अपने कैरियर लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें।

3. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ

- इस अध्यादेश को 'आईएमयू-मानव संसाधन नियमावली 2025' कहा जा सकता है।
- कार्यकारी परिषद द्वारा संकल्प संख्या EC-2025-87-04 दिनांक 21/11/2025 के माध्यम से निम्नलिखित अध्यायों सहित इस अध्यादेश 'आईएमयू- मानव संसाधन नियमावली 2025' को अनुमोदित किया गया था:

अध्याय सं	शीर्षक
I	भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2025 [वैधानिक पदों के अतिरिक्त गैर-शिक्षण पद]
II	भर्ती मानक संचालन प्रक्रिया
III	मार्गदर्शन नीति

c. यह अध्यादेश भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद द्वारा इसकी स्वीकृति की तिथि से लागू होगा।

4. परिभाषाएँ - इस अध्यादेश में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

- "विश्वविद्यालय" से तात्पर्य है भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 के अंतर्गत स्थापित भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय।
- "सरकार" से तात्पर्य है केंद्र सरकार/भारत सरकार।
- "अधिनियम" से तात्पर्य है भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008, जिसमें समय-समय पर संशोधन किए गए हैं।

- d. “विधान” से तात्पर्य है भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 के अंतर्गत निर्मित विधान।
- e. “अध्यादेश” का तात्पर्य आईएमयू अधिनियम, 2008 के अंतर्गत निर्मित अध्यादेश से है।
- f. “कार्यकारी परिषद” का तात्पर्य विश्वविद्यालय का कार्यकारी परिषद से है।
- g. “चयन समिति” का तात्पर्य चयन समिति के सदस्य से है, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति भी शामिल है, जैसा कि नियमों/अध्यादेशों में निर्दिष्ट है, जहां निर्दिष्ट नहीं है, इन भर्ती नियमों के अनुसार।
- h. “गैर-शिक्षण कर्मचारी” का तात्पर्य विश्वविद्यालय के उन कर्मचारियों से है जो विश्वविद्यालय के शिक्षकों और अन्य परिभाषित कर्मचारियों के अतिरिक्त हैं।
- i. “नियमित सेवा” का तात्पर्य संविदा/दैनिक वेतन/आउटसोर्स/अस्थायी/तदर्थ पदोन्नति के अलावा, कैडर में किसी कर्मचारी द्वारा नियमित आधार पर दी गई सेवा से है।
5. पदक्रम, स्वीकृत संख्या और उसकी समीक्षा

- a. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में पदों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा:

#	पदों का विवरण	पदों का वर्गीकरण
1.	सातवें सीपीसी के अनुसार वेतनमान मैट्रिक्स में स्तर 10 और उससे ऊपर के वेतन वाला एक आईएमयू स्थायी पद।	समूह A
2.	सातवें सीपीसी के अनुसार वेतनमान मैट्रिक्स में स्तर 6 से 9 तक के वेतन वाला एक आईएमयू स्थायी पद।	समूह B
3.	सातवें सीपीसी के अनुसार वेतनमान मैट्रिक्स में स्तर 1 से 5 तक के वेतन वाला एक आईएमयू स्थायी पद।	समूह C

- b. गैर-शिक्षण कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या निम्नानुसार होगी:

क्रमांक	पद का कोड	पद का नाम	वेतन स्तर सातवां सीपीसी	समूह	पदों की संख्या
		वैधानिक अधिकारी			
1.	SO/01	कुलपति		A	1
2.	SO/02	प्रो-कुलपति		A	1
3.	SO/03	पंजीयक	स्तर 14	A	1
4.	SO/04	परीक्षा नियंत्रक	स्तर 14	A	1
5.	SO/05	पुस्तकालय अध्यक्ष	स्तर 14	A	1
6.	SO/06	वित्त अधिकारी	स्तर 14	A	1
7.	SO/07	परिसर निदेशक	स्तर 14	A	6
			उपकुल		12
वैधानिक पदों के अतिरिक्त गैर-शिक्षण पद					
		शैक्षणिक सहायता स्टाफ			
क्रमांक	पद का कोड	पद का नाम	वेतन स्तर सातवां सीपीसी	समूह	पदों की संख्या
1.	NT/01	तकनीकी अधिकारी	स्तर 9	B	6
2.	NT/02	वरिष्ठ प्रशिक्षक	स्तर 8	B	12
3.	NT/03	प्रशिक्षक	स्तर 6	B	44

			उप योग		62
		पुस्तकालय विभाग			
4.	NT/04	उप पुस्तकालयाध्यक्ष	शैक्षणिक वेतन स्तर 12	A	2
5.	NT/05	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	शैक्षणिक वेतन स्तर 10	A	5
6.	NT/06	वरिष्ठ पुस्तकालय सहायक	स्तर 8	B	5
7.	NT/07	पुस्तकालय सहायक	स्तर 6	B	8
			उप योग		20
		प्रशासनिक विभाग			
8.	NT/08	उप रजिस्ट्रार	स्तर 12	A	11
9.	NT/09	सहायक रजिस्ट्रार	स्तर 10	A	10
10.	NT/10	अनुभाग अधिकारी	स्तर 7	B	13
11.	NT/11	वरिष्ठ सहायक	स्तर 6	B	25
12.	NT/12	सहायक	स्तर 4	C	33
			उप योग		92
		वित्त विभाग			
13.	NT/13	उप वित्त अधिकारी	स्तर 12	A	4
14.	NT/14	सहायक रजिस्ट्रार (वित्त)	स्तर 10	A	7
15.	NT/15	अनुभाग अधिकारी (वित्त)	स्तर 7	B	8
16.	NT/16	वरिष्ठ सहायक (वित्त)	स्तर 6	B	23
17.	NT/17	सहायक (वित्त)	स्तर 4	C	33
			उप योग		75
		सचिव विभाग			
18.	NT/18	वरिष्ठ निजी सचिव	स्तर 10	A	1
19.	NT/19	निजी सचिव	स्तर 8	B	5
20.	NT/20	निजी सहायक	स्तर 6	B	6
			उप योग		12
क्रमांक	पद का कोड	पद का नाम	वेतन स्तर सातवां सीपीसी	समूह	पदों की संख्या
		वार्डन विभाग			
21.	NT/21	मुख्य छात्रावास वार्डन	स्तर 7	B	3
22.	NT/22	वरिष्ठ छात्रावास वार्डन	स्तर 6	B	6
23.	NT/23	छात्रावास वार्डन	स्तर 5	C	8

			उप योग		17
--	--	--	--------	--	----

क्रमांक	पद का कोड	पद का नाम	वेतन स्तर सातवां सीपीसी	समूह	पदों की संख्या
		इंजीनियरिंग विभाग			
24.	NT/24	अधीक्षक अभियंता (सिविल/विद्युत)	स्तर 12	A	1
25.	NT/25	कार्यकारी अभियंता (सिविल)	स्तर 11	A	1
26.	NT/26	सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल)	स्तर 10	A	5
27.	NT/27	कार्यकारी अभियंता (विद्युत)	स्तर 11	A	1
28.	NT/28	सहायक कार्यकारी अभियंता (विद्युत)	स्तर 10	A	5
			उप योग		13
		पृथक और अन्य पद			
29.	NT/29	चिकित्सा अधिकारी	स्तर 10	A	3
30.	NT/30	स्टाफ नर्स (श्रेणी-III)	स्तर 7	B	6
31.	NT/31	सिस्टम प्रबंधक	स्तर 12	A	1
32.	NT/32	सिस्टम इंजीनियर	स्तर 10	A	2
33.	NT/33	वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर)	स्तर 8	B	3
34.	NT/34	तकनीकी अधिकारी (हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर)	स्तर 6	B	5
35.	NT/35	स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी)	स्तर 3	C	3
36.	NT/36	कानूनी अधिकारी	स्तर 8	B	1
37.	NT/37	संचार प्रबंधक	स्तर 12	A	1

- c. कार्यकारी परिषद को आईएमयू अधिनियम, 2008 की धारा 5(xv) और संविधि 12(2)(iii) के अधीन पदों का सृजन, उन्मूलन या स्थानांतरण करने का अधिकार होगा।
6. नियुक्ति प्राधिकारी – संविधि 12(2)(iii) के अधीन सभी पदों के लिए कार्यकारी परिषद नियुक्ति प्राधिकारी होगा।
7. प्रारंभिक गठन खंड-
- मौजूदा नियमों के अनुसार, यानी इन नियमों के लागू होने से पहले, नियमित आधार पर पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त माना जाएगा।
 - उप-नियम (a) के अंतर्गत उल्लिखित कर्मियों की प्रारंभिक गठन से पूर्व की नियमित सतत सेवा को आईएमयू की सेवा में परिवीक्षा अवधि, पुष्टिकरण हेतु अर्हक सेवा, पदोन्नति और गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा।

c) ये भर्ती नियम इन नियमों के लागू होने से पहले नियुक्त किए गए पदधारियों को प्रभावित नहीं करेंगे या उनके लिए हानिकारक नहीं होंगे।

8. भर्ती का तरीका - विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों के लिए भर्ती के निम्नलिखित तरीके होंगे:

- सीधी भर्ती
- पदोन्नति
- प्रतिनियुक्ति
- अल्पकालिक अनुबंध आईएमयू के अध्यादेश द्वारा परिभाषित होगा
- अवशोषण

9. आयु सीमा

a. सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा:

#	7वें सीपीसी के अनुसार वेतन स्तर	आयु सीमा
1.	1 से 5	35 वर्ष
2.	6 से 11	40 वर्ष
3.	12	50 वर्ष

b. प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए आयु सीमा:

आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जैसा कि विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या AB-14017/11/2017-Estt. (RR) दिनांक 05 फरवरी, 2018 में उल्लिखित है।

c. आयु सीमा में छूट निम्न प्रकार से दी जाएगी:

क्रमांक	आयु में छूट के पात्र व्यक्तियों की श्रेणी	आयु में छूट के पात्र पदों की श्रेणियां	आयु में छूट की सीमा
1.	अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति	सभी पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे	5 वर्ष
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग- एनसीएल	सभी पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे	3 वर्ष
3.	दिव्यांग – सामान्य	(i) समूह A और समूह B पदों पर भर्ती के मामले में। (ii) समूह C पदों पर सीधी भर्ती के मामले में।	10 वर्ष
	दिव्यांग – अन्य पिछड़ा वर्ग-संस्था		13 वर्ष

4.	दिव्यांग – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति		15 वर्ष
5.	पूर्व सैनिक	समूह A पदों पर पूर्व सैनिकों से खुली प्रतियोगिता के माध्यम से भर्ती के मामले में, जिनके पास कम से कम पांच वर्ष की सेना/नौसेना/वायु सेना सेवा हो।	5 वर्ष
		अन्य सभी समूहों और तरीकों में।	सैन्य सेवा की अवधि + 3 वर्ष
6.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	आईएमयू के आंतरिक उम्मीदवार [स्थायी कर्मचारी] द्वारा समूह A, B और C पदों के लिए सीधी भर्ती हेतु आवेदन करने हेतु ऊपरी आयु सीमा: आवेदन की अंतिम तिथि तक 59 वर्ष।	
7.	संविदागत कर्मचारी	आईएमयू के कानून 3(7) के अनुसार संविदा नियमों और शर्तों पर कार्यरत गैर-शिक्षण कर्मचारियों को (21/11/2025 को आयोजित ईसी की 87वीं बैठक में संविदागत कर्मचारियों की सूची प्रस्तुत की गई। [ईसी 2025-87-03]) आईएमयू के ग्रुप C पदों के लिए सीधी भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि तक अधिकतम 55 वर्ष की आयु तक आयु में छूट दी जाती है।	

10. आरक्षण मानदंड

- विश्वविद्यालय केंद्र सरकार द्वारा लागू और समय-समय पर संशोधित आरक्षण मानदंडों का पालन करेगा।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को केंद्र सरकार द्वारा लागू और समय-समय पर संशोधित मानदंडों के अनुसार आरक्षित पदों के लिए आवश्यक योग्यता में 5% की छूट दी जाएगी।

11. विज्ञापन जारी करना

- रिक्त पदों के लिए विज्ञापन प्रमुख समाचार पत्रों, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में प्रकाशित किया जाएगा और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जाएगा।
- उम्मीदवारों को ऑनलाइन/ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने के लिए न्यूनतम 21-45 दिनों की समयावधि दी जाएगी। हालांकि, कुलपति न्यूनतम अवधि निर्धारित करने के लिए अधिकृत हैं।
- पात्रता शर्तों के निर्धारण की महत्वपूर्ण तिथि उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।

12. आवेदन पत्रों का स्क्रीनिंग और चयन प्रक्रिया

- आवेदन पत्रों की जांच कुलपति द्वारा नियुक्त एक समिति द्वारा की जाएगी। उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग संबंधित पद के लिए भर्ती नियमों और अध्यादेश 09, 2017 के अनुसार की जाएगी।
- पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति: प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर, कुलपति लिखित परीक्षा/अन्य माध्यमों से परीक्षा आयोजित करने या सीधे साक्षात्कार के लिए बुलाने का निर्णय लेने के लिए अधिकृत हैं।
- किसी विशेष पद के लिए उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।

13. चयन समिति/डीपीसी की संरचना:

13.1 सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/समायोजन/अल्पकालिक अनुबंध के लिए चयन समितियों द्वारा पालन किए जाने वाले नियम और प्रक्रिया:

- चयन समितियों की संरचना इस प्रकार होगी:

#	चयन समिति की संरचना - समूह A	पदनाम
---	------------------------------	-------

1.	कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो-कुलपति	सदस्य
3.	रजिस्ट्रार	सदस्य
4.	कार्यकारी परिषद का एक सदस्य	सदस्य
5.	कार्यकारी परिषद का एक नामित सदस्य	सदस्य
6.	कुलपति द्वारा नामित एक विषय/डोमेन विशेषज्ञ	सदस्य

#	चयन समिति की संरचना - समूह B	पदनाम
1.	रजिस्ट्रार	अध्यक्ष
2.	कुलपति द्वारा नामित एक परिसर निदेशक	सदस्य
3.	कुलपति द्वारा नामित दो व्यक्ति	सदस्य

#	चयन समिति की संरचना - समूह C	पदनाम
1.	रजिस्ट्रार	अध्यक्ष
2.	कुलपति द्वारा नामित दो व्यक्ति	सदस्य

ध्यान दें: चयन समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक (दिव्यांग/ट्रांसजेंडर) से संबंधित एक सदस्य होना अनिवार्य है।

इसके अतिरिक्त, चयन समिति के सदस्यों में से, चाहे वे सामान्य वर्ग से हों, अल्पसंख्यक समुदाय से हों या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-अनिवार्य श्रेणी से हों, एक महिला सदस्य अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं है, तो समूह C और D पदों में 10 या अधिक रिक्तियों पर भर्ती के लिए समिति में एक महिला सदस्य को सह-विकल्पित किया जाएगा। [कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 42011/2/2014-Estt(Res) दिनांक 13.02.2014 और डीएचई परिपत्र संख्या 39016/1/2012 ई-II दिनांक 26 फरवरी, 2014 देखें]।

प्रतिनियुक्ति: प्रतिनियुक्ति के मामले में, आईएमयू के कुलपति पदों के लिए आवेदन प्राप्त होने के आधार पर चयन विधि (लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार) का निर्णय करेंगे।

b. 'N' सदस्यों वाली चयन समिति के लिए, बैठक हेतु कोरम इस प्रकार होगा:

समूह-A के लिए N-2, अध्यादेश 09, 2017 (राजपत्र 183 दिनांक 19.07.2018) [EC 2017-39-04 दिनांक 14-06-2017] "चयन समिति द्वारा अनुशंसाएँ करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करने वाला अध्यादेश" के अनुसार।

समूह-B और C के लिए N

c. सीधी भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया में विभिन्न घटकों का भार निम्नानुसार होगा:

श्रेणी	अंकभार
समूह A [स्तर – 10 और उससे ऊपर]	लिखित परीक्षा: 75% साक्षात्कार: 25%
समूह B	लिखित परीक्षा: 100%

[स्तर – 8 और 9]	
समूह B [स्तर – 6 और 7]	लिखित परीक्षा: 100%
समूह C [स्तर – 5 और उससे नीचे]	लिखित परीक्षा: 75% कौशल परीक्षा: 25%
चालक	लिखित परीक्षा: 60% कौशल/व्यापार परीक्षा: 40%

- d. साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या/पदों की संख्या का अनुपात भर्ती मानक प्रक्रिया संहिता, अध्याय 2 के अनुसार होगा। यद्यपि, कुलपति साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या निर्धारित करने के लिए अधिकृत हैं।
- e. चयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त अनुमोदन हेतु कार्यकारी परिषद के समक्ष रखा जाएगा।
- f. चयन समिति प्रत्येक विज्ञापित पद के लिए (श्रेणीवार) योग्यता क्रम में ऊर्ध्वाधर आरक्षण हेतु 1:3 के अनुपात में प्रतीक्षा सूची की अनुशंसा कर सकती है, जो कार्यकारी परिषद के कार्यवृत्त जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगी। यदि मुख्य सूची में से कोई व्यक्ति प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि के दौरान कार्यभार ग्रहण करने से इनकार करता है/कार्यभार ग्रहण कर लेता है और इस्तीफा दे देता है, तो प्रतीक्षा सूची में अगले व्यक्ति को नियुक्ति आदेश जारी किया जा सकता है।
- क्षैतिज आरक्षण के लिए कोई आरक्षित पैनल/प्रतीक्षा सूची नहीं रखी जाएगी। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी उम्मीदवार के शामिल न होने के कारण क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत कोई रिक्त स्थान उत्पन्न होता है, तो संबंधित आरक्षित पैनल के ऊर्ध्वाधर आरक्षण से प्रतीक्षा सूची संचालित की जाएगी।
- g. चयन समिति योग्य उम्मीदवारों के लिए 3 तक की अग्रिम वेतन वृद्धि की सिफारिश भी कर सकती है।

13.2 पदोन्नति/परिवीक्षा की पुष्टि के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना:

#	डीपीसी की संरचना - समूह A	पदनाम
1.	कुलपति	अध्यक्ष
2.	कार्यकारी कुलपति	सदस्य
3.	रजिस्ट्रार	सदस्य
4.	कार्यकारी परिषद का एक सदस्य	सदस्य
5.	कुलपति द्वारा नामित एक सदस्य	सदस्य

#	डीपीसी की संरचना - समूह B	पदनाम
1.	रजिस्ट्रार	अध्यक्ष
2.	कुलपति के नामित एक परिसर निदेशक	सदस्य
3.	कुलपति के नामित दो व्यक्ति	सदस्य

#	डीपीसी की संरचना - समूह C	पदनाम
1.	रजिस्ट्रार	अध्यक्ष
2.	कुलपति के नामित दो व्यक्ति	सदस्य

ध्यान दें:

1. * डीपीसी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक समुदाय से एक सदस्य होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, डीपीसी के सदस्यों में से एक, चाहे वे सामान्य वर्ग से हों, अल्पसंख्यक समुदाय से हों या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-अनिवार्य समुदाय से हों, एक महिला सदस्य होनी चाहिए। यदि महिला सदस्य नहीं है, तो समूह C और D पदों में 10 या अधिक रिक्ति पदों पर भर्ती के लिए समिति में एक महिला सदस्य को सह-विकल्पित किया जाना चाहिए। [देखें : कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ओएम संख्या 42011/2/2014-Estt(Res) दिनांक 13.02.2014 और डीएचई परिपत्र संख्या 39016/1/2012 E-II दिनांक 26 फरवरी, 2014]।
2. डीपीसी में शामिल सदस्य ऐसे अधिकारी होने चाहिए जो उन पदों से कम से कम एक पद ऊपर हों जिन पर पदोन्नति/पुष्टि की जानी है।
3. डीपीसी की कार्यवाही की वैधता डीओपीटी के दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।
4. समूह A पदों के लिए परिवीक्षा की पुष्टि हेतु, अध्यक्ष कुलपति या उनके द्वारा नामित व्यक्ति होंगे, साथ ही रजिस्ट्रार और कुलपति द्वारा नामित एक व्यक्ति सदस्य होंगे।

14. वरिष्ठता –

संबंधित कैडर में प्रत्येक उम्मीदवार की वरिष्ठता का निर्धारण चयन समिति द्वारा अनुशंसित योग्यता सूची में उसकी स्थिति के आधार पर और आईएमयू के प्रासंगिक नियमों के अनुसार किया जाएगा।

15. परिवीक्षा एवं पुष्टि: डीओपीटी ज्ञापन संख्या 28020/1/2010 – Estt. (C) दिनांक 21.07.2014 में निर्धारित मानदंडों को समय-समय पर संशोधित रूप में अपनाया जाएगा। उक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, विभिन्न पदों के लिए परिवीक्षा अवधि निम्नानुसार होगी:

क्रमांक	पद	विधि	परिवीक्षा अवधि
1.	समूह A पद – स्तर 12 और उससे ऊपर	सीधी भर्ती	1 वर्ष
2.	अन्य सभी पद के लिए	सीधी भर्ती	2 वर्ष
3.	एक ही समूह के भीतर पदोन्नति	पदोन्नति	कोई परिवीक्षा अवधि नहीं
4.	एक समूह से दूसरे समूह में पदोन्नति, उदाहरण के लिए, समूह B से समूह A।	पदोन्नति	2 वर्ष या पद पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अवधि, यदि कोई हो।

जिन मामलों में समान अर्हता सेवा अवधि वाले पद के लिए पदोन्नति और गैर-कार्यात्मक उन्नयन लागू होते हैं, वहां पदोन्नति गैर-कार्यात्मक उन्नयन से पहले होता है।

16. पदोन्नति/वित्तीय उन्नयन के लिए एपीएआर ग्रेडिंग:

16.1 पदोन्नति के लिए एपीएआर ग्रेडिंग:

- इन नियमों के तहत पदोन्नति के लिए पांच में से कम से कम तीन एपीएआर ग्रेडिंग 'बहुत अच्छी' होनी चाहिए।
- समूह A (सातवें सीपीसी के स्तर 10 और उससे ऊपर) में और उसके भीतर पदोन्नति के लिए डीपीसी की सिफारिश के लिए कार्यकारी परिषद की स्वीकृति आवश्यक होगी।
- समूह B और C (सातवें सीपीसी के वेतन स्तर 9 तक) की पदोन्नति के लिए डीपीसी की सिफारिशों के प्रस्तावों को कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

16.2 वित्तीय उन्नयन के लिए एपीएआर ग्रेडिंग:

- इन नियमों के तहत वित्तीय उन्नयन के लिए पांच में से कम से कम तीन एपीएआर ग्रेडिंग 'बहुत अच्छी' होनी चाहिए।
- समूह A, B और C के लिए वित्तीय उन्नयन को अनुमोदित करने के लिए कुलपति सक्षम प्राधिकारी होंगे।

17. सेवानिवृत्ति की आयु:

वैधानिक पदों को छोड़कर सभी गैर-शिक्षण पदों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष होगी।

18. भारत के किसी भी भाग में सेवा करने की बाध्यता और सेवा की अन्य शर्तें: कर्मचारी भारत या विदेश में कहीं भी सेवा करने के लिए बाध्य होंगे।

19. अयोग्यताएँ – कोई भी व्यक्ति

- जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह अनुबंध किया हो जिसका जीवनसाथी जीवित हो, या
- जिसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह अनुबंध किया हो जिसका जीवनसाथी जीवित हो।
- जिसे किसी भी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो या जिसके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित हो।
- जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, जिसका आचरण संदिग्ध हो या जो चिकित्सकीय रूप से कर्तव्यों का पालन करने के लिए अयोग्य हो।
- जो भारत का नागरिक नहीं है।
- भारत सरकार/राज्य सरकार/आईएमयू द्वारा समय-समय पर नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित की गई कोई अन्य श्रेणी का व्यक्ति।

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

यद्यपि, नियम 19 (a) और (b) के अनुसार, यदि विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद संतुष्ट है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति को इन नियमों के संचालन से छूट दे सकती है।

20. **बचत:** इन नियमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, मानक विकलांग व्यक्ति, पूर्व सैनिक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, महिला उम्मीदवारों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

जब तक भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय अधिनियम, कानूनों, अध्यादेशों, भारत सरकार के प्रासंगिक मानदंडों जैसे मौलिक नियम और पूरक नियम और अन्य प्रासंगिक मानदंडों, जिनमें उनके संशोधन भी शामिल हैं, या केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी आदेश या प्रशासनिक निर्देश में कोई विरोधाभास न हो, तब तक भर्ती और पदोन्नति से संबंधित ये नियम मान्य रहेंगे।

21. निर्देश:

- भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार आरक्षण लागू होगा।
- पात्रता शर्तों के निर्धारण की महत्वपूर्ण तिथि आवेदकों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।
- यदि प्रतिनियुक्ति चयन का एक तरीका है, तो प्रायोजक विभाग/एजेंसी की प्रासंगिक आयु सीमा लागू होगी, जो अधिकतम 60 वर्ष तक होगी।
- उम्मीदवार के पास भारत में केंद्रीय या राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित अन्य शैक्षणिक संस्थानों से स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए, या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा-3 के तहत विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए, या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए, जहां इन नियमों के तहत स्नातक/स्नातकोत्तर योग्यता को न्यूनतम योग्यता के रूप में निर्धारित किया गया है।
- न्यूनतम योग्यता के रूप में निर्धारित तकनीकी योग्यताएं संबंधित भर्ती नियमों में उल्लिखित मान्यता प्राप्त संस्थानों से होनी चाहिए।
- योग्यता और अनुभव की प्रासंगिकता के संबंध में आईएमयू का निर्णय अंतिम होगा।
- निजी फर्मों के उम्मीदवारों का वेतन उनके सीटीसी और भारत सरकार के आयकर विभाग के फॉर्म 16 के समतुल्य होगा।

22. कठिनाइयों का निवारण:

यदि इन नियमों के किसी भी प्रावधान के कार्यान्वयन या संचालन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो कुलपति समय-समय पर ऐसे सामान्य या विशिष्ट निर्देश जारी कर सकते हैं, जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों। यद्यपि, ये निर्देश आईएमयू के अधिनियम, विधियों और अध्यादेशों के विपरीत नहीं होंगे।

23. व्याख्या:

नियमों के किसी भी खंड के संबंध में किसी भी अस्पष्टता या अनिश्चितता की स्थिति में, आईएमयू की कार्यकारी परिषद का निर्णय अंतिम होगा।

24. नियमों में संशोधन:

इन नियमों के किसी भी या सभी प्रावधानों में संशोधन, परिवर्तन, रद्द करना, निलंबन और छूट केवल कार्यकारी परिषद की स्वीकृति से ही की जाएगी।

25. कैडर/पदों का भविष्य में रखरखाव:

इन नियमों की अधिसूचना के बाद, उपरोक्त नियम 8 में उल्लिखित भर्ती विधियों के माध्यम से की गई सभी नियुक्तियाँ केवल इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार ही की जाएंगी। कार्यकारी परिषद आवश्यक भर्ती नियमों के साथ कोई अन्य पद और/या कैडर जोड़ सकती है या स्वीकृत संख्या में परिवर्तन कर सकती है।

26. आवेदन का दायरा:

गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवा शर्तों और स्वीकार्य वेतन आदि के संबंध में भारत सरकार के निर्देश, समय-समय पर कार्यपालिका परिषद की विधिवत स्वीकृति के साथ, यथावश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

27. अवशिष्ट मामले:

इन नियमों में निर्दिष्ट या संदर्भित न किए गए मामलों के संबंध में, भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए समय-समय पर संशोधित किए गए संबंधित प्रावधानों का पालन किया जाएगा। यदि इन नियमों का कोई विशेष प्रावधान आईएमयू के अधिनियमों, विधियों और अध्यादेशों के किसी प्रावधान से विरोधाभास रखता है, तो आईएमयू के प्रावधान प्रभावी होंगे।

28. प्रादेशिक क्षेत्राधिकार:

किसी भी विवाद की स्थिति में, निर्णय के लिए प्रादेशिक क्षेत्राधिकार 'मद्रास उच्च न्यायालय' का होगा।

भाग – II

करियर में उन्नति

पद, वर्गीकरण, वेतनमान, कैडर की संख्या और भर्ती का तरीका

क्रमांक (a)	कैडर (b)	कैडर संख्या (c)	पद कोड (d)	पद का नाम (e)	वेतनमान (सातवां सीपीसी) (f)	कुल पद (g)	समूह (h)	पदों का वितरण (i)
1	शैक्षणिक सहायक कैडर	62	NT/01	तकनीकी अधिकारी	स्तर 9	6	B	पदोन्नति - 100%
2			NT/02	वरिष्ठ प्रशिक्षक	स्तर 8	12	B	पदोन्नति - 100%
3			NT/03	प्रशिक्षक	स्तर 6	44	B	सीधी भर्ती (डीआर) - 100%
4	पुस्तकालय कैडर	20	NT/04	उप पुस्तकालयाध्यक्ष	शैक्षणिक वेतन स्तर 12	2	A	डीआर - 50% पदोन्नति - 50%
5			NT/05	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	शैक्षणिक वेतन स्तर 10	5	A	डीआर - 50% पदोन्नति - 50%
6			NT/06	वरिष्ठ पुस्तकालय सहायक	स्तर 8	5	B	पदोन्नति - 100%
7			NT/07	पुस्तकालय सहायक	स्तर 6	8	B	डीआर - 100%
8	प्रशासनिक कैडर	92	NT/08	उप रजिस्ट्रार	स्तर 12	11	A	डीआर - 50% पदोन्नति - 50%
9			NT/09	सहायक रजिस्ट्रार	स्तर 10	10	A	डीआर - 50% पदोन्नति - 50%
10			NT/10	अनुभाग अधिकारी	स्तर 7	13	B	डीआर - 50% पदोन्नति - 50%
11			NT/11	वरिष्ठ सहायक	स्तर 6	25	B	पदोन्नति - 100%
12			NT/12	सहायक	स्तर 4	33	C	डीआर - 100%
13	वित्त कैडर	75	NT/13	उप वित्त अधिकारी	स्तर 12	4	A	डीआर - 50% पदोन्नति - 50%
14			NT/14	सहायक रजिस्ट्रार (वित्त)	स्तर 10	7	A	डीआर - 50% पदोन्नति - 50%
15			NT/15	अनुभाग अधिकारी (वित्त)	स्तर 7	8	B	डीआर - 50% पदोन्नति - 50%
16			NT/16	वरिष्ठ सहायक (वित्त)	स्तर 6	23	B	पदोन्नति - 100%
17			NT/17	सहायक (वित्त)	स्तर 4	33	C	डीआर - 100%
18	सचिव कैडर	12	NT/18	वरिष्ठ निजी सचिव	स्तर 10	1	A	पदोन्नति - 100%
19			NT/19	निजी सचिव	स्तर 8	5	B	पदोन्नति - 100%
20			NT/20	निजी सहायक	स्तर 6	6	B	डीआर - 100%

क्रमांक (a)	कैडर (b)	कैडर संख्या (c)	पद कोड (d)	पद का नाम (e)	वेतनमान (सातवां सीपीसी) (f)	कुल पद (g)	समूह (h)	पदों का वितरण (i)
21	वार्डन कैडर	17	NT/21	मुख्य छात्रावास वार्डन	स्तर 7	3	B	पदोन्नति – 100%
22			NT/22	वरिष्ठ छात्रावास वार्डन	स्तर 6	6	B	पदोन्नति – 100%
23			NT/23	छात्रवृत्त वार्डन	स्तर 5	8	C	डीआर– 100%
24	इंजीनियरिंग कैडर	13	NT/24	अधीक्षक अभियंता (सिविल/विद्युत)	स्तर 12	1	A	पदोन्नति – 100%
25			NT/25	कार्यकारी अभियंता (सिविल)	स्तर 11	1	A	पदोन्नति – 100%
26			NT/26	सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल)	स्तर 10	5	A	डीआर– 100%
27			NT/27	कार्यकारी अभियंता (विद्युत)	स्तर 11	1	A	पदोन्नति – 100%
28			NT/28	सहायक कार्यकारी अभियंता (विद्युत)	स्तर 10	5	A	डीआर– 100%
29	पृथक और अन्य पद	25	NT/29	चिकित्सा अधिकारी	स्तर 10	3	A	प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध द्वारा 100%
30			NT/30	स्टाफ नर्स (श्रेणी III)	स्तर 7	6	B	डीआर– 100%
31			NT/31	सिस्टम प्रबंधक	स्तर 12	1	A	पदोन्नति – 100%
32			NT/32	सिस्टम इंजीनियर	स्तर 10	2	A	डीआर– 50% पदोन्नति – 50%
33			NT/33	वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर)	स्तर 8	3	B	पदोन्नति – 100%
34			NT/34	तकनीकी अधिकारी (हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर)	स्तर 6	5	B	डीआर– 100%
35			NT/35	स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी) (ओजी)	स्तर 3	3	C	डीआर– 100%
36			NT/36	कानूनी अधिकारी	स्तर 8	1	B	सीधी भर्ती – 100%
37			NT/37	संचार प्रबंधक	स्तर 12	1	A	प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध द्वारा 100%

ध्यान दें: - (1) उपरोक्त सभी मामलों में, 'पदों का वितरण [कॉलम]' श्रेणी के अंतर्गत, भर्ती का तरीका प्रत्यक्ष भर्ती/पदोन्नति होगा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति होगी।

(2) यदि पदों की कुल संख्या विषम है और वितरण 50% प्रत्यक्ष भर्ती और 50% पदोन्नति है, तो पदोन्नति कोटा को अगले पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित किया जाएगा।

शैक्षणिक सहायक कर्मचारी कैडर

तकनीकी अधिकारी
(सातवें सीपीसी का वेतनमान-9)
(पदोन्नति – 100%)

6 वर्ष

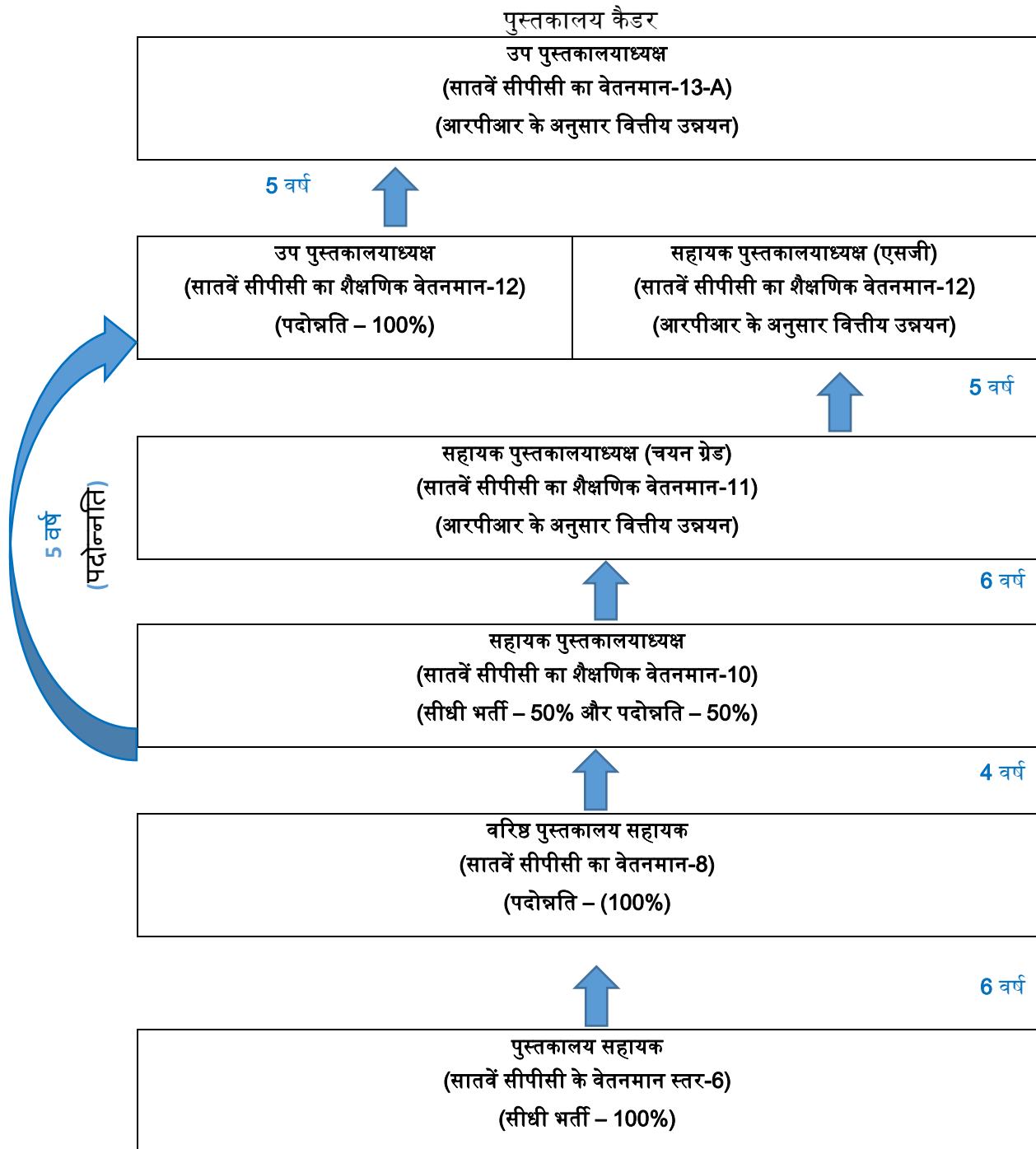


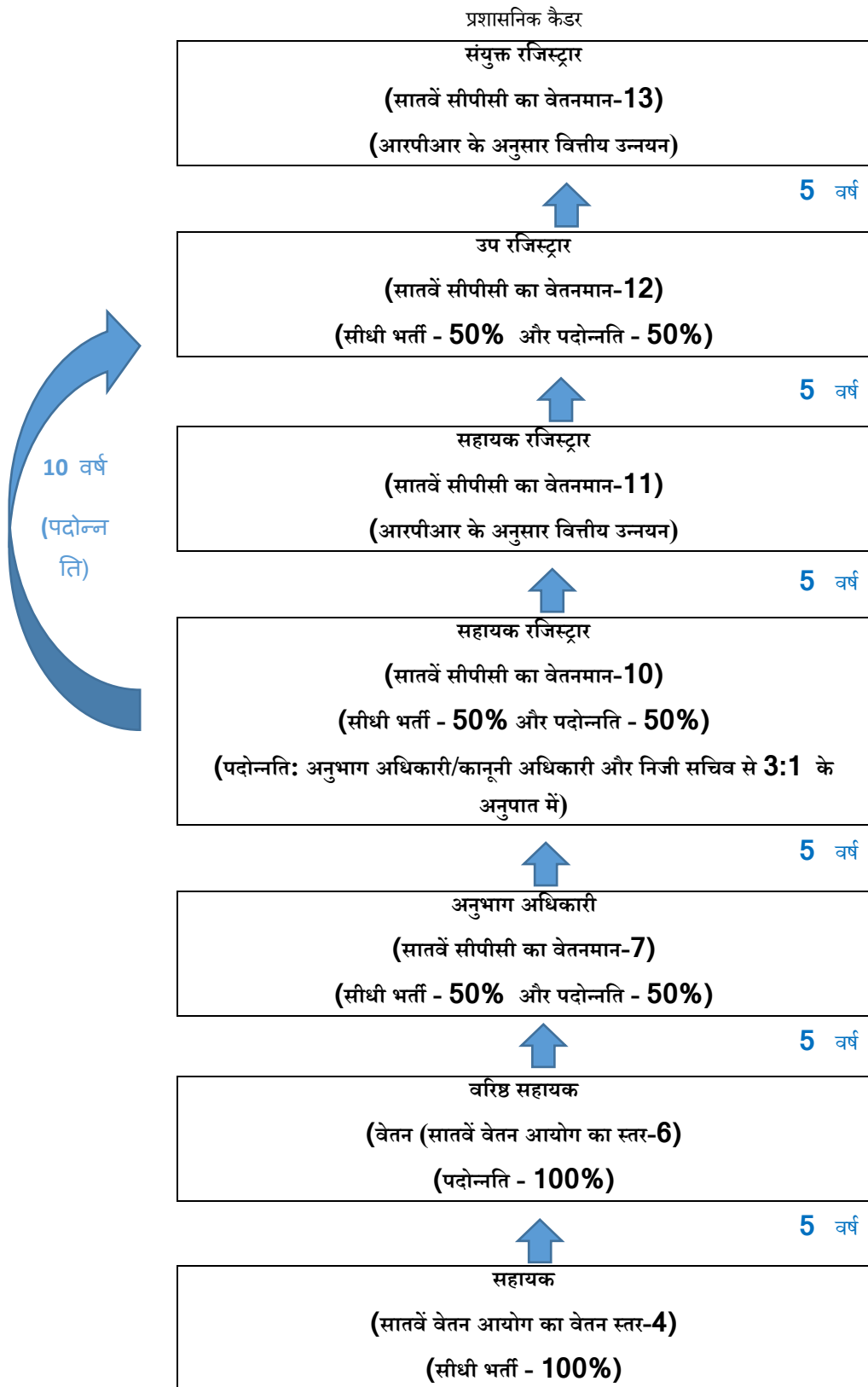
वरिष्ठ प्रशिक्षक
(सातवें सीपीसी का वेतनमान-8)
(पदोन्नति – 100%)

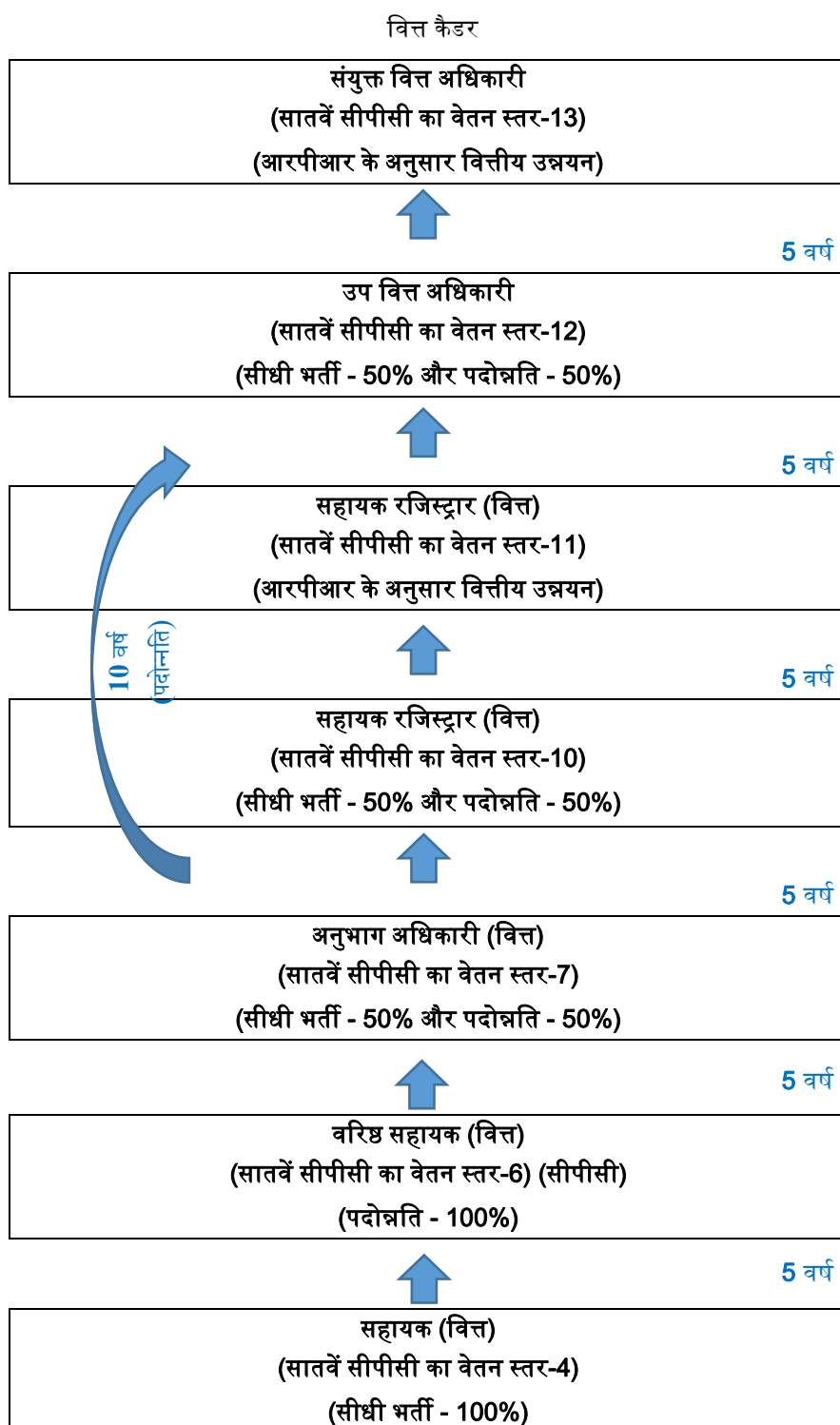
6 वर्ष



प्रशिक्षक
(सातवें सीपीसी का वेतनमान-6)
(सीधी भर्ती – 100%)







सचिवालय कैडर

वरिष्ठ निजी सचिव
(सातवें सीपीसी का वेतनमान-10)
(पदोन्नति - 100%)



4 वर्ष

निजी सचिव
(सातवें सीपीसी का वेतनमान-8)
(पदोन्नति - 100%)



6 वर्ष

निजी सहायक
(सातवें सीपीसी का वेतनमान-6)
(सीधी भर्ती - 100%)

वार्डन कैडर

मुख्य छात्रावास वार्डन
(सातवें सीपीसी का वेतनमान-7)
(पदोन्नति - 100%)

**5 वर्ष**

वरिष्ठ छात्रावास वार्डन
(सातवें सीपीसी का वेतनमान-6)
(पदोन्नति - 100%)

**6 वर्ष**

छात्रावास वार्डन
(सातवें सीपीसी का वेतनमान-5)
(सीधी भर्ती - 100%)

अभियांत्रिकी कैडर

a. सिविल कैडर

अधीक्षक अभियंता (सिविल/विद्युत)
(सातवें सीपीसी का वेतनमान-12)
(पदोन्नति - 100%)



5 वर्ष

कार्यकारी अभियंता (सिविल)
(सातवें सीपीसी का वेतनमान-11)
(पदोन्नति - 100%)



5 वर्ष

सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल)
(सातवें सीपीसी का वेतनमान-10)
(सीधी भर्ती - 100%)

b. विद्युत कैडर

अधीक्षक अभियंता (सिविल/विद्युत)
(सातवें सीपीसी का वेतनमान-12)
(पदोन्नति - 100%)



5 वर्ष

कार्यकारी अभियंता (विद्युत)
(सातवें सीपीसी का वेतनमान-11)
(पदोन्नति - 100%)



5 वर्ष

सहायक कार्यकारी अभियंता (विद्युत)
(सातवें सीपीसी का वेतनमान-10)
(सीधी भर्ती - 100%)

a. चिकित्सा अधिकारी

चिकित्सा अधिकारी
(सातवें सीपीसी के वेतनमान-10)
(प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध द्वारा 100%)

b. स्टाफ नर्स

स्टाफ नर्स (ग्रेड-III)
(सातवें सीपीसी का वेतन स्तर-9)
(आरपीआर के अनुसार वित्तीय उन्नयन)



5 वर्ष

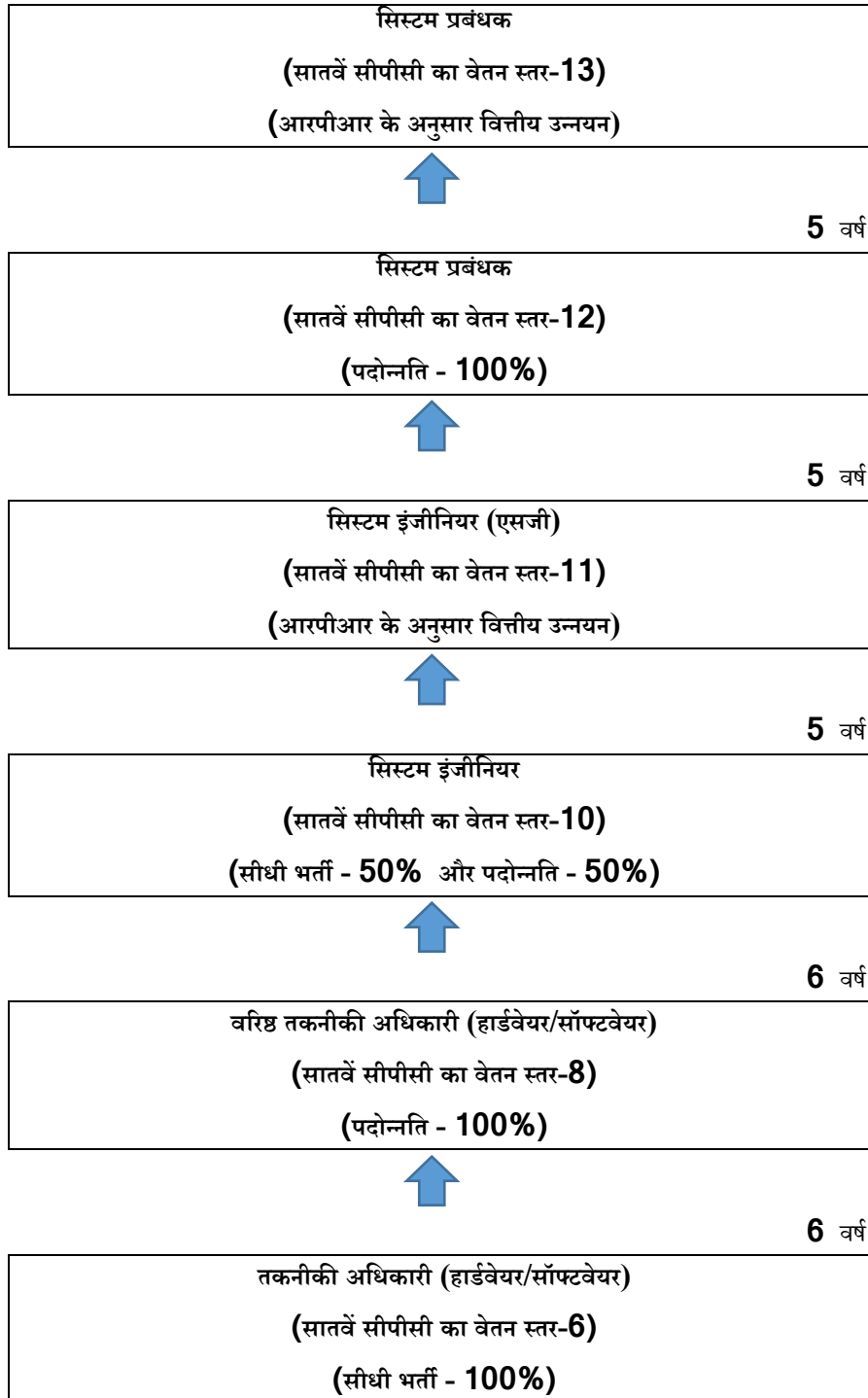
स्टाफ नर्स (ग्रेड-II)
(सातवें सीपीसी का वेतन स्तर-8)
(आरपीआर के अनुसार वित्तीय उन्नयन)



5 वर्ष

स्टाफ नर्स (ग्रेड-I)
(सातवें वेतन आयोग के वेतन स्तर-7)
(सीधी भर्ती - 100%)

c. अन्य पद:



d. ड्राइवर

स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी)
(सातवें सीपीसी के वेतन स्तर-5)
(आरपीआर के अनुसार वित्तीय उन्नयन)



5 वर्ष

स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड – II)
(सातवें सीपीसी का वेतन स्तर-4)
(आरपीआर के अनुसार वित्तीय उन्नयन)



5 वर्ष

स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी – I)
(सातवें सीपीसी के वेतनमान स्तर-3)
(सीधी भर्ती - 100%)

e. कानूनी अधिकारी

कानूनी अधिकारी
(सातवें सीपीसी के वेतनमान-08)
(सीधी भर्ती द्वारा 100%)

f. संचार प्रबंधक

संचार प्रबंधक
(सातवें सीपीसी का वेतनमान स्तर-12)
(प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध द्वारा 100%)

भाग – III

भर्ती एवं पदोन्नति नियम

तकनीकी अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियम [पद कोड-NT/01]

1.	पद का नाम	तकनीकी अधिकारी
2.	पदों की संख्या	छह (6)
3.	वर्गीकरण	समूह B
4.	वेतनमान	सातवें सीपीसी वेतनमान का स्तर-9
5.	क्या यह चयन आधारित पद है या गैर-चयन आधारित पद	चयन पद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	लागू नहीं
8.	क्या पदोन्नत होने वाले उम्मीदवारों पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु/शैक्षिक योग्यताएं लागू होंगी?	<u>पदोन्नति</u> : कोई आयु सीमा नहीं। <u>प्रतिनियुक्ति</u> : आयु: 56 वर्ष
9.	परिवीक्षा अवधि	लागू नहीं।
10.	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा और भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	100% पदोन्नति द्वारा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा। <u>पदोन्नति</u> : संबंधित शाखा/प्रवाह के वरिष्ठ प्रशिक्षक, जिनके पास आईएमयू में 6 वर्ष का अनुभव हो, रिक्त पद की उपलब्धता और डीपीसी द्वारा मूल्यांकन के अधीन है। <u>प्रतिनियुक्ति</u> : केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय/राज्य सरकार/पीएसयू/सीएबी में वरिष्ठ प्रशिक्षक या समकक्ष पद, जिनके पास 7वें सीपीसी वेतनमान के स्तर-8 या समकक्ष में 6 वर्ष का अनुभव हो।
11.	यदि चयन समिति/डीपीसी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	मानव संसाधन नियमावली के खंड 13 के अनुसार
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन/अल्पकालिक अनुबंध/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती किस श्रेणी से की जानी है?e	वरिष्ठ प्रशिक्षक (7वें सीपीसी का स्तर-8)
13.	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं।

वरिष्ठ प्रशिक्षक के पद के लिए भर्ती नियम [पद कोड-NT/02]

1.	पद का नाम	वरिष्ठ प्रशिक्षक
2.	पदों की संख्या	बारह (12)
3.	वर्गीकरण	समूह B
4.	वेतनमान	सातवें सीपीसी वेतनमान का स्तर 8
5.	क्या यह चयन आधारित पद है या गैर-चयन आधारित पद	चयन पद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु/शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत होने वालों के मामले में भी लागू होंगी?	पदोन्नति: कोई आयु सीमा नहीं। प्रतिनियुक्ति: आयु: 56 वर्ष
9.	परिवीक्षा अवधि	लागू नहीं
10.	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा और भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	100% नियुक्ति पदोन्नति द्वारा होगी, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा। पदोन्नति: संबंधित शाखा/प्रवाह से प्रशिक्षक, जिनके पास आईएमयू में 6 वर्ष का अनुभव हो, रिक्त पद की उपलब्धता और डीपीसी द्वारा मूल्यांकन के अधीन है। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय/राज्य सरकार/पीएसयू/सीएबी में प्रशिक्षक या समकक्ष पद पर नियुक्त, जिनके पास 7वें सीपीसी वेतनमान के स्तर-6 या समकक्ष में 6 वर्ष का अनुभव हो।
11.	यदि चयन समिति/डीपीसी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	मानव संसाधन नियमावली के खंड 13 के अनुसार
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन/अल्पकालिक अनुबंध/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती किस श्रेणी से की जानी है?e	प्रशिक्षक (सातवें सीपीसी का स्तर 6)
13.	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं।

प्रशिक्षक के पद के लिए संयुक्त भर्ती नियम [पद कोड-NT/03]

1.	पद का नाम	प्रशिक्षक *(परिशिष्ट)
2.	पदों की संख्या	चवालीस (44)
3.	वर्गीकरण	समूह B
4.	वेतनमान	7वें सीपीसी वेतनमान का स्तर-6
5.	क्या यह चयन आधारित पद है या गैर-चयन आधारित पद	लागू नहीं।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	40 वर्ष
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	अनिवार्य: (विवरण के लिए परिशिष्ट देखें) योग्यता और अनुभव की प्रासंगिकता के संबंध में आईएमयू का निर्णय अंतिम होगा।
8.	क्या पदोन्नत होने वाले उम्मीदवारों पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु/शैक्षणिक योग्यताएं लागू होंगी?	पदोन्नति: लागू नहीं प्रतिनियुक्ति: आयु: 56 वर्ष शैक्षणिक और अन्य योग्यताएँ: हाँ
9.	परिवीक्षा अवधि	दो वर्ष
10.	भर्ती की विधि	100% नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सीएबी में मूल विभाग में समान पद धारण करने वाले व्यक्ति, जिनके पास कॉलम 07 में उल्लिखित आवश्यक योग्यताएं हों।
11.	यदि चयन समिति/डीपीसी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	मानव संसाधन नियमावली के खंड 13 के अनुसार
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन/अल्पकालिक अनुबंध/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती किस श्रेणी से की जानी है?e	लागू नहीं।
13.	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं।

प्रशिक्षक पद का परिशिष्ट [पद कोड-NT/03]

क्रमांक	पद	योग्यताएं
1.	प्रशिक्षक (यांत्रिक)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री और एक वर्ष का स्नातकोत्तर अनुभव। (या) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी क्षेत्र में स्नातक की डिग्री (3 वर्ष) और राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी)/राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) से संबंधित क्षेत्र में राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण पत्र (एनटीसी)/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र (एनएसी) और संबंधित क्षेत्र में तीन वर्ष का स्नातकोत्तर अनुभव। (या) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा (3 वर्ष) और संबंधित क्षेत्र में शिक्षण या उद्योग में दो वर्ष का स्नातकोत्तर अनुभव। (या) संबंधित ट्रेड (फिटर/वैल्डर (गैस और इलेक्ट्रिक)/लेथ ऑपरेटर/मैकेनिक रेफ्रिजरेशन और एयर-कंडीशनर/आदि) में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) प्रमाण पत्र और राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण पत्र के साथ 10 वर्ष का संबंधित कार्य अनुभव होना चाहिए। (या) भारतीय नौसेना/तटरक्षक बल की यांत्रिक शाखा में पेटी ऑफिसर, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण।
2.	प्रशिक्षक (समुद्री कार्यशाला)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री और एक वर्ष का स्नातकोत्तर अनुभव। (या) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी क्षेत्र में स्नातक की डिग्री (3 वर्ष) और राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी)/राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) से संबंधित क्षेत्र में राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणपत्र (एनटीसी)/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र (एनएसी) और संबंधित क्षेत्र में तीन वर्ष का स्नातकोत्तर अनुभव। (या) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा (3 वर्ष) और संबंधित क्षेत्र में शिक्षण या उद्योग में दो वर्ष का स्नातकोत्तर अनुभव। (या) 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण के साथ भारतीय नौसेना/तटरक्षक बल की समुद्री/यांत्रिक शाखा में पेटी अफसर

3.	प्रशिक्षक (विद्युत)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री और योग्यता प्राप्त करने के बाद एक वर्ष का अनुभव। (या) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी क्षेत्र में स्नातक की डिग्री (3 वर्ष) और राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी)/राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) से संबंधित क्षेत्र में राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणपत्र (एनटीसी)/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र (एनएसी) तथा संबंधित क्षेत्र में तीन वर्ष का योग्यता-पश्चात अनुभव। (या) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा (3 वर्ष) तथा संबंधित क्षेत्र में शिक्षण या उद्योग में दो वर्ष का योग्यता-पश्चात अनुभव। (या) संबंधित क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के प्रमाण पत्र के साथ राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण पत्र होना चाहिए, साथ ही 10 वर्ष का कार्य अनुभव भी होना चाहिए। (या) 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण के साथ भारतीय नौसेना/तटरक्षक बल की इलेक्ट्रॉनिक्स शाखा में पेटी अफसर
4.	प्रशिक्षक (इलेक्ट्रॉनिक्स)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री और योग्यता प्राप्त करने के बाद एक वर्ष का अनुभव। (या) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी क्षेत्र में स्नातक की डिग्री (3 वर्ष) और राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी)/राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) से संबंधित क्षेत्र में राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण पत्र (एनटीसी)/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र (एनएसी) के साथ संबंधित क्षेत्र में तीन वर्ष का योग्यता-पश्चात अनुभव। (या) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा संबंधित क्षेत्र में अनुमोदित इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा (3 वर्ष), साथ ही संबंधित क्षेत्र में दो वर्ष का योग्यता-पश्चात अनुभव, शिक्षण कार्य या उद्योग में अनुभव। (या) संबंधित क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के प्रमाण पत्र के साथ राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण पत्र होना चाहिए, साथ ही 10 वर्ष का कार्य अनुभव भी होना चाहिए।

		(या) 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण के साथ भारतीय नौसेना/तटरक्षक बल की इलेक्ट्रॉनिक्स शाखा में पेटी अफसर
5.	प्रशिक्षक (कंप्यूटर लैब)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री और योग्यता प्राप्त करने के बाद एक वर्ष का अनुभव। (या) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा संबंधित क्षेत्र में अनुमोदित इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा (3 वर्ष), साथ ही संबंधित क्षेत्र में दो वर्ष का योग्यता-पश्चात अनुभव, शिक्षण कार्य या उद्योग में अनुभव।
6.	प्रशिक्षक (समुद्री संचार)	भारत सरकार द्वारा जारी ग्लोबल मैरीटाइम डिस्ट्रेस सेफ्टी सिस्टम्स (जीएमडीएसएस) सामान्य ऑपरेटर का दक्षता प्रमाणपत्र (जीओसी) और लाइसेंस होना चाहिए। (और) जीएमडीएसएस उपकरण से लैस जहाजों पर 2 वर्ष का समुद्री अनुभव।
7.	प्रशिक्षक (नाविकी कौशल/पीएससीआरबी/तैराकी)	भारतीय नौसेना/तटरक्षक बल से लाइफ गार्ड प्रमाणपत्र के साथ सीमैन शाखा में पेटी अफसर। (या) फर्स्ट मेट नियर कोस्टल वॉयजेस (एनसीवी) या मर्चेन्ट नेवी में डेक रेटिंग, जिसके पास निरंतर डिस्चार्ज प्रमाणपत्र में दर्शाए गए न्यूनतम 7 वर्ष का नौकायन अनुभव और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्षीय नियमित पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रमाणपत्र हो। भारतीय नौसेना/तटरक्षक बल में सेकंड मेट नियर कोस्टल वॉयज।
8.	प्रशिक्षक (नेविगेशन)	भारतीय नौसेना या तटरक्षक बल से सीमैन शाखा (रडार प्लॉटर रेटिंग) में पेटी ऑफिसर। (या) डीजीएस प्रमाणपत्र के साथ नेविगेशनल वॉच-कीपिंग अफसर (नियर कोस्टल वॉयज)।
9.	प्रशिक्षक (अग्निशमन)	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक डिग्री या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से इंजीनियरिंग की किसी भी शाखा में न्यूनतम 3 वर्षीय डिप्लोमा। राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र द्वारा आयोजित फायरमैन पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना चाहिए। एमएस-सीआईटी कोर्स में उत्तीर्ण होना चाहिए। शारीरिक मानक निम्नानुसार हैं: (a) ऊंचाई - 165 सेमी। (b) छाती - सामान्य: न्यूनतम 81 सेमी, 5 सेमी विस्तार के साथ। (c) वजन - 50 किलोग्राम। (d) दृष्टि - सामान्य।
* आईएमयू विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं के अनुसार उपर्युक्त पदों के अलावा अन्य नए प्रशिक्षक पद सृजित कर सकता है; तदनुसार, आवश्यक योग्यताएं परिभाषित की जाएंगी।		

उप पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के लिए भर्ती नियम [पद कोड-NT/04]

1.	पद का नाम	उप पुस्तकालयाध्यक्ष
2.	पदों की संख्या	दो (2)
3.	वर्गीकरण	समूह A
4.	वेतनमान	7वें सीपीसी वेतनमान का शैक्षणिक वेतन स्तर-12। शैक्षणिक वेतन स्तर-12 में 5 वर्ष की सेवा के बाद, संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन, संबंधित व्यक्ति को उसी पद पर शैक्षणिक वेतन स्तर-13-A में पदोन्नत किया जाएगा। यह पदोन्नति संबंधित व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत है।
5.	क्या यह चयन आधारित पद है या गैर-चयन आधारित पद	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति के लिए लागू नहीं। पदोन्नति के मामले में चयन द्वारा।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	50 वर्ष
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	<u>अनिवार्य:</u> i. पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/दस्तावेज़ीकरण विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष व्यावसायिक डिग्री, जिसमें कम से कम 55% अंक (या समकक्ष ग्रेड) हों और पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण का ज्ञान होने के साथ-साथ उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकॉर्ड हो। ii. यूजीसी या यूजीसी द्वारा अनुमोदित किसी अन्य एजेंसी द्वारा आयोजित पुस्तकालय विज्ञान की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) में उत्तीर्ण होना। हालांकि, पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/दस्तावेज़ीकरण विज्ञान में पीएचडी प्राप्त उम्मीदवारों को एनईटी की न्यूनतम पात्रता शर्त से छूट दी जाएगी। iii. किसी केंद्रीय या राज्य विश्वविद्यालय, आईआईएम, आईआईटी या एनआईटी, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थान में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष या समकक्ष पद पर कम से कम पांच वर्ष का अनुभव। iv. नवोन्मेषी पुस्तकालय सेवा, प्रकाशित कार्यों के संगठन और पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण का प्रमाण। <u>वांछनीय:</u> पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/दस्तावेज़ीकरण/अभिलेखागार एवं पांडुलिपि संग्रहण में एम.फिल/पीएच.डी. डिग्री।
8.	क्या पदोन्नत होने वाले उम्मीदवारों पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु/शैक्षिक योग्यताएं लागू होंगी?	<u>पदोन्नति:</u> आयु: कोई आयु सीमा नहीं शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ: हाँ <u>प्रतिनियुक्ति:</u> आयु: 56 वर्ष शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ: हाँ

9.	परिबीक्षा अवधि	एक वर्ष
10.	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा और भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती के माध्यम से 50%, यदि ऐसा न हो तो प्रतिनियुक्ति द्वारा। पदोन्नति के माध्यम से 50%, यदि ऐसा न हो तो प्रतिनियुक्ति द्वारा। सीधी भर्ती: एक सामान्य भर्ती परीक्षा और उसके बाद व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से की जाएगी। पदोन्नति: सातवें सीपीसी के अकादमिक वेतन स्तर-10 पर सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों में से, जिनके पास आईएमयू में कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा हो, रिक्त पद की उपलब्धता और डीपीसी द्वारा मूल्यांकन के अधीन है। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय/राज्य सरकार/पीएसयू/सीएबी के अधिकारी जो नियमित आधार पर समान पदों पर कार्यरत हों, जिनके पास कॉलम 07 में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव हो। या सातवें सीपीसी के अकादमिक वेतन स्तर-11 पर सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष या उसके समकक्ष, जिनके पास कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा हो।
11.	यदि चयन समिति/डीपीसी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	मानव संसाधन नियमावली के खंड 13 के अनुसार
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन/अल्पकालिक अनुबंध/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती किस श्रेणी से की जानी है?e	पदोन्नति: सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (7वें सीपीसी का शैक्षणिक वेतन स्तर -10) प्रतिनियुक्ति: सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (7वें सीपीसी का शैक्षणिक वेतन स्तर -11)
13.	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं।

सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के लिए भर्ती नियम [पद कोड - NT/05]

1.	पद का नाम	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
2.	पदों की संख्या	पांच (5)
3.	वर्गीकरण	समूह A
4.	वेतनमान	सातवें सीपीसी वेतनमान का शैक्षणिक वेतन स्तर-10। आईएमयू में शैक्षणिक वेतन स्तर-10 पर 6 वर्ष की सेवा के बाद, संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन, पदाधिकारी को शैक्षणिक वेतन स्तर-11 पर पदोन्नत किया जाएगा और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (एसजी) के रूप में नामित किया जाएगा। यह पदोन्नति पदाधिकारी के लिए व्यक्तिगत है। आईएमयू में शैक्षणिक वेतन स्तर-11 पर 5 वर्ष की सेवा के बाद, संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन, पदाधिकारी को शैक्षणिक वेतन स्तर-12 पर पदोन्नत किया जाएगा और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (एसजी) के रूप में नामित रहेगा। यह पदोन्नति पदाधिकारी के लिए व्यक्तिगत है।
5.	क्या यह चयन आधारित पद है या गैर-चयन आधारित पद	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति के लिए लागू नहीं। पदोन्नति के मामले में चयन द्वारा।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	40 वर्ष।
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	<u>अनिवार्य:</u> (i) पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/दस्तावेजीकरण विज्ञान में कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष ग्रेड प्वाइंट औसत के साथ। (ii) यूजीसी या यूजीसी द्वारा अनुमोदित किसी अन्य एजेंसी द्वारा आयोजित पुस्तकालय विज्ञान में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) में उत्तीर्ण होना। हालांकि, पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/दस्तावेजीकरण विज्ञान में पीएचडी प्राप्त उम्मीदवारों को एनईटी की न्यूनतम पात्रता शर्त से छूट दी जाएगी। (iii) किसी भी पुस्तकालय स्वचालन सॉफ्टवेयर में कार्य करने का अनुभव। <u>वांछनीय योग्यताएँ:</u> 1. पुस्तकालय स्वचालन और नेटवर्किंग में पीजी डिप्लोमा या पीजीडीसीए। 2. केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय/आईआईटी/आईआईएसआर/एनआईटी या स्वायत्त शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय/राज्य सरकार/पीएसयू/सीएबी/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में कार्य करने का अनुभव।
8.	क्या पदोन्नत होने वाले उम्मीदवारों पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु/शैक्षिक योग्यताएं लागू होंगी?	<u>पदोन्नति:</u> आयु: कोई आयु सीमा नहीं शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ: हाँ <u>प्रतिनियुक्ति:</u>

		आयु सीमा – 56 वर्ष शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ: हाँ।
9.	परिवीक्षा अवधि	दो वर्ष
10.	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा और भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती के माध्यम से 50%, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा। पदोन्नति के माध्यम से 50%, अन्यथा भी प्रतिनियुक्ति द्वारा। <u>सीधी भर्ती</u> : सामान्य भर्ती परीक्षा और उसके बाद व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से की जाएगी। <u>पदोन्नति</u> : वरिष्ठ पुस्तकालय सहायकों में से, जिनके पास स्तर-8 में आईएमयू में 4 वर्ष का अनुभव है और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मूल्यांकन के अधीन है। <u>प्रतिनियुक्ति</u> : 7वें सीपीसी के वेतन मैट्रिक्स स्तर-8 में केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय/राज्य सरकार/पीएसयू/सीएबी में वरिष्ठ पुस्तकालय सहायक या इसके समकक्ष पद पर 4 वर्ष का अनुभव।
11.	यदि चयन समिति/डीपीसी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	मानव संसाधन नियमावली के खंड 13 के अनुसार
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन/अल्पकालिक अनुबंध/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती किस श्रेणी से की जानी है?e	<u>पदोन्नति</u> : वरिष्ठ पुस्तकालय सहायक (सातवें सीपीसी का स्तर 8)। <u>प्रतिनियुक्ति</u> : वरिष्ठ पुस्तकालय सहायक (सातवें सीपीसी का स्तर 8) – 4 वर्ष का अनुभव
13.	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं।

वरिष्ठ पुस्तकालय सहायक के पद के लिए भर्ती नियम [पद कोड – NT/06]

1.	पद का नाम	वरिष्ठ पुस्तकालय सहायक
2.	पदों की संख्या	पांच (5)
3.	वर्गीकरण	समूह B
4.	वेतनमान	सातवें सीपीसी वेतनमान का स्तर-8।
5.	क्या यह चयन आधारित पद है या गैर-चयन आधारित पद	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति के लिए लागू नहीं। पदोन्नति के मामले में चयन द्वारा।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	लागू नहीं
8.	क्या पदोन्नत होने वाले उम्मीदवारों पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु/शैक्षिक योग्यताएं लागू होंगी?	<u>पदोन्नति:</u> आयु: कोई आयु सीमा नहीं <u>प्रतिनियुक्ति:</u> आयु: 56 वर्ष शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ: हाँ
9.	परिबीक्षा अवधि	लागू नहीं।
10.	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा और भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	आईएमयू में 6 वर्ष के अनुभव वाले पुस्तकालय सहायकों से 100% पदोन्नति, जो रिक्त पद की उपलब्धता और डीपीसी द्वारा मूल्यांकन के अधीन है; अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा। <u>प्रतिनियुक्ति:</u> केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय/राज्य सरकार/पीएसयू/सीएबी में 6 वर्ष के अनुभव वाले 7वें सीपीसी के स्तर 6 के पुस्तकालय सहायक या इसके समकक्ष पद।
11.	यदि चयन समिति/डीपीसी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	मानव संसाधन नियमावली के खंड 13 के अनुसार
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन/अल्पकालिक अनुबंध/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती किस श्रेणी से की जानी है?e	पुस्तकालय सहायक (7वें सीपीसी का स्तर 6)
13.	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं.

पुस्तकालय सहायक के पद के लिए भर्ती नियम [पद कोड – NT/07]

1.	पद का नाम	पुस्तकालय सहायक
2.	पदों की संख्या	आठ (8)
3.	वर्गीकरण	समूह B
4.	वेतनमान	सातवें सीपीसी वेतनमान का स्तर-6।
5.	क्या यह चयन आधारित पद है या गैर-चयन आधारित पद	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति के लिए लागू नहीं।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	आयु सीमा 40 वर्ष।
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	अनिवार्य: (i) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री या समकक्ष ग्रेड। (ii) केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रमों/सीएबी/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में पुस्तकालय सहायक या समकक्ष पद पर दो वर्ष का अनुभव।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु/शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत होने वालों के मामले में भी लागू होंगी?	पदोन्नति: लागू नहीं। प्रतिनियुक्ति: आयु: 56 वर्ष। शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ: हाँ।
9.	परिवीक्षा अवधि	दो वर्ष।
10.	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा और भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती द्वारा 100%, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सीएबी में मूल विभाग में समान पद धारण करने वाले व्यक्ति, जिनके पास कॉलम 07 में उल्लिखित आवश्यक योग्यताएं हों।
11.	यदि चयन समिति/डीपीसी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	मानव संसाधन नियमावली के खंड 13 के अनुसार
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन/अल्पकालिक अनुबंध/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती किस श्रेणी से की जानी है?	लागू नहीं।
13.	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं।

उप रजिस्ट्रार के पद के लिए भर्ती नियम [पद कोड – NT/08]

1.	पद का नाम	उप रजिस्ट्रार
2.	पदों की संख्या	ग्यारह (11)
3.	वर्गीकरण	समूह A
4.	वेतनमान	सातवें सीपीसी वेतनमान का स्तर-12। स्तर-12 में 5 वर्ष की सेवा के बाद, पदाधिकारी स्तर-13 पर पदोन्नत होंगे और संयुक्त रजिस्ट्रार के रूप में नामित किए जाएंगे और संयुक्त रजिस्ट्रार के रूप में यह पदोन्नति पदाधिकारी के लिए व्यक्तिगत होगी।
5.	क्या यह चयन आधारित पद है या गैर-चयन आधारित पद	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति के लिए लागू नहीं। पदोन्नति के मामले में चयन द्वारा।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	50 वर्ष।
7.	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment	<u>अनिवार्य:</u> (i) कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष ग्रेड प्वाइंट औसत। (ii) (ii) किसी भी केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय/राज्य सरकार/पीएसयू/सीएबी/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में वेतनमान स्तर-10 या समकक्ष पद पर सहायक रजिस्ट्रार के रूप में 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु/शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत होने वालों के मामले में भी लागू होंगी?	<u>पदोन्नति:</u> आयु सीमा – नहीं। शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ: हाँ। <u>प्रतिनियुक्ति:</u> आयु सीमा – 56 वर्ष। शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ: हाँ।
9.	परिवीक्षा अवधि	एक वर्ष।
10.	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा और भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती के माध्यम से 50%, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा। पदोन्नति के माध्यम से 50%, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा। <u>पदोन्नति:</u> आईएमयू में वेतन स्तर 11 में कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा या वेतन स्तर 10 में 10 वर्ष की सेवा वाले सहायक रजिस्ट्रारों में से, रिक्त पद की उपलब्धता और विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मूल्यांकन के अधीन होगा। <u>प्रतिनियुक्ति:</u> 7वें सीपीसी के स्तर-12 पर समान पद या वेतन स्तर-10 में सहायक रजिस्ट्रार के रूप में 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव या समकक्ष पद।

11.	यदि चयन समिति/डीपीसी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	मानव संसाधन नियमावली के खंड 13 के अनुसार
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन/अल्पकालिक अनुबंध/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती किस श्रेणी से की जानी है?e	सहायक रजिस्ट्रार (सातवें सीपीसी के स्तर 11/10)
13.	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं।

सहायक रजिस्ट्रार के पद के लिए भर्ती नियम [पद कोड – NT/09]

1.	पद का नाम	सहायक रजिस्ट्रार
2.	पदों की संख्या	दस (10)
3.	वर्गीकरण	समूह A
4.	वेतनमान	सातवें सीपीसी वेतनमान का स्तर-10। आईएमयू में स्तर-10 पर 5 वर्ष की सेवा के बाद, पदाधिकारी को उसी पदनाम के साथ स्तर-11 पर पदोन्नत किया जाएगा और यह पदोन्नति पदाधिकारी के लिए व्यक्तिगत होगी।
5.	क्या यह चयन आधारित पद है या गैर-चयन आधारित पद	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति के लिए लागू नहीं। पदोन्नति के मामले में चयन द्वारा।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	40 वर्ष।
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	<u>अनिवार्य:</u> (i) कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष ग्रेड प्वाइंट औसत। (ii) (किसी भी केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय/राज्य सरकार/पीएसयू/सीएबी/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में स्तर-6 और उससे ऊपर के पदों पर 3 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु/शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत होने वालों के मामले में भी लागू होंगी?	<u>पदोन्नति:</u> आयु सीमा – नहीं। शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ: हाँ। <u>प्रतिनियुक्ति:</u> आयु सीमा – 56 वर्ष। शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ: हाँ।
9.	परिवीक्षा अवधि	दो वर्ष।

10.	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा और भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती के माध्यम से 50%, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा। पदोन्नति के माध्यम से 50% , अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा। <u>पदोन्नति</u>: विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा रिक्त पद की उपलब्धता और मूल्यांकन के अधीन, कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले अनुभाग अधिकारियों/कानूनी अधिकारी और निजी सचिवों में [3:1 के अनुपात में] से। <u>प्रतिनियुक्ति</u>: 7वें सीपीसी के वेतन स्तर-10 में नियमित आधार पर समान पद धारण करने वाला व्यक्ति (या) केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय/राज्य सरकार/पीएसयू/सीएबी में वेतन स्तर-7/8 या समकक्ष पद पर अनुभाग अधिकारी के रूप में 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव रखने वाला व्यक्ति।
11.	यदि चयन समिति/डीपीसी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	मानव संसाधन नियमावली के खंड 13 के अनुसार
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन/अल्पकालिक अनुबंध/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती किस श्रेणी से की जानी है?e	अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव (सातवें सीपीसी के स्तर-7/8)
13.	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं।

अनुभाग अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियम [पद कोड – NT/10]

1.	पद का नाम	अनुभाग अधिकारी
2.	पदों की संख्या	तेरह (13)
3.	वर्गीकरण	समूह B
4.	वेतनमान	सातवें सीपीसी वेतनमान का स्तर-7।
5.	क्या यह चयन आधारित पद है या गैर-चयन आधारित पद	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति के लिए लागू नहीं। पदोन्नति के मामले में चयन द्वारा।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	40 वर्ष।
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	अनिवार्य: i. शैक्षणिक योग्यता: स्नातक डिग्री। ii. सेवा योग्यता: किसी केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय/राज्य सरकार/पीएसयू/सीएबी/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में सातवें सीपीसी के तहत वेतन स्तर 6 या समकक्ष पर प्रशासन/स्थापना/वित्त/सतर्कता/कानूनी/दस्तावेजीकरण/शैक्षणिक/परीक्षा क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का कार्य अनुभव। iii. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का कार्यसाधक ज्ञान।
8.	क्या पदोन्नत होने वाले उम्मीदवारों पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु/शैक्षिक योग्यताएं लागू होंगी?	पदोन्नति: आयु सीमा: कोई नहीं शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ: हाँ। प्रतिनियुक्ति: आयु सीमा: 56 वर्ष। शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ: हाँ।
9.	परिवीक्षा अवधि	दो वर्ष।
10.	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा और भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती द्वारा 50%, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा। पदोन्नति द्वारा 50%, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा। पदोन्नति: आईएमयू में कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले वरिष्ठ सहायकों में से, रिक्त पद की उपलब्धता और विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मूल्यांकन के अधीन होगा। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय/राज्य सरकार/पीएसयू/सीएबी में वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 या समकक्ष पद पर वरिष्ठ सहायक या समकक्ष के रूप में 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव।
11.	यदि चयन समिति/डीपीसी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	मानव संसाधन नियमावली के खंड 13 के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन/अल्पकालिक अनुबंध/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती किस श्रेणी से की जानी है?	वरिष्ठ सहायक (7वें सीपीसी का स्तर-6)
13.	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं।

वरिष्ठ सहायक के पद के लिए भर्ती नियम [पद कोड – NT/11]

1.	पद का नाम	वरिष्ठ सहायक
2.	पदों की संख्या	पच्चीस (25)
3.	वर्गीकरण	समूह B
4.	वेतनमान	सातवें सीपीसी वेतनमान का स्तर-6
5.	क्या यह चयन आधारित पद है या गैर-चयन आधारित पद	चयनित पद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	40 वर्ष
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	<u>अनिवार्य:</u> मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री, या समकक्ष ग्रेड। <u>अनुभव:</u> केंद्रीय/राज्य सरकार में वेतनमान स्तर-4 या समकक्ष पद पर सहायक के रूप में 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सीएबी/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी का अनुभव। <u>वांछनीय:</u> सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का कार्यसाधक ज्ञान।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु/शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत होने वालों के मामले में भी लागू होंगी?	<u>पदोन्नति:</u> आयु: कोई सीमा नहीं। शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं: हां। <u>प्रतिनियुक्ति:</u> आयु: 56 वर्ष। शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं: हां।
9.	परिवीक्षा अवधि	लागू नहीं।
10.	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा और भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	100% पदोन्नति द्वारा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा। <u>पदोन्नति:</u> आईएमयू में कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायकों (स्तर-4) में से, जो रिक्त पद की उपलब्धता और विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मूल्यांकन के अधीन होगा। <u>प्रतिनियुक्ति:</u> किसी भी केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय/राज्य सरकार/पीएसयू/सीएबी में वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 या समकक्ष पद पर सहायक के रूप में 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव।
11.	यदि चयन समिति/डीपीसी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	मानव संसाधन नियमावली के खंड 13 के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन/अल्पकालिक अनुबंध/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती किस श्रेणी से की जानी है?	सहायक (सातवें सीपीसी का स्तर-4)
13.	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं।

सहायक के पद के लिए भर्ती नियम [पद कोड – NT/12]

1.	पद का नाम	सहायक
2.	पदों की संख्या	तैंतीस (33)
3.	वर्गीकरण	समूह C
4.	वेतनमान	सातवें सीपीसी वेतनमान का स्तर-4।
5.	क्या यह चयन आधारित पद है या गैर-चयन आधारित पद	लागू नहीं।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	35 वर्ष।
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	<u>आवश्यक:</u> मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक डिग्री, या समकक्ष ग्रेड। <u>वांछनीय:</u> सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का कार्यसाधक ज्ञान।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु/शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत होने वालों के मामले में भी लागू होंगी?	<u>पदोन्नति:</u> लागू नहीं। <u>प्रतिनियुक्ति:</u> आयु: दो वर्ष।वर्ष। शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ: हाँ।
9.	परिवीक्षा अवधि	दो वर्ष।
10.	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा और भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती द्वारा 100%, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा। <u>प्रतिनियुक्ति:</u> केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सीएबी में मूल विभाग में समान पद धारण करने वाले व्यक्ति, जिनके पास कॉलम 07 में उल्लिखित आवश्यक योग्यताएं हों।
11.	यदि चयन समिति/डीपीसी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	मानव संसाधन नियमावली के खंड 13 के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन/अल्पकालिक अनुबंध/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती किस श्रेणी से की जानी है?e	लागू नहीं।
13.	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं।

उप वित्त अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियम [पद कोड – NT/13]

1.	पद का नाम	उप वित्त अधिकारी
2.	पदों की संख्या	चार (4)
3.	वर्गीकरण	समूह A
4.	वेतनमान	सातवें सीपीसी वेतनमान का स्तर-12। आईएमयू में स्तर-12 पर 5 वर्ष की सेवा के बाद, पदाधिकारी स्तर-13 पर पदोन्नत होंगे और संयुक्त वित्त अधिकारी के रूप में नामित किए जाएंगे। संयुक्त वित्त अधिकारी के रूप में यह पदोन्नति पदाधिकारी के लिए व्यक्तिगत होगी।
5.	क्या यह चयन आधारित पद है या गैर-चयन आधारित पद	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति के लिए लागू नहीं। पदोन्नति के मामले में चयन द्वारा।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	50 वर्ष।
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	<u>अनिवार्य:</u> i. मास्टर ऑफ कॉमर्स (या) सी.ए./आई.सी.डब्ल्यू.ए. में कम से कम 55% अंक (या इसके समकक्ष ग्रेड)। और ii. केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों, स्वायत्त शिक्षण संस्थानों, पोर्ट ट्रस्टों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, केंद्रीय/राज्य सरकारी विभागों/एजेंसियों में ग्रेड वेतन 5,400 रुपये/6,600 रुपये (या समकक्ष) में वित्त और लेखा में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव। (या) वित्त एवं लेखा में कम से कम 8 वर्ष का योग्यता-पश्चात अनुभव (i) एक कार्यरत चार्टर्ड/कॉस्ट अकाउंटेंट के रूप में (या) (ii) किसी पंजीकृत कंपनी में 7वें सीपीसी के अनुसार वेतन स्तर 10 के समकक्ष वरिष्ठ पद पर। वांछनीय: कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान।
8.	क्या पदोन्नत होने वाले उम्मीदवारों पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु/शैक्षणिक योग्यताएं लागू होंगी?	<u>पदोन्नति:</u> आयु: कोई सीमा नहीं शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ: हाँ <u>प्रतिनियुक्ति:</u> आयु: 56 वर्ष शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ: हाँ।
9.	परिचीक्षा अवधि	एक वर्ष।
10.	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा और भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती के माध्यम से 50%, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा। पदोन्नति के माध्यम से 50%, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा। <u>पदोन्नति:</u> आईएमयू में वेतन स्तर 11 में कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा या वेतन स्तर 10 में 10 वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक

		रजिस्ट्रार (वित्त) में से, जो रिक्त पद की उपलब्धता और विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मूल्यांकन के अधीन होगा। <u>प्रतिनियुक्ति</u> : वेतन स्तर 10 या समकक्ष में सहायक रजिस्ट्रार (वित्त) के रूप में समान पद या 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव रखने वाला व्यक्ति।
11.	यदि चयन समिति/डीपीसी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	मानव संसाधन नियमावली के खंड 13 के अनुसार
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन/अल्पकालिक अनुबंध/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती किस श्रेणी से की जानी है?e	सहायक रजिस्ट्रार (वित्त) (सातवें सीपीसी का स्तर 10)
13.	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं।

सहायक रजिस्ट्रार (वित्त) के पद के लिए भर्ती नियम [पद कोड – NT/14]

1.	पद का नाम	सहायक रजिस्ट्रार (वित्त)
2.	पदों की संख्या	सात (7)
3.	वर्गीकरण	समूह A
4.	वेतनमान	सातवें सीपीसी वेतनमान का स्तर-10। आईएमयू में स्तर-10 पर 5 वर्ष की सेवा के बाद, पदाधिकारी स्तर-11 पर पदोन्नत होंगे, लेकिन सहायक रजिस्ट्रार (वित्त) के रूप में ही नामित रहेंगे और यह पदोन्नति पदाधिकारी के लिए व्यक्तिगत होगी।
5.	क्या यह चयन आधारित पद है या गैर-चयन आधारित पद	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति के लिए लागू नहीं। पदोन्नति के मामले में चयन द्वारा।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	40 वर्ष।
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	<u>अनिवार्य</u> : (i) कॉमर्स में मास्टर डिग्री या मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन (वित्त) या न्यूनतम 55% अंकों के साथ समकक्ष, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष ग्रेड प्वाइंट औसत। (या) (ii) सी.ए./आई.सी.डब्ल्यू.ए. (और) (iii) केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय/राज्य सरकार/पीएसयू/सीएबी/सार्वजनिक

		लिमिटेड कंपनी में वेतन स्तर - 6 या उससे ऊपर के वित्त एवं लेखा विभाग में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु/शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत होने वालों के मामले में भी लागू होंगी?	पदोन्नति: आयु सीमा – नहीं। शैक्षिक योग्यता: हाँ। प्रतिनियुक्ति: आयु सीमा – 56 वर्ष। शैक्षिक योग्यता: हाँ।
9.	परिवीक्षा अवधि	दो वर्ष।
10.	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा और भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती के माध्यम से 50%, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा। पदोन्नति के माध्यम से 50%, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा। पदोन्नति: आईएमयू में कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले अनुभाग अधिकारी (वित्त) में से, जो रिक्त पद की उपलब्धता और विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मूल्यांकन के अधीन होगा। प्रतिनियुक्ति: 7वें सीपीसी के वेतन स्तर-10 में नियमित आधार पर समान पद धारण करने वाला व्यक्ति (या) केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय/राज्य सरकार/पीएसयू/सीएबी में वेतन स्तर-7/8 या समकक्ष पद पर अनुभाग अधिकारी (वित्त) के रूप में वित्त एवं लेखा में 5 वर्ष का अनुभव।
11.	यदि चयन समिति/डीपीसी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	मानव संसाधन नियमावली के खंड 13 के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन/अल्पकालिक अनुबंध/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती किस श्रेणी से की जानी है?e	अनुभाग अधिकारी (वित्त) (7वें सीपीसी का स्तर-7/8)
13.	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं।

अनुभाग अधिकारी (वित्त) के पद के लिए भर्ती नियम [पद कोड – NT/15]

1.	पद का नाम	अनुभाग अधिकारी (वित्त)
2.	पदों की संख्या	आठ (8)
3.	वर्गीकरण	समूह B
4.	वेतनमान	सातवें सीपीसी वेतनमान का स्तर-7।
5.	क्या यह चयन आधारित पद है या गैर-चयन आधारित पद	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति के लिए लागू नहीं। पदोन्नति के मामले में चयन द्वारा।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	40 वर्ष।
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	अनिवार्य: i. कॉमर्स या गणित या सांख्यिकी में स्नातक डिग्री। ii. किसी केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय/राज्य सरकार/पीएसयू/सीएबी/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में वित्त एवं लेखा क्षेत्र में सातवें सीपीसी के अंतर्गत वेतन स्तर 6 या समकक्ष में कम से कम 5 वर्ष का कार्य अनुभव। i. iii. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, विशेषकर एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का कार्यसाधक ज्ञान।
8.	क्या पदोन्नत होने वाले उम्मीदवारों पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु/शैक्षिक योग्यताएं लागू होंगी?	<u>पदोन्नति:</u> आयु सीमा: कोई आयु सीमा नहीं शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ: हों। <u>प्रतिनियुक्ति:</u> आयु सीमा: 56 वर्ष। शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ: हों।
9.	परिवीक्षा अवधि	सीधी भर्ती: दो वर्ष। पदोन्नति: लागू नहीं।
10.	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा और भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती के माध्यम से 50%, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा। पदोन्नति के माध्यम से 50%, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा। <u>पदोन्नति:</u> आईएमयू में कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ वरिष्ठ सहायक (वित्त) पद से, जो रिक्त पद की उपलब्धता और विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मूल्यांकन के अधीन होगा। <u>प्रतिनियुक्ति:</u> केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय/राज्य सरकार/पीएसयू/सीएबी में वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 या समकक्ष में वरिष्ठ सहायक (वित्त) या समकक्ष पद पर वित्त और लेखा में 3 वर्ष का अनुभव।
11.	यदि चयन समिति/डीपीसी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	मानव संसाधन नियामवली के खंड 13 के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन/	वरिष्ठ सहायक (वित्त) (7वें सीपीसी का स्तर-6)

	अल्पकालिक अनुबंध/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती किस श्रेणी से की जानी है?e	
13.	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं।

वरिष्ठ सहायक (वित्त) पद के लिए भर्ती नियम [पद कोड – NT/16]

1.	पद का नाम	वरिष्ठ सहायक (वित्त)
2.	पदों की संख्या	तेईस (23)
3.	वर्गीकरण	समूह B
4.	वेतनमान	सातवें सीपीसी वेतनमान का स्तर-6
5.	क्या यह चयन आधारित पद है या गैर-चयन आधारित पद	चयन पद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	अनिवार्य: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कॉमर्स, गणित या सांख्यिकी में न्यूनतम 50% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातक की डिग्री। अनुभव: केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सीएबी/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में वेतन मैट्रिक्स स्तर - 4 (7वें सीपीसी) या समकक्ष के अंतर्गत सहायक (वित्त) या समकक्ष पद पर 5 (पांच) वर्ष का अनुभव। वांछनीय: सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, अधिमानतः लेखा सॉफ्टवेयर का कार्यसाधक ज्ञान।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु/शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत होने वालों के मामले में भी लागू होंगी?	पदोन्नति: आयु: कोई सीमा नहीं शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ: हाँ प्रतिनियुक्ति: आयु: 56 वर्ष शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ: हाँ
9.	परिवीक्षा अवधि	दो वर्ष
10.	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा और भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	पदोन्नति द्वारा 100%, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा। पदोन्नति: आईएमयू में कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक (वित्त) में से, जो विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मूल्यांकन के अधीन होगा।

		प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय/राज्य सरकार/पीएसयू/सीएबी में समान पद या सहायक (वित्त) या समकक्ष पद पर कार्यरत व्यक्ति, जिनके पास 7वें सीपीसी के वेतन मैट्रिक्स स्तर - 4 या समकक्ष में 5 (पांच) वर्ष का अनुभव हो।
11.	यदि चयन समिति/डीपीसी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	मानव संसाधन नियमावली के खंड 13 के अनुसार
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन/अल्पकालिक अनुबंध/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती किस श्रेणी से की जानी है?	सहायक (वित्त) (7वें सीपीसी का स्तर - 4)
13.	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं।

सहायक (वित्त) पद के लिए भर्ती नियम [पद कोड – NT/17]

1.	पद का नाम	सहायक (वित्त)
2.	पदों की संख्या	तैंतीस (33)
3.	वर्गीकरण	समूह C
4.	वेतनमान	सातवें सीपीसी वेतनमान का स्तर-4
5.	क्या यह चयन आधारित पद है या गैर-चयन आधारित पद	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	35 वर्ष
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	अनिवार्य: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कॉमर्स में न्यूनतम 50% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातक की डिग्री <u>वांछनीय:</u> सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का कार्यसाधक ज्ञान
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु/शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत होने वालों के मामले में भी लागू होंगी?	<u>पदोन्नति:</u> लागू नहीं <u>प्रतिनियुक्ति:</u> आयु: 56 वर्ष शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं: हां
9.	परिवीक्षा अवधि	दो वर्ष
10.	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा और भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती के माध्यम से 100%, अन्यथा प्रतिनियुक्ति <u>प्रतिनियुक्ति:</u> केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय/राज्य सरकार/पीएसयू/सीएबी में मूल विभाग में समान पद धारण

		करने वाले व्यक्ति, जिनके पास कॉलम 07 में उल्लिखित आवश्यक योग्यताएं हों।
11.	यदि चयन समिति/डीपीसी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	मानव संसाधन नियमावली के खंड 13 के अनुसार
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन/अल्पकालिक अनुबंध/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती किस श्रेणी से की जानी है?e	लागू नहीं
13.	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं।

वरिष्ठ निजी सचिव के पद के लिए भर्ती नियम [पद कोड – NT/18]

1.	पद का नाम	वरिष्ठ निजी सचिव
2.	पदों की संख्या	एक (1)
3.	वर्गीकरण	समूह A
4.	वेतनमान	सातवें सीपीसी वेतनमान का स्तर-10
5.	क्या यह चयन आधारित पद है या गैर-चयन आधारित पद	चयन पद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	लागू नहीं।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु/शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत होने वालों के मामले में भी लागू होंगी?	<u>पदोन्नति:</u> आयु: कोई आयु सीमा नहीं शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ: हाँ <u>प्रतिनियुक्ति:</u> आयु: 56 वर्ष शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ: हाँ
9.	परिवीक्षा अवधि	दो वर्ष।
10.	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा और भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	पदोन्नति द्वारा 100%, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा। <u>पदोन्नति:</u> आईएमयू में वेतनमान स्तर-8 में 4 वर्ष के अनुभव वाले निजी सचिवों में से, जो रिक्त पद की उपलब्धता और डीपीसी द्वारा मूल्यांकन के अधीन होगा। <u>प्रतिनियुक्ति:</u> किसी भी केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय/राज्य सरकार/पीएसयू/सीएबी में वेतनमान स्तर-8 या इसके समकक्ष पद पर 4 वर्ष के अनुभव वाले निजी सचिवों में से।
11.	यदि चयन समिति/डीपीसी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	मानव संसाधन नियमावली के खंड 13 के अनुसार

12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन/अल्पकालिक अनुबंध/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती किस श्रेणी से की जानी है?	निजी सचिव (सातवें सीपीसी का स्तर-8)
13.	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं।

निजी सचिव के पद के लिए भर्ती नियम [पद कोड – NT/19]

1.	पद का नाम	निजी सचिव
2.	पदों की संख्या	पांच (5)
3.	वर्गीकरण	समूह B
4.	वेतनमान	सातवें सीपीसी वेतनमान का स्तर-8
5.	क्या यह चयन आधारित पद है या गैर-चयन आधारित पद	चयन द्वारा
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	<u>अनिवार्य:</u> <u>शैक्षिक एवं तकनीकी योग्यताएँ:</u> (i) स्नातक की डिग्री। (ii) अंग्रेजी/हिंदी में न्यूनतम 100 शब्द प्रति मिनट की गति से स्टेनोग्राफी में दक्षता। (iii) अंग्रेजी में उच्च/वरिष्ठ श्रेणी की टाइपिंग [45 शब्द प्रति मिनट]। (iv) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में दक्षता। <u>सेवा योग्यता:</u> निजी सहायक या समकक्ष पद से कम से कम 6 वर्ष की नियमित सेवा। <u>वांछनीय:</u> (i) अंग्रेजी में उच्च/वरिष्ठ श्रेणी की शॉर्टहैंड [120 शब्द प्रति मिनट]। (ii) हिंदी में टाइपिंग।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु/शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत होने वालों के मामले में भी लागू होंगी?	<u>पदोन्नति:</u> आयु: कोई आयु सीमा नहीं शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ: हाँ। <u>प्रतिनियुक्ति:</u> आयु: 56 वर्ष। शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ: हाँ।
9.	परिवीक्षा अवधि	लागू नहीं।

10.	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा और भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	पदोन्नति द्वारा 100%, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा। <u>पदोन्नति</u> : रिक्त पद की उपलब्धता और विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मूल्यांकन के अधीन कम से कम 6 वर्ष की नियमित सेवा वाले निजी सहायकों के बीच <u>प्रतिनियुक्ति</u> : किसी भी केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सीएबी में वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 या समकक्ष पद पर निजी सहायक के रूप में 6 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव।
11.	यदि चयन समिति/डीपीसी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	मानव संसाधन नियमावली के खंड 13 के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन/अल्पकालिक अनुबंध/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती किस श्रेणी से की जानी है?e	निजी सहायक (सातवें सीपीसी का स्तर-6)
13.	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं।

निजी सहायक के पद के लिए भर्ती नियम [पद कोड – NT/20]

1.	पद का नाम	निजी सहायक
2.	पदों की संख्या	छह (6)
3.	वर्गीकरण	समूह B
4.	वेतनमान	सातवें सीपीसी वेतनमान का स्तर-6।
5.	क्या यह चयन आधारित पद है या गैर-चयन आधारित पद	लागू नहीं।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	40 वर्ष।
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	<u>अनिवार्य</u> : 1. किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री। 2. अंग्रेजी/हिंदी में न्यूनतम 100 शब्द प्रति मिनट की गति से स्टेनोग्राफी में दक्षता। 3. अंग्रेजी या हिंदी में न्यूनतम 35/30 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइपिंग में दक्षता। 4. कंप्यूटर एप्लिकेशन्स का ज्ञान। 5. केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय/राज्य सरकार/पीएसयू/सीएबी/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में स्टेनोग्राफर के रूप में दो वर्ष का अनुभव। <u>वांछनीय</u> : अंग्रेजी में दक्षता और अच्छा संचार कौशल। कंप्यूटर पर कौशल परीक्षण मानदंड: डिक्टेशन: 10 मिनट @ 100 शब्द प्रति मिनट।

		ट्रांसक्रिप्शन: 40 मिनट अंग्रेजी/55 मिनट हिंदी।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु/शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत होने वालों के मामले में भी लागू होंगी?	पदोन्नति: लागू नहीं प्रतिनियुक्ति: आयु: 56 वर्ष। शैक्षिक योग्यता एवं अन्य योग्यताएँ: हाँ।
9.	परिवीक्षा अवधि	दो वर्ष।
10.	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा और भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती द्वारा 100% नियुक्ति, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सीएबी में मूल विभाग में समान पद धारण करने वाले व्यक्ति, जिनके पास कॉलम 07 में उल्लिखित आवश्यक योग्यताएँ हों।
11.	यदि चयन समिति/डीपीसी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	मानव संसाधन नियमावली के खंड 13 के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन/अल्पकालिक अनुबंध/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती किस श्रेणी से की जानी है?e	लागू नहीं।
13.	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं।

मुख्य छात्रावास वार्डन के पद के लिए भर्ती नियम [पद कोड – NT/21]

1.	पद का नाम	मुख्य छात्रावास वार्डन
2.	पदों की संख्या	तीन (03)
3.	वर्गीकरण	समूह B
4.	वेतनमान	सातवें सीपीसी वेतनमान का स्तर-7
5.	क्या यह चयन आधारित पद है या गैर-चयन आधारित पद	चयन द्वारा
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं।
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	अनिवार्य: भारतीय नौसेना/तटरक्षक बल से नाविक शाखा में पेटी अफसर। (या) भारतीय सेना/अर्धसैनिक बल से हवलदार। (या) भारतीय वायु सेना में सार्जेंट।

8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु/शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत होने वालों के मामले में भी लागू होंगी?	पदोन्नति: आयु: कोई आयु सीमा नहीं शैक्षिक और अन्य योग्यताएं: हां प्रतिनियुक्ति: आयु: 56 वर्ष शैक्षिक और अन्य योग्यताएं: हां
9.	परिवीक्षा अवधि	दो वर्ष।
10.	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा और भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	वरिष्ठ छात्रावास वार्डनों से 100% पदोन्नति की जाएगी जिनके पास आईएमयू में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो, और जो रिक्त पद की उपलब्धता और विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मूल्यांकन के अधीन होगा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति।
11.	यदि चयन समिति/डीपीसी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	मानव संसाधन नियमावली के खंड 13 के अनुसार
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन/अल्पकालिक अनुबंध/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती किस श्रेणी से की जानी है?e	वरिष्ठ छात्रावास वार्डन (स्तर - 06)
13.	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं।

वरिष्ठ छात्रावास वार्डन के पद के लिए भर्ती नियम [पद कोड – NT/22]

1.	पद का नाम	वरिष्ठ छात्रावास वार्डन
2.	पदों की संख्या	छह (06)
3.	वर्गीकरण	समूह B
4.	वेतनमान	सातवें सीपीसी वेतनमान का स्तर-6
5.	क्या यह चयन आधारित पद है या गैर-चयन आधारित पद	चयन द्वारा
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं।
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	आवश्यक: भारतीय नौसेना/तटरक्षक बल से नाविक शाखा में पेट्री अफसर। (या) भारतीय सेना/अर्धसैनिक बल से हवलदार। (या) भारतीय वायु सेना में सार्जेंट।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु/शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत होने वालों के मामले में भी लागू होंगी?	पदोन्नति: आयु: कोई आयु सीमा नहीं शैक्षिक और अन्य योग्यताएं: हां प्रतिनियुक्ति: आयु: 56 वर्ष शैक्षिक और अन्य योग्यताएं: हां

9.	परिवीक्षा अवधि	दो वर्ष।
10.	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा और भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	छात्रावास वार्डन के रूप में कम से कम 6 वर्ष के अनुभव वाले उम्मीदवारों की 100% पदोन्नति, जो रिक्त पद की उपलब्धता और विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मूल्यांकन के अधीन है, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति।
11.	यदि चयन समिति/डीपीसी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	मानव संसाधन नियमावली के खंड 13 के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन/अल्पकालिक अनुबंध/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती किस श्रेणी से की जानी है?	लागू नहीं।
13.	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं।

छात्रावास वार्डन के पद के लिए भर्ती नियम [पद कोड – NT/23]

1.	पद का नाम	छात्रावास वार्डन
2.	पदों की संख्या	आठ (08)
3.	वर्गीकरण	समूह C
4.	वेतनमान	सातवें सीपीसी वेतनमान का स्तर-5
5.	क्या यह चयन आधारित पद है या गैर-चयन आधारित पद	लागू नहीं।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	35 वर्ष।
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	<u>अनिवार्य:</u> भारतीय नौसेना/तटरक्षक बल में नाविक शाखा का पेटी अफसर। (या) भारतीय सेना/अर्धसैनिक बल में हवलदार। (या) भारतीय वायु सेना में सार्जेंट।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु/शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत होने वालों के मामले में भी लागू होंगी?	<u>पदोन्नति:</u> लागू नहीं <u>प्रतिनियुक्ति:</u> आयु: 56 वर्ष शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ: हाँ
9.	परिवीक्षा अवधि	दो वर्ष।

10.	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा और भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती द्वारा 100%, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सीएबी में मूल विभाग में समान पद धारण करने वाले व्यक्ति, जिनके पास कॉलम 07 में उल्लिखित आवश्यक योग्यताएँ हों।
11.	यदि चयन समिति/डीपीसी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	मानव संसाधन नियमावली के खंड 13 के अनुसार
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन/अल्पकालिक अनुबंध/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती किस श्रेणी से की जानी है?	लागू नहीं।
13.	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं।

अधीक्षण अभियंता (सिविल/विद्युत) के पद के लिए भर्ती नियम

[पद कोड – NT/24]

1.	पद का नाम	अधीक्षण अभियंता (सिविल/विद्युत)
2.	पदों की संख्या	एक (1)
3.	वर्गीकरण	समूह A
4.	वेतनमान	सातवें सीपीसी वेतनमान का स्तर-12
5.	क्या यह चयन आधारित पद है या गैर-चयन आधारित पद	चयन पद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	अनिवार्य: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित शाखा में कम से कम 55% अंकों के साथ एम.ई/एम.टेक की डिग्री या समकक्ष सीजीपीए और समूह 'A' पद पर 8 वर्ष की नियमित सेवा, जिसमें से कम से कम 3 वर्ष की नियमित सेवा कार्यकारी अभियंता के रूप में वेतनमान स्तर 11 (पूर्व-संशोधित पीबी-3: जीपी 6600) में हो। या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित शाखा में कम से कम 55% अंकों के साथ बी.ई/बी.टेक की डिग्री या समकक्ष सीजीपीए और समूह 'A' पद पर 10 वर्ष की नियमित सेवा, जिसमें से कम से कम 3 वर्ष की नियमित

		सेवा कार्यकारी अभियंता के रूप में वेतनमान स्तर 11 (पूर्व-संशोधित पीबी-3: जीपी 6600) में हो।
8.	क्या पदोन्नत होने वाले उम्मीदवारों पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु/शैक्षिक योग्यताएं लागू होंगी?	पदोन्नति: आयु: कोई आयु सीमा नहीं शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं: हां। प्रतिनियुक्ति: आयु: 56 वर्ष शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं: हां।
9.	परिवीक्षा अवधि	लागू नहीं
10.	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा और भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	पदोन्नति: आईएमयू में कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले कार्यकारी अभियंता (सिविल/इलेक्ट्रिकल) (वेतन स्तर-11) या आईएमयू में कम से कम 10 वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल/इलेक्ट्रिकल) (वेतन स्तर-10) में से, रिक्त पद की उपलब्धता और विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मूल्यांकन के अधीन। प्रतिनियुक्ति: "समकक्ष पद पर कार्यरत या 7वें सीपीसी के स्तर-11 पर कार्यपालक अभियंता (सिविल/इलेक्ट्रिकल) जो कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा में हों (या) 7वें सीपीसी के स्तर-10 पर सहायक कार्यपालक अभियंता (सिविल/इलेक्ट्रिकल) जो केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय, स्वायत्त शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय/राज्य सरकार/पीएसयू/सीएबी में कम से कम 10 वर्ष की नियमित सेवा में हों।"
11.	यदि चयन समिति/डीपीसी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	मानव संसाधन नियमावली के खंड 13 के अनुसार
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन/अल्पकालिक अनुबंध/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती किस श्रेणी से की जानी है?	कार्यकारी अभियंता (सिविल/विद्युत) (सातवें सीपीसी का स्तर-11) सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल/विद्युत) (सातवें सीपीसी का स्तर-10)
13.	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं।

कार्यकारी अभियंता (सिविल) के पद के लिए भर्ती नियम [पद कोड – NT/25]

1.	पद का नाम	कार्यकारी अभियंता (सिविल)
2.	पदों की संख्या	एक (1)
3.	वर्गीकरण	समूह A
4.	वेतनमान	7वें सीपीसी वेतनमान का स्तर-11
5.	क्या यह चयन आधारित पद है या गैर-चयन आधारित पद	चयन पद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	आवश्यक योग्यता: (i) सिविल इंजीनियरिंग में बी.ई./बी.टेक. (ii) किसी भी केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय/राज्य सरकार/पीएसयू/सीएबी/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल) या इसके समकक्ष पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा।
8.	क्या पदोन्नत होने वाले उम्मीदवारों पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु/शैक्षिक योग्यताएं लागू होंगी?	पदोन्नति: आयु: कोई आयु सीमा नहीं शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं: हाँ। प्रतिनियुक्ति: आयु: 56 वर्ष शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं: हाँ
9.	परिवीक्षा अवधि	लागू नहीं
10.	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा और भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	100% पदोन्नति द्वारा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा। पदोन्नति: आईएमयू में कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल) (वेतन स्तर-10) में, रिक्त पद की उपलब्धता और विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मूल्यांकन के अधीन। प्रतिनियुक्ति: समान पद पर कार्यरत व्यक्ति या 7वें सीपीसी के स्तर-10 पर सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल) जिनके पास केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय/राज्य सरकार/पीएसयू/सीएबी में कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा हो।
11.	यदि चयन समिति/डीपीसी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	मानव संसाधन नियमावली के खंड 13 के अनुसार
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन/अल्पकालिक अनुबंध/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती किस श्रेणी से की जानी है?	सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल) (सातवें सीपीसी का स्तर-10)
13.	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं।

सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल) के पद के लिए भर्ती नियम [पद कोड – NT/26]

1.	पद का नाम	सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल)
2.	पदों की संख्या	पांच (05)
3.	वर्गीकरण	समूह A
4.	वेतनमान	सातवें सीपीसी वेतनमान का स्तर-10।
5.	क्या यह चयन आधारित पद है या गैर-चयन आधारित पद	लागू नहीं।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	40 वर्ष।
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	<u>अनिवार्य:</u> (i) सिविल इंजीनियरिंग में बी.ई./बी.टेक. (ii) भवन, सड़क आदि सहित सिविल कार्यों के निष्पादन, निर्माण और रखरखाव में 5 वर्ष का अनुभव।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु/शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत होने वालों के मामले में भी लागू होंगी?	<u>पदोन्नति:</u> लागू नहीं <u>प्रतिनियुक्ति:</u> आयु: 56 वर्ष शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं: हाँ
9.	परिवीक्षा अवधि	दो वर्ष
10.	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा और भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	100% सीधी भर्ती के माध्यम से, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा। <u>प्रतिनियुक्ति:</u> केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सीएबी में समान पदों पर कार्यरत व्यक्ति, जिनके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री हो और भवन, सड़क आदि सहित सिविल कार्यों के निष्पादन, निर्माण और रखरखाव में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो।
11.	यदि चयन समिति/डीपीसी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	मानव संसाधन नियमावली के खंड 13 के अनुसार
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन/अल्पकालिक अनुबंध/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती किस श्रेणी से की जानी है?	लागू नहीं
13.	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं।

कार्यकारी अभियंता (विद्युत) के पद के लिए भर्ती नियम [पद कोड – NT/27]

1.	पद का नाम	कार्यकारी अभियंता (विद्युत)
2.	पदों की संख्या	एक (1)
3.	वर्गीकरण	समूह A
4.	वेतनमान	7वें सीपीसी वेतनमान का स्तर-11
5.	क्या यह चयन आधारित पद है या गैर-चयन आधारित पद	चयन पद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	<u>अनिवार्य:</u> i. विद्युत अभियांत्रिकी में बी.ई./बी.टेक. ii. किसी भी केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शैक्षणिक /अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय/राज्य सरकार /पीएसयू /सीएबी /सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में सहायक कार्यकारी अभियंता (विद्युत) या इसके समकक्ष पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा।
8.	क्या पदोन्नत होने वाले उम्मीदवारों पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु/शैक्षिक योग्यताएं लागू होंगी?	<u>पदोन्नति:</u> आयु: कोई सीमा नहीं शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं: हाँ। <u>प्रतिनियुक्ति:</u> आयु: 56 वर्ष शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं: हाँ।
9.	परिवीक्षा अवधि	लागू नहीं
10.	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा और भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	100% पदोन्नति द्वारा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा। <u>पदोन्नति:</u> आईएमयू के सहायक कार्यकारी अभियंता (विद्युत) (वेतन स्तर-10) में, जिनके पास आईएमयू में कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा हो, रिक्त पद की उपलब्धता और विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मूल्यांकन के अधीन। <u>प्रतिनियुक्ति:</u> 7वें सीपीसी के स्तर-11 पर समरूप पदों पर कार्यरत व्यक्ति या 7वें सीपीसी के स्तर-10 पर सहायक कार्यकारी अभियंता (विद्युत) के पद पर कार्यरत व्यक्ति, जिनके पास केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय/राज्य सरकार/पीएसयू/सीएबी में कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा हो।
11.	यदि चयन समिति/डीपीसी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	मानव संसाधन नियमावली के खंड 13 के अनुसार
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन/अल्पकालिक अनुबंध/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती किस श्रेणी से की जानी है?	सहायक कार्यकारी अभियंता (विद्युत) (सातवें सीपीसी का स्तर-10)
13.	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं।

सहायक कार्यकारी अभियंता (विद्युत) के पद के लिए भर्ती नियम [पद कोड – NT/28]

1.	पद का नाम	सहायक कार्यकारी अभियंता (विद्युत)
2.	पदों की संख्या	पांच (5)
3.	वर्गीकरण	समूह A
4.	वेतनमान	सातवें सीपीसी वेतनमान का स्तर-10।
5.	क्या यह चयन आधारित पद है या गैर-चयन आधारित पद	लागू नहीं।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	40 वर्ष।
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	<u>अनिवार्य:</u> (i) विद्युत अभियांत्रिकी में बी.ई./ बी.टेक. (ii) हाई टेंशन और लो टेंशन लाइनों, विद्युत रखरखाव, योजना आदि जैसे बड़े विद्युत कार्यों के निष्पादन/पर्यवेक्षण/रखरखाव में 5 वर्ष का अनुभव।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु/शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत होने वालों के मामले में भी लागू होंगी?	<u>पदोन्नति:</u> लागू नहीं। <u>प्रतिनियुक्ति:</u> आयु: 56 वर्ष। शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं: हां।
9.	परिवीक्षा अवधि	दो वर्ष।
10.	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा और भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती के माध्यम से 100%, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा। <u>प्रतिनियुक्ति:</u> केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सीएबी में समान पदों पर कार्यरत व्यक्ति, जिनके पास विद्युत अभियांत्रिकी में डिग्री हो और हाई टेंशन और लो टेंशन लाइनों, विद्युत रखरखाव, योजना आदि जैसे बड़े विद्युत कार्यों के निष्पादन/पर्यवेक्षण/रखरखाव में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो।
11.	यदि चयन समिति/डीपीसी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	मानव संसाधन नियमावली के खंड 13 के अनुसार
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन/अल्पकालिक अनुबंध/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती किस श्रेणी से की जानी है?	लागू नहीं
13.	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं।

चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियम [पद कोड – NT/29]

1.	पद का नाम	चिकित्सा अधिकारी
2.	पदों की संख्या	तीन (3)
3.	वर्गीकरण	समूह A
4.	वेतनमान	सातवें सीपीसी वेतनमान का स्तर-10।
5.	क्या यह चयन आधारित पद है या गैर-चयन आधारित पद	लागू नहीं।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	40 वर्ष
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	<u>अनिवार्य:</u> i. एमसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त एमबीबीएस। ii. मेडिकल कॉलेज/कॉर्पोरेट अस्पताल से संबद्ध अस्पताल में तीन वर्ष का कार्य अनुभव। <u>वांछनीय:</u> एमसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर चिकित्सा योग्यता।
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु/शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत होने वालों के मामले में भी लागू होंगी?	<u>पदोन्नति:</u> लागू नहीं <u>प्रतिनियुक्ति:</u> आयु: 56 वर्ष शैक्षिक और अन्य योग्यताएं: हां <u>अल्पकालिक अनुबंध:</u> आयु: हां शैक्षिक और अन्य योग्यताएं: हां
9	परिवीक्षा अवधि	लागू नहीं
10	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा और भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	100% प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध द्वारा <u>प्रतिनियुक्ति:</u> सरकारी अस्पतालों/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से नियमित आधार पर कार्यरत चिकित्सा अधिकारी, जिनके पास कॉलम 7 में निर्धारित योग्यताएं हों।
11	यदि चयन समिति/डीपीसी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	मानव संसाधन नियमावली के खंड 13 के अनुसार
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन/अल्पकालिक अनुबंध/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती किस श्रेणी से की जानी है?	लागू नहीं
13	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं।

स्टाफ नर्स के पद के लिए भर्ती नियम [पद कोड – NT/30]

1.	पद का नाम	स्टाफ नर्स (ग्रेड III)
2.	पदों की संख्या	छह (6)
3.	वर्गीकरण	समूह B
4.	वेतनमान	सातवें सीपीसी वेतनमान का स्तर-7। आईएमयू में 5 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद स्टाफ नर्स (ग्रेड III) को सातवें सीपीसी के वेतनमान स्तर-8 में रखा जाएगा और उन्हें स्टाफ नर्स ग्रेड-II के रूप में नामित किया जाएगा। यह पदोन्नति संबंधित व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत होगी। आईएमयू में 5 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद स्टाफ नर्स (ग्रेड II) को सातवें सीपीसी के वेतनमान स्तर-9 में रखा जाएगा और उन्हें स्टाफ नर्स ग्रेड-I के रूप में नामित किया जाएगा। यह पदोन्नति संबंधित व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत होगी।
5.	क्या यह चयन आधारित पद है या गैर-चयन आधारित पद	लागू नहीं।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	40 वर्ष।
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	श्रेणी – I (i) भारतीय नर्सिंग परिषद/राज्य नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से बी.एससी (ऑनर्स) नर्सिंग/बी.एससी नर्सिंग। (ii) भारतीय नर्सिंग परिषद/राज्य नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से बी.एससी (पोस्ट-सर्टिफिकेट)/पोस्ट बेसिक बी.एससी नर्सिंग। (iii) राज्य/भारतीय नर्सिंग परिषद में नर्स या नर्स मिडवाइफ के रूप में पंजीकृत। (या) श्रेणी – II (i) भारतीय नर्सिंग परिषद/राज्य नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान/बोर्ड या परिषद से जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में डिप्लोमा। (ii) राज्य/भारतीय नर्सिंग परिषद में नर्स या नर्स मिडवाइफ के रूप में पंजीकृत। (iii) उपर्युक्त शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बाद कम से कम 50 बिस्तरों वाले अस्पताल में 2 वर्ष का अनुभव।

		टिप्पणी - उपर्युक्त दो वर्ष का अनुभव अनिवार्य मानदंड है, और वैध होने के लिए, यह अनुभव आवश्यक योग्यता प्राप्त करने के बाद, यानी पाठ्यक्रम की रेजीडेंसी अवधि पूरी करने, परिणाम घोषित होने और राज्य/भारतीय नर्सिंग परिषद में पंजीकरण के बाद प्राप्त किया जाना चाहिए।
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु/शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत होने वालों के मामले में भी लागू होंगी?	<u>पदोन्नति</u> : लागू नहीं <u>प्रतिनियुक्ति</u> : आयु: 56 वर्ष शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ: हाँ
9	परिवीक्षा अवधि	दो वर्ष।
10	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा और भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	100% सीधी भर्ती द्वारा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा। <u>प्रतिनियुक्ति</u> : केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सीएबी में मूल विभाग में समान पद धारण करने वाले व्यक्ति, जिनके पास कॉलम 07 में उल्लिखित आवश्यक योग्यताएं हों।
11	यदि चयन समिति/डीपीसी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	मानव संसाधन नियमावली के खंड 13 के अनुसार।
12	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन/अल्पकालिक अनुबंध/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती किस श्रेणी से की जानी है?	लागू नहीं।
13	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं।

सिस्टम प्रबंधक के पद के लिए भर्ती नियम [पद कोड – NT/31]

1.	पद का नाम	सिस्टम प्रबंधक
2.	पदों की संख्या	एक (1)
3.	वर्गीकरण	समूह A
4.	वेतनमान	7वें सीपीसी वेतनमान में स्तर-12। आईएमयू में स्तर-12 पर 5 वर्ष की सेवा के बाद, पदाधिकारी को स्तर-13 पर उसी पदनाम के साथ पदोन्नत किया जाएगा और यह पदोन्नति पदाधिकारी के लिए व्यक्तिगत होगी।
5.	क्या यह चयन आधारित पद है या गैर-चयन आधारित पद	चयन पद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	<u>अनिवार्य:</u> 1(a) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग/सूचना प्रौद्योगिकी में न्यूनतम 55% अंकों के साथ एम.ई./एम.टेक.और अनुभव के अंतर्गत उल्लिखित क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव। 1(b) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग/सूचना प्रौद्योगिकी/एमसीए में न्यूनतम 55% अंकों के साथ बी.ई./बी.टेक.और अनुभव के अंतर्गत उल्लिखित क्षेत्र में 8 वर्ष का अनुभव। और (2) अनुभव: सरकारी (या) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (या) प्रशासनिक उपक्रमों (या) विश्वविद्यालय (या) प्रतिष्ठित संगठन में ईडीपी/आईटी केंद्र प्रबंधन में न्यूनतम 3 वर्ष (उपरोक्त कुल अनुभव में से) का अनुभव, वेतन स्तर-10 या उससे ऊपर या समकक्ष (सकल वेतन के संदर्भ में) और निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक क्षेत्रों में: इन-हाउस सॉफ्टवेयर/प्रोग्राम डेवलपमेंट/मैटेनन्स/डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन/नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टालेशन/वेबसाइट/इंट्रानेट डेवलपमेंट और मैटेनन्स/सूचना सुरक्षा में व्यावहारिक कार्य अनुभव। वांछनीय: - ईआरपी में अनुभव। उद्योग मानक सॉफ्टवेयर विकास, कार्यान्वयन और प्रलेखन प्रक्रिया में व्यावहारिक अनुभव।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु/शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत होने वालों के मामले में भी लागू होंगी?	<u>पदोन्नति:</u> आयु: कोई आयु सीमा नहीं शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ: हाँ <u>प्रतिनियुक्ति:</u> आयु: 56 वर्ष शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ: हाँ
9.	परिवीक्षा अवधि	लागू नहीं

10.	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा और भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	100% पदोन्नति द्वारा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा। <u>पदोन्नति:</u> आईएमयू में कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले स्तर-11 के सिस्टम अभियंता (एसजी) में, रिक्त पद की उपलब्धता और विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मूल्यांकन के अधीन। <u>प्रतिनियुक्ति:</u> सातवें सीपीसी के स्तर 12 या उससे ऊपर के समान पद पर कार्यरत व्यक्ति या कॉलम 7 में निर्धारित योग्यता रखने वाले व्यक्ति।
11.	यदि चयन समिति/डीपीसी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	मानव संसाधन नियमावली के खंड 13 के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन/अल्पकालिक अनुबंध/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती किस श्रेणी से की जानी है?	सिस्टम अभियंता (सातवें सीपीसी का स्तर-10)।
13.	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं।

सिस्टम अभियंता के पद के लिए भर्ती नियम [पद कोड – NT/32]

1.	पद का नाम	सिस्टम अभियंता
2.	पदों की संख्या	दो (2)
3.	वर्गीकरण	समूह A
4.	वेतनमान	सातवें सीपीसी वेतनमान का स्तर-10। आईएमयू में स्तर-10 पर 5 वर्ष की सेवा के बाद, पदाधिकारी स्तर-11 पर पदोन्नत हो जाएगा और उसे सिस्टम अभियंता (एसजी) के रूप में नामित किया जाएगा, और यह पदोन्नति पदाधिकारी के लिए व्यक्तिगत होगी।
5.	क्या यह चयन आधारित पद है या गैर-चयन आधारित पद	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति के लिए लागू नहीं। पदोन्नति के मामले में चयन द्वारा।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	40 वर्ष।
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	<u>अनिवार्य:</u> कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग/सूचना प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी के साथ एम.ई./एम.टेक या कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग/सूचना प्रौद्योगिकी में बी.ई./बी.टेक के साथ संबंधित क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु/शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत होने वालों के	<u>पदोन्नति:</u> आयु: कोई आयु सीमा नहीं शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं: हाँ

	मामले में भी लागू होंगी?	प्रतिनियुक्ति: आयु: 56 वर्ष शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ: हाँ
9.	परिवीक्षा अवधि	दो वर्ष
10.	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा और भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	50% सीधी भर्ती द्वारा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा। 50% पदोन्नति द्वारा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा। <u>पदोन्नति:</u> वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर) के पद से पदोन्नति द्वारा 50%, जिनके पास आईएमयू में 7वें सीपीसी के स्तर 8 में न्यूनतम 6 वर्ष की सेवा हो, जो रिक्त पद की उपलब्धता और विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मूल्यांकन के अधीन होगा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा। <u>प्रतिनियुक्ति:</u> 7वें सीपीसी के स्तर 10 पर समरूप पद पर कार्यरत व्यक्ति या वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर) जिनके पास 7वें सीपीसी के स्तर 8 या उससे ऊपर के पद पर न्यूनतम 6 वर्ष की सेवा हो और जो केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय/राज्य सरकार/पीएसयू/सीएबी/विभाग/एनआईसी या परीक्षा आयोजित करने वाले किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकारी संगठन (उदाहरण के लिए सी-डीएसी, एनटीए आदि) में कार्यरत हों।
11.	यदि चयन समिति/डीपीसी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	मानव संसाधन नियमावली के खंड 13 के अनुसार
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन/अल्पकालिक अनुबंध/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती किस श्रेणी से की जानी है?	वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर) (सातवें सीपीसी का स्तर-8)
13.	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं।

वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर) के पद के लिए भर्ती नियम [पद कोड – NT/33]

1.	पद का नाम	वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर)
2.	पदों की संख्या	तीन (3)
3.	वर्गीकरण	समूह B
4.	वेतनमान	7वें सीपीसी के अंतर्गत स्तर-8
5.	क्या यह चयन आधारित पद है या गैर-चयन आधारित पद	चयन पद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएँ	अनिवार्य: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान

		और सूचना प्रौद्योगिकी में इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री। (या) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कंप्यूटर एप्लिकेशन्स में मास्टर डिग्री। और केंद्रीय/राज्य सरकार या विश्वविद्यालयों में संबंधित क्षेत्र में स्तर-6 में न्यूनतम 6 वर्ष का अनुभव। <u>वांछनीय:</u> प्रोग्रामिंग/सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट/डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में अनुभव।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताएं पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगी?	<u>पदोन्नति:</u> आयु: कोई आयु सीमा नहीं शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ: हाँ <u>प्रतिनियुक्ति:</u> आयु: 56 वर्ष शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ: हाँ
9.	परिवीक्षा अवधि	लागू नहीं।
10.	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा और भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	<u>पदोन्नति:</u> सातवें सीपीसी के स्तर-6 में आईएमयू में 6 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके तकनीकी अधिकारियों (हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर) की 100% पदोन्नति रिक्ति की उपलब्धता और विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मूल्यांकन के अधीन होगी, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी। <u>प्रतिनियुक्ति:</u> सातवें सीपीसी के स्तर-8 में समान पद पर कार्यरत व्यक्ति या केंद्र/राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/सीएवी में सातवें सीपीसी के स्तर-6 या इसके समकक्ष पद पर 6 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके तकनीकी अधिकारी (हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर)।
11.	यदि चयन समिति/डीपीसी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	मानव संसाधन नियमावली के खंड 13 के अनुसार
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन/अल्पकालिक अनुबंध/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती किस श्रेणी से की जानी है?	तकनीकी अधिकारी (हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर) (सातवें सीपीसी का स्तर 6)
13.	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं।

तकनीकी अधिकारी (हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर) के पद के लिए भर्ती नियम [पद कोड – NT/34]

1.	पद का नाम	तकनीकी अधिकारी (हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर)
2.	पदों की संख्या	पांच (5)
3.	वर्गीकरण	समूह B
4.	वेतनमान	सातवें सीपीसी के तहत स्तर-6
5.	क्या यह चयन आधारित पद है या गैर-चयन आधारित पद	लागू नहीं।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	40 वर्ष।
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	अनिवार्य: कंप्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में बी.ई./बी.टेक. के साथ एक वर्ष का अनुभव। या संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम तीन वर्ष के अनुभव के साथ कंप्यूटर विज्ञान में बी.सी.ए./बी.एससी.।
8.	क्या पदोन्नत होने वाले कर्मचारियों के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु/शैक्षणिक योग्यताएं लागू होंगी?	पदोन्नति: लागू नहीं प्रतिनियुक्ति: आयु: 56 वर्ष
9.	परिवीक्षा अवधि	दो वर्ष
10.	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा और भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	100% सीधी भर्ती द्वारा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सीएबी में मूल विभाग में समान पद धारण करने वाले व्यक्ति, जिनके पास कॉलम 07 में उल्लिखित आवश्यक योग्यताएं हों।
11.	यदि चयन समिति/डीपीसी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	मानव संसाधन नियमावली के खंड 13 के अनुसार
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन/अल्पकालिक अनुबंध/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती किस श्रेणी से की जानी है?	लागू नहीं।
13.	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं।

स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी) (ओजी) के पद के लिए भर्ती नियम [पद कोड – NT/35]

1.	पद का नाम	स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी) (ओजी)
2.	पदों की संख्या	तीन (3)
3.	वर्गीकरण	समूह C
4.	वेतनमान	सातवें सीपीसी वेतनमान का स्तर-3। आईएमयू में वेतन स्तर-3 पर स्टाफ कार ड्राइवर (ओजी) के रूप में 5 वर्ष की सेवा के बाद, पदाधिकारी वेतन स्तर-4 पर पदोन्नत होगा और उसे ड्राइवर ग्रेड-II के रूप में नामित किया जाएगा। आईएमयू में वेतन स्तर-4 पर ड्राइवर ग्रेड-II के रूप में 5 वर्ष की सेवा के बाद, पदाधिकारी वेतन स्तर-5 पर पदोन्नत होगा और उसे ड्राइवर ग्रेड-I के रूप में नामित किया जाएगा।
5.	क्या यह चयन आधारित पद है या गैर-चयन आधारित पद	लागू नहीं।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	35 वर्ष।
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	<u>आवश्यक योग्यताएँ:</u> (i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण। [और] (ii) मोटर वाहन (कार/जीप/श्री-व्हीलर) और भारी मोटर वाहनों का वैध ड्राइविंग लाइसेंस। [और] (iii) मोटर वाहन चलाने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताएं पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगी?	<u>पदोन्नति:</u> लागू नहीं <u>प्रतिनियुक्ति:</u> आयु: 56 वर्ष शैक्षिक और अन्य योग्यताएँ: हाँ
9.	परिवीक्षा अवधि	दो वर्ष
10.	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा और भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	100% सीधी भर्ती द्वारा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा। <u>प्रतिनियुक्ति:</u> केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सीएबी में मूल विभाग में समान पद धारण करने वाले व्यक्ति, जिनके पास कॉलम 07 में उल्लिखित आवश्यक योग्यताएं हों।
11.	A. यदि चयन समिति/डीपीसी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	मानव संसाधन नियमावली के खंड 13 के अनुसार
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन/अल्पकालिक अनुबंध/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती किस श्रेणी से की जानी है?	लागू नहीं।
13.	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं।

कानूनी अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियम [पद कोड – NT/36]

1.	पद का नाम	कानूनी अधिकारी
2.	पदों की संख्या	एक (01)
3.	वर्गीकरण	समूह B
4.	वेतनमान	सातवें सीपीसी वेतनमान का स्तर-8
5.	क्या यह चयन आधारित पद है या गैर-चयन आधारित पद	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	40 वर्ष
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	<u>अनिवार्य:</u> मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/प्रतिष्ठित संस्थान से लॉ में डिग्री और कानूनी संबंधी कार्यों, बौद्धिक संपदा अधिकार दावों को प्रस्तुत करने और उनकी निगरानी करने के क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव। <u>वांछनीय:</u> राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों जैसे IITs/IISERs/IISC/NITs या इसी प्रकार के केंद्रीय सरकारी संस्थानों में अनुभव। कंप्यूटर एप्लिकेशन्स का कार्यसाधक ज्ञान।
8.	क्या पदोन्नत होने वाले उम्मीदवारों पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु/शैक्षिक योग्यताएं लागू होंगी?	<u>पदोन्नति:</u> लागू नहीं <u>प्रतिनियुक्ति:</u> आयु सीमा: 56 वर्ष शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं: हाँ
9.	परिवीक्षा अवधि	दो वर्ष।
10.	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा और भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	100% सीधी भर्ती द्वारा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा। <u>प्रतिनियुक्ति:</u> ऐसे व्यक्ति के लिए जो 7वें सीपीसी के वेतन स्तर-8 में नियमित आधार पर समान पद पर कार्यरत हो या जिसके पास सहायक अनुभाग अधिकारी (कानूनी) के रूप में 6 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो या वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 में समकक्ष पद पर कार्यरत हो या केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय/राज्य सरकार/पीएसयू/सीएबी में समकक्ष पद पर कार्यरत हो।
11.	यदि चयन समिति/डीपीसी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	मानव संसाधन नियमावली के खंड 13 के अनुसार
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन/अल्पकालिक अनुबंध/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती किस श्रेणी से की जानी है?	लागू नहीं
13.	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं।

संचार प्रबंधक के पद के लिए भर्ती नियम [पोस्ट कोड – NT/37]

1.	पद का नाम	संचार प्रबंधक
2.	पदों की संख्या	एक (1)
3.	वर्गीकरण	समूह A
4.	वेतनमान	सातवें सीपीसी वेतनमान का स्तर-12
5.	क्या यह चयन आधारित पद है या गैर-चयन आधारित पद	लागू नहीं।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	50 वर्ष
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	अनिवार्य: i) कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री या यूजीसी के सात-बिंदु पैमाने पर इसके समकक्ष ग्रेड B और जनसंपर्क/पत्रकारिता/मीडिया रिलेशनस में डिग्री/डिप्लोमा या समकक्ष प्रासंगिक योग्यता। ii) "केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शैक्षिक/अनुसंधान संस्थान, केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs)/केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CABs) में 7वें वेतन आयोग के वेतन स्तर 10 या उसके समकक्ष वेतन स्तर पर जनसंपर्क में 5 साल का अनुभव।" वांछनीय: हिंदी और तमिल का ज्ञान।
8.	क्या पदोन्नत होने वाले उम्मीदवारों पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु/शैक्षिक योग्यताएं लागू होंगी?	पदोन्नति: लागू नहीं प्रतिनियुक्ति: आयु सीमा: 56 वर्ष शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ: कोई नहीं अल्पकालिक अनुबंध: आयु सीमा: हाँ शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ: हाँ
9.	परिवीक्षा अवधि	लागू नहीं।
10.	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा और भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध द्वारा 100% प्रतिनियुक्ति: भारतीय सूचना सेवा के वे अधिकारी जिनकी सेवा में 7वें सीपीसी के वेतनमान-10 या उससे ऊपर 5 वर्ष का अनुभव हो।
11.	यदि चयन समिति/डीपीसी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	मानव संसाधन नियमावली के खंड 13 के अनुसार
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन/अल्पकालिक अनुबंध/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती किस श्रेणी से की जानी है?	लागू नहीं।
13.	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं।

भाग-III: भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के लिए परिशिष्ट में उल्लिखित अध्यादेशों को इसके द्वारा निरस्त किया जाता है।

भाग-III: भर्ती एवं पदोन्नति नियम के लिए परिशिष्ट
निरस्त अध्यादेशों की सूची

क्रमांक	पद का नाम	भर्ती नियमों को निर्धारित करते अध्यादेश
1	उप पुस्तकालयाध्यक्ष	अध्यादेश 04, 2017
2	उप वित्त अधिकारी	अध्यादेश 02, 2014
3	कार्यकारी अभियंता (सिविल)	अध्यादेश 29, 2015
4	उप रजिस्ट्रार	अध्यादेश 36, 2015
5	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	अध्यादेश 79, 2015
6	सहायक रजिस्ट्रार	अध्यादेश 37, 2015
7	सहायक रजिस्ट्रार (वित्त)	अध्यादेश 38, 2015
8	सहायक अभियंता (सिविल/विद्युत)	अध्यादेश 30, 2015
9	संचार प्रबंधक (पीआरओ)	क्रमांक 28, अध्याय 9 (राजपत्र 76 दिनांक 12.05.2009)
10	सिस्टम प्रबंधक	अध्यादेश 03, 2020
11	चिकित्सा अधिकारी	(क्रमांक 52, अध्याय 9) (राजपत्र 76 दिनांक 12.05.2009)
12	अनुभाग अधिकारी	अध्यादेश 05, 2015
13	अनुभाग अधिकारी (वित्त)	अध्यादेश 04, 2015
14	निजी सचिव	अध्यादेश 10, 2015
15	निजी सहायक	अध्यादेश 11, 2015
16	वरिष्ठ सहायक	अध्यादेश 08, 2015
17	वरिष्ठ सहायक (वित्त)	अध्यादेश 09, 2015
18	वरिष्ठ तकनीकी/प्रोग्राम सहायक	(क्रम संख्या 34 एवं 35, अध्याय 9) (राजपत्र 76 दिनांक 12.05.2009)
19	पुस्तकालय सहायक	अध्यादेश 33, 2015
20	स्टाफ नर्स	(क्रम संख्या 53, अध्याय 9) (राजपत्र 76 दिनांक 12.05.2009)
21	सहायक	अध्यादेश 39, 2015
22	सहायक (वित्त)	अध्यादेश 40, 2015
23	ड्राइवर	(क्रम संख्या 66, अध्याय 9) (राजपत्र 76 दिनांक 12.05.2009)
24	छात्रावास वार्डन	अध्यादेश 32, 2015
25	समुद्री कौशल प्रयोगशाला के लिए वरिष्ठ तकनीशियन	अध्यादेश 43, 2015
26	विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रयोगशाला के लिए वरिष्ठ तकनीशियन	अध्यादेश 42, 2015
27	नेविगेशन प्रयोगशाला के लिए वरिष्ठ तकनीशियन	अध्यादेश 44, 2015
28	नवल आर्किटेक्चर प्रयोगशाला के लिए वरिष्ठ तकनीशियन	अध्यादेश 45, 2015
29	हाइड्रोलिक्स एवं न्यूमेटिक्स प्रयोगशाला के लिए वरिष्ठ तकनीशियन	अध्यादेश 46, 2015

30	अनुप्रयुक्त यांत्रिकी प्रयोगशाला के लिए वरिष्ठ तकनीशियन	अध्यादेश 47, 2015
31	इंस्ट्रुमेंटेशन, ऑटोमेशन और कंट्रोल इंजीनियरिंग प्रयोगशाला के लिए वरिष्ठ तकनीशियन	अध्यादेश 48, 2015
32	ऊष्मागतिकी और बायोलर रसायन विज्ञान प्रयोगशाला के लिए वरिष्ठ तकनीशियन	अध्यादेश 49, 2015
33	समुद्री भौतिकी प्रयोगशाला के लिए वरिष्ठ तकनीशियन	अध्यादेश 50, 2015
34	कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक (रसायन विज्ञान)	अध्यादेश 51, 2015
35	कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक (भौतिकी)	अध्यादेश 52, 2015
36	फिटिंग और बेसिक वर्कशॉप के लिए वरिष्ठ तकनीशियन	अध्यादेश 53, 2015
37	समुद्री कार्यशाला (डीजल/पावर और रखरखाव) के लिए वरिष्ठ तकनीशियन	अध्यादेश 54, 2015
38	मशीन शॉप के लिए वरिष्ठ तकनीशियन	अध्यादेश 55, 2015
39	वेल्डिंग और गैस कटिंग कार्यशाला के लिए वरिष्ठ तकनीशियन	अध्यादेश 56, 2015
40	बायोलर शिप के लिए वरिष्ठ तकनीशियन	अध्यादेश 57, 2015
41	अग्निशमन प्रशिक्षक	अध्यादेश 58, 2015
42	अग्निशमन सहायक	अध्यादेश 59, 2015
43	'फ़ास्ट रेस्क्यू बोट्स के अलावा जीवन रक्षा शिल्प और बचाव नौकाओं में दक्षता' (पीएससीआरबी) प्रशिक्षण अधिकारी	अध्यादेश 60, 2015
44	'फ़ास्ट रेस्क्यू बोट्स के अलावा जीवन रक्षा शिल्प और बचाव नौकाओं में दक्षता' (पीएससीआरबी) प्रयोगशाला प्रशिक्षक	अध्यादेश 61, 2015
45	स्टेनोटाइपिस्ट के पद के लिए भर्ती नियम	अध्यादेश 41, 2015
46	शारीरिक प्रशिक्षण-सह-तैराकी प्रशिक्षक	अध्यादेश 31, 2015

ध्यान दें: उपरोक्त के अतिरिक्त, राजपत्र 2009 के 76 के अध्याय 9 में उल्लिखित गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए भर्ती नियम इसके द्वारा निरस्त किए जाते हैं।

अध्याय - II

भर्ती

मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)

मानक संचालन प्रक्रिया**परिचय:**

इस मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का उद्देश्य भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (आईएमयू) में संकाय/कर्मचारियों के चयन के लिए चरण-दर-चरण दिशानिर्देश स्थापित करना है। इस एसओपी में निर्धारित प्रक्रियाओं का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए।

दायरा:

यह एसओपी केवल आईएमयू के गैर-शिक्षण पदों की नियमित भर्ती के लिए लागू है।

भर्ती प्रक्रिया के चरण:

1. रिक्तियों की पहचान
2. भर्ती नियमों के अनुसार भर्ती के तरीके/विधि की पहचान
3. आरक्षण सूची के अनुसार आरक्षण बिंदुओं की पहचान
4. बिंदु 2 और 3 में निर्धारित विधि और आरक्षण बिंदुओं के आधार पर पद भरने के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति।
5. ई-समर्थ पोर्टल में एप्लिकेशन का डिज़ाइन और विकास / यदि कोई तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाता है, तो ऑनलाइन भर्ती पोर्टल के लिए बीआरएस (व्यावसायिक आवश्यकता विनिर्देश) प्रदान करना।
6. आवेदनों का परीक्षण
7. समाचार पत्रों और रोजगार समाचारों में विज्ञापन का प्रकाशन
8. भर्ती नियमों और उम्मीदवारों के लिए सामान्य निर्देशों के साथ विज्ञापन को आईएमयू वेबसाइट पर प्रकाशित करना।
9. प्रश्न पत्र प्रबंधन, यदि लागू हो।
10. आवेदन प्राप्त करना (न्यूनतम 21 दिन और अधिकतम 60 दिन या आवश्यकता पड़ने पर आगे बढ़ाना)।
11. लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को सूचनापत्र जारी करना, यदि लागू हो।
12. लिखित परीक्षा का संचालन
13. प्रश्न पत्र की समीक्षा
14. लिखित परीक्षा के प्रारंभिक परिणाम की प्रक्रिया
15. लिखित परीक्षा के अंतिम परिणाम की प्रक्रिया
16. साक्षात्कार के लिए विशेषज्ञ जांच समिति/जांच समिति (जैसा भी मामला हो) द्वारा उम्मीदवारों की आगे की प्रक्रिया हेतु शॉर्टलिस्टिंग (संक्षिप्त सूची बनाना)
17. साक्षात्कार के लिए चयनित उम्मीदवारों को सूचना-पत्र जारी करना
18. साक्षात्कार का संचालन
19. चयन समिति का कार्यवृत्त/लिखित परीक्षा के अंतिम परिणाम को नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना
20. नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन पर वेबसाइट पर परिणाम प्रकाशित करना
21. चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करना
22. कार्यभार ग्रहण करने की औपचारिकताएं
23. आरक्षण सूची का अद्यतन
24. नव नियुक्त कर्मचारियों का परिचय कार्यक्रम

भर्ती मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) एक गतिशील दस्तावेज है। संबंधित अधिकारियों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से इसे अद्यतन किया जा सकता है।

A. भर्ती के सामान्य नियम एवं शर्तें:

- i) सेवारत उम्मीदवारों के लिए: उन्हें संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी 'सतर्कता मंजूरी प्रमाण पत्र' के साथ उचित माध्यम से आवेदन जमा करना होगा। वे आवेदन की अग्रिम प्रति भेज सकते हैं। यदि किसी कारणवश लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के समय तक उनका आवेदन अग्रेषित नहीं होता है, तो उन्हें लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के समय नियोक्ता से सीलबंद लिफाफे में 'सतर्कता मंजूरी प्रमाण पत्र' के साथ 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्रस्तुत करना होगा।
- ii) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए आवेदन नियोक्ता द्वारा पिछले पांच वर्षों की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर)/एसीआर और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित सतर्कता मंजूरी प्रमाण पत्र के साथ अग्रेषित किया जाएगा।
- iii) उम्मीदवार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह निर्धारित योग्यता, अनुभव आदि के अनुसार अपने द्वारा आवेदन किए जा रहे पद के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित करे।
उम्मीदवार विज्ञापन के अनुसार विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र, अपेक्षित जानकारी और दस्तावेजों के साथ जमा कर सकता है।
उम्मीदवारों द्वारा जानकारी छिपाना, जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना, झूठी या भ्रामक जानकारी देना या किसी भी प्रकार से पैरवी करना अयोग्यता का कारण बनेगा।
यदि भविष्य में, नियुक्ति के बाद भी, यह ज्ञात होता है कि उम्मीदवार पात्र नहीं था, तो उसे तत्काल सेवामुक्त किया जा सकता है। यह नियुक्ति पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लिखित होगा।
- iv) आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के अधीन होगी। यदि कोई दस्तावेज झूठा/नकली/गलत पाया जाता है, तो उसे तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- v) नियुक्ति के बाद भी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। यदि कोई दस्तावेज झूठा/नकली/गलत पाया जाता है, तो उम्मीदवार के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी नियुक्ति रद्द की जा सकती है, आदि।
- vi) किसी उम्मीदवार की नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के अधीन होगी। चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की रिपोर्ट पूर्ण होने तक, नियुक्ति को अनंतिम माना जाएगा। यदि उसके आचरण, चरित्र, पूर्ववृत्त आदि से संबंधित रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है, तो नियुक्ति तत्काल रद्द कर दी जाएगी।
- vii) किसी भी उम्मीदवार की ओर से किसी भी रूप में प्रचार करना अयोग्यता माना जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- viii) कार्यभार ग्रहण करने से पहले, चयनित उम्मीदवार को मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा:
समूह B और C पदों के लिए: प्रमाण पत्र पर सिविल सर्जन या चिकित्सा अधीक्षक/निदेशक के हस्ताक्षर होने चाहिए।
समूह A पदों के लिए: प्रमाण पत्र किसी सरकारी अस्पताल या सरकारी सीजीएचएस पैनल में शामिल अस्पताल के चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किया जाना चाहिए।

- ix) नियुक्ति की शर्तों और नियम चयनित उम्मीदवारों को 'नियुक्ति प्रस्ताव' के रूप में सूचित किए जाएंगे। यदि उम्मीदवार निर्धारित समय के भीतर नियुक्ति प्रस्ताव में उल्लिखित शर्तों और नियमों को स्वीकार नहीं करता है, तो प्रस्ताव वापस लिया हुआ माना जाएगा।
- x) चयनित उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार, समय-समय पर संशोधित नियमों के अनुसार, कर्तव्यों का पालन करना होगा। विश्वविद्यालय किसी भी समय, यहां तक कि गैर-कार्य समय/छुट्टियों के दौरान भी, स्थिति की आवश्यकता के अनुसार कोई भी कर्तव्य सौंपने के लिए स्वतंत्र होगा, जो कर्मचारी को करना होगा।
- xi) भर्ती के समय, विश्वविद्यालय और संबंधित कर्मचारी के बीच एक लिखित अनुबंध निष्पादित किया जाएगा और उसकी एक प्रति रजिस्ट्रार के पास रखी जाएगी। ऐसे सेवा अनुबंध, जहां लागू हो, गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर तैयार किए जाएंगे।
- xii) परीक्षा या साक्षात्कार के समय उम्मीदवार को अपनी आयु, योग्यता, अनुभव आदि से संबंधित सभी मूल प्रमाण पत्र लाने होंगे। यदि उम्मीदवार प्रमाणित फोटोकॉपी (अपने आवेदन के साथ संलग्न) के सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसे परीक्षा/साक्षात्कार में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
- xiii) रिक्तियों का विवरण विज्ञापन में दिया जाएगा। विश्वविद्यालय संभावित रिक्तियों का विवरण भी शामिल कर सकता है।
- xiv) विश्वविद्यालय किसी भी कारण से विज्ञापित पदों को भरने या न भरने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- xv) विश्वविद्यालय बिना कोई कारण बताए किसी भी समय विज्ञापन को आंशिक या पूर्ण रूप से वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- xvi) यदि विश्वविद्यालय किसी पद के लिए कोई विज्ञापन वापस लेता है, तो उम्मीदवारों से एकत्र किया गया आवेदन शुल्क उचित अवधि के भीतर वापस कर दिया जाएगा।
- xvii) किसी भी पद के लिए पात्रता मानदंड से संबंधित किसी भी अस्पष्टता की स्थिति में, कार्यकारी परिषद का निर्णय अंतिम होगा।

B. समायोजन की प्रयोज्यता:

प्रतिनियुक्ति पर भर्ती किए गए उम्मीदवारों को निम्नलिखित मानदंडों के पूरा होने पर समायोजन के लिए विचार किया जाएगा:

- (i) भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में 'समायोजन खंड' का उल्लेख हो।
- (ii) पद जिसके लिए विज्ञापन दिया गया है, वह सीधी भर्ती के अंतर्गत उपलब्ध रिक्त पद के विरुद्ध हो।
- (iii) कर्मचारी ने प्रतिनियुक्ति पर विश्वविद्यालय में तीन वर्ष की सेवा सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
- (iv) कर्मचारी द्वारा समायोजन के लिए स्वीकृति।
- (v) मूल संगठन द्वारा विलय के लिए सहमति

C. पाठ्यक्रम, सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक:**1. अनुभव रहित पदों के लिए पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगा:**

सामान्य अंग्रेजी	– 25 अंक
संख्यात्मक योग्यता	– 25 अंक
तार्किक तर्क	– 25 अंक
सामान्य ज्ञान	– 25 अंक
कंप्यूटर अवेरनेस	– 20 अंक

2. अनुभव सहित के पदों के लिए पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगा:

सामान्य अंग्रेजी	– 25 अंक
संख्यात्मक योग्यता और तार्किक तर्क	– 25 अंक
कंप्यूटर अवेरनेस	– 15 अंक
सामान्य ज्ञान	– 15 अंक
संबंधित क्षेत्र में डोमेन ज्ञान	– 40 अंक

नोट:

- i. सभी भर्तियों के लिए, जहां लागू हो, परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।
- ii. लिखित परीक्षा: किसी भी माध्यम से परीक्षा की अवधि दो घंटे होगी, दिव्यांगजन उम्मीदवारों को मौजूदा नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी।
- iii. लिखित परीक्षा: कंप्यूटर आधारित परीक्षा/ पेन और पेपर/ अन्य माध्यम।
- iv. परीक्षाएं: अधिमानतः बहुविकल्पीय प्रश्न आधारित।
- v. सभी परीक्षाएं सामान्यतः अंग्रेजी में होंगी।
- vi. कौशल परीक्षाएं: अवधि और विधि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी।

3. लिखित परीक्षा के लिए अर्हता अंक

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए: अधिकतम अंकों का 45%

अन्य के लिए: अधिकतम अंकों का 50%

केवल लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को ही कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

4. कौशल परीक्षा के लिए योग्यता अंक

आगे की चयन प्रक्रिया में कौशल परीक्षा में योग्यता अंक निम्नानुसार होंगे:

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए: अधिकतम अंकों का 45%

अन्य के लिए: अधिकतम अंकों का 50%

5. साक्षात्कार के लिए चयन

सीधी भर्ती: प्रत्येक विज्ञापित पद (श्रेणीवार) के लिए लिखित परीक्षा के अनुसार योग्यता क्रम में 1:10 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति: प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर, कुलपति लिखित परीक्षा आयोजित करने, अन्य साधनों का उपयोग करने या सीधे साक्षात्कार के लिए बुलाने का निर्णय लेने के लिए अधिकृत हैं।

D. आरक्षित पैनल/प्रतीक्षा सूची

- i. विज्ञापित प्रत्येक पद के लिए (श्रेणीवार) केवल ऊर्ध्वाधर आरक्षण के लिए 1:3 के अनुपात में आरक्षित पैनल/प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी, बशर्ते उम्मीदवार लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा/साक्षात्कार में उत्तीर्ण हों।
- ii. आरक्षित पैनल/प्रतीक्षा सूची तब लागू होगी जब कोई उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है या यदि कोई उम्मीदवार कार्यभार ग्रहण करने के बाद आरक्षित पैनल/प्रतीक्षा सूची की स्वीकृति तिथि से एक वर्ष के भीतर इस्तीफा दे देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है।
- iii. क्षेत्रीय आरक्षण के लिए कोई आरक्षित पैनल/प्रतीक्षा सूची नहीं बनाई जाएगी।
- iv. यदि, किसी उम्मीदवार के निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यभार ग्रहण न करने के कारण क्षेत्रीय आरक्षण के अंतर्गत कोई रिक्त पद उत्पन्न होता है, तो संबंधित आरक्षित पैनल के ऊर्ध्वाधर आरक्षण से प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी।

अध्याय - III

मार्गदर्शन नीति

आईएमयू के शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए मेंटरिंग नीति दिशानिर्देश

NAVIC HR के अंतर्गत एक पहल के रूप में, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (आईएमयू) ने शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों के व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक संरचित मेंटरिंग ढांचा स्थापित करने हेतु यह मेंटरिंग नीति जारी की है। इस नीति का उद्देश्य सहयोग, समर्थन और निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देना है, जिससे अंततः बेहतर प्रदर्शन और कार्य संतुष्टि प्राप्त हो सके।

दायरा

यह नीति आईएमयू के सभी शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों पर लागू होती है, जिनमें शामिल हैं:

- i. नए कर्मचारी
- ii. व्यावसायिक विकास चाहने वाले मौजूदा कर्मचारी
- iii. नई भूमिकाओं या जिम्मेदारियों में स्थानांतरण करने वाले कर्मचारी

उद्देश्य

- i. विश्वविद्यालय में नए कर्मचारियों के एकीकरण को सुगम बनाने के लिए उन्हें मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करना।
- ii. शिक्षण कौशल, प्रशासनिक दक्षताओं और नेतृत्व गुणों के विकास को बढ़ावा देना।
- iii. कर्मचारियों के बीच सहयोग और ज्ञान साझाकरण को प्रोत्साहित करना।
- iv. सहायक संबंधों के माध्यम से कर्मचारी संतुष्टि और प्रतिधारण को बढ़ाना।

मेंटरशिप की संरचना

A. मेंटर का चयन

- i. मेंटरों के पास प्रासंगिक अनुभव, विशेषज्ञता और दूसरों का समर्थन करने की तत्परता होनी चाहिए। उनमें प्रभावी संचार कौशल, सहानुभूति और व्यावसायिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए।
- ii. इच्छुक संकाय/कर्मचारी औपचारिक आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से मेंटर बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- iii. मेंटर एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम में भाग लेंगे जिसमें मेंटरिंग के सर्वोत्तम तरीके, संचार कौशल और लक्ष्य निर्धारण रणनीतियाँ शामिल होंगी।

B. मेंटी का चयन

- i. सभी नए संकाय/कर्मचारी।
- ii. यदि आवश्यक हो, तो मौजूदा संकाय/कर्मचारी।
- iii. (मेंटर + मेंटी) की जोड़ी बनाने की प्रक्रिया में मेंटी की विशिष्ट आवश्यकताओं, लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के साथ-साथ मेंटर की विशेषज्ञता को भी ध्यान में रखा जाएगा। जोड़ी का चयन संकीर्ण सोच से रहित होगा।

C. मेंटी का ओरिएंटेशन

- i. नए संकाय/कर्मचारियों को अनिवार्य इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करना होगा जो उन्हें आईएमयू के उद्देश्यों, दृष्टिकोण, मिशन, संस्कृति, नीतियों और अपेक्षाओं से परिचित कराएगा।
- ii. मेंटी (नए/मौजूदा) को अपने मेंटरशिप संबंध के लिए विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध (SMART) लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

मेंटरशिप प्रक्रिया

- i. शुरुआत में, मेंटर और मेंटी मिलकर स्पष्ट लक्ष्य, अपेक्षाएँ और संचार योजना पर चर्चा करेंगे और मेंटर और मेंटी के बीच तालमेल और विश्वास बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
- ii. निर्धारित बैठकें सप्ताह में कम से कम एक बार होंगी, जहाँ आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बैठकों की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
- iii. बैठकों में लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति, सामने आई चुनौतियों और प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया पर चर्चा होनी चाहिए।

- iv. मेंटर और मेंटी दोनों सुधार के लिए अपने विचार और सुझाव साझा करेंगे। ये सुझाव नियमित बातचीत, जैसे कि फोन कॉल या अनौपचारिक मुलाकातों के दौरान अनौपचारिक रूप से दिए जा सकते हैं।

जवाबदेही और मूल्यांकन

- i. मेंटरिंग कार्यक्रम की प्रभावशीलता का आकलन करने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए ऑनलाइन मूल्यांकन, सर्वेक्षण और प्रतिभागियों से प्राप्त प्रतिक्रिया के माध्यम से समय-समय पर इसका मूल्यांकन किया जाएगा।

कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण

- i. आईएमयू, मेंटरों और रिपोर्टिंग अधिकारियों की प्रतिक्रिया के आधार पर, विशिष्ट कौशल कमियों को दूर करने और शिक्षण पद्धतियों, प्रशासनिक कौशल और नेतृत्व जैसे क्षेत्रों में व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए संकाय/कर्मचारियों को कार्यशालाओं और प्रशिक्षण सत्रों के लिए नामांकित करेगा। राज्य प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मिशन कर्मयोगी के तहत विकसित ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म आईजीओटी [एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण] का भी इस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा।

मान्यता

- i. महत्वपूर्ण प्रगति और योगदान प्रदर्शित करने वाले मेंटर्स और मेंटीज़ को प्रमाणपत्रों के माध्यम से या विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों के दौरान सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाएगा।

गोपनीयता

- i. मेंटर्स और मेंटीज़ के बीच सभी चर्चाओं को गोपनीय रखा जाएगा ताकि विश्वास और सम्मान का संबंध बना रहे।
ii. मेंटर्स और मेंटीज़ को व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के संबंध में सीमाएं तय करनी चाहिए।

इस नीति का उद्देश्य एक सहायक वातावरण बनाना है जो व्यावसायिक विकास, कर्मचारी संतुष्टि को बढ़ावा दे और शिक्षा एवं प्रशासन की गुणवत्ता को बढ़ाकर आईएमयू के समग्र प्रदर्शन में सुधार करे।

अप्रवर्तनीयता खंड

मेंटरशिप कार्यक्रम में भागीदारी का उद्देश्य केवल प्रदर्शन और कार्य संतुष्टि को बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना है, और मेंटरशिप कार्यक्रम के दौरान प्रदान किया गया ऐसा कोई भी मार्गदर्शन और सहायता विश्वविद्यालय और मेंटरिंग स्टाफ की ओर से कोई संविदात्मक दायित्व नहीं है।

यह मार्गदर्शन किसी भी संबंधित व्यक्ति के औपचारिक रोजगार अनुबंध का हिस्सा नहीं माना जाएगा और न ही आईएमयू और संबंधित व्यक्तियों के बीच कोई कानूनी या बाध्यकारी दायित्व उत्पन्न करेगा।

के. सरवणन, कुलसचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./672/2025-26]

INDIAN MARITIME UNIVERSITY**NOTIFICATION**

Chennai, the 6th February, 2026

No. IMU/HQ/ADM/Notification/2026/03.— in exercise of the powers conferred by Section 47 (1) of the Indian Maritime University Act, 2008 (22 of 2008), the following Notification is published for general information:

#	Ordinance/Notification	Description	Executive Council Resolution
1.	Ordinance 06 of 2020	Recruitment Rule for the post of Finance Officer	[EC 2020-57-06 dated 18-12-2020 amended vide EC 2025-87-01 dated 21.11.2025]
2.	Ordinance 01 of 2026	‘IMU HR Manual 2025’ Non-Teaching Employees’.	[EC 2025-87-04 dated 21.11.2025]

Note: In case of discrepancy between English and Hindi version of this document, the English version shall prevail.

Amended Ordinance 06 of 2020 [Para 7 & 10]

[EC 2020-57-06 dated 18.12.2020 amended vide EC 2025-87-01 dated 21.11.2025]

Recruitment Rules for the post of Finance Officer

07	Ordinance 06 of 2020 <u>Recruitment Rules for the post of Finance Officer</u> - [Para 07- Educational and other qualifications required for Direct Recruitment].	a) Educational Qualifications Essential: Master’s Degree with at least 55% marks or an equivalent grade in point scales where grading system is followed. Desirable: Bachelor’s degree with CA/ICWA [or] at least 55% marks or its equivalent grade in Master of Commerce Degree. [AND] b) Experience At least 15 years of experience as Assistant Professor in the Academic Level 11 and above or with 8 years of service in the Academic Level 12 and above including as Associate Professor, along with at least 3 years’ experience in Finance / Accounting / Budgeting [OR] Comparable experience in research establishment and/or other institutions of higher education, with at least 3 years’ experience in Finance / Accounting / Budgeting. [OR] 15 years of administrative experience, of which 8 years shall be as Deputy Registrar or an equivalent post with at least 3 years’ experience in Finance / Accounting / Budgeting
----	---	---

10	Ordinance 06 of 2020 <u>Recruitment Rules for the post of Finance Officer</u> - [Para 10- Method of recruitment].	Direct Recruitment / Deputation <u>For Deputation:</u> Appointment preferably by drawing officers not below the Level 12 belonging to the Indian Audit and Accounts services or other similar organized Services in central/ State Govt. [OR] University System/ Other organizations subject to fulfilment of qualification as indicated under col. 7 on Deputation for a tenure of 5 years <u>or till attaining the age superannuation in the parent department</u> or till attaining the age of 62 years, whichever is earlier.
----	--	---

Note: The text of existing Ordinance 06 of 2020 [Para 07 & 10] shall be replaced as above.



INDIAN MARITIME UNIVERSITY

IMU - HR MANUAL



INDEX

Particulars	
Index	
Chapter-I:	
Recruitment & Promotion Rules, 2025 [Non-Teaching Posts Other than Statutory Posts]	
Part-I: Introduction	
Part-II: Career Advancement	
Part-III: Recruitment and Promotion Rules	
Post Code	Recruitment Rules for the posts
NT/01	Recruitment Rules for the post of Technical Officer
NT/02	Recruitment Rules for the post of Senior Instructor
NT/03	Combined Recruitment Rules for the post of Instructor
	Appendix to Combined Recruitment Rules for the post of Instructor
NT/04	Recruitment Rules for the post of Deputy Librarian
NT/05	Recruitment Rules for the post of Assistant Librarian
NT/06	Recruitment Rules for the post of Senior Library Assistant
NT/07	Recruitment Rules for the post of Library Assistant
NT/08	Recruitment Rules for the post of Deputy Registrar
NT/09	Recruitment Rules for the post of Assistant Registrar
NT/10	Recruitment Rules for the post of Section Officer
NT/11	Recruitment Rules for the post of Senior Assistant
NT/12	Recruitment Rules for the post of Assistant
NT/13	Recruitment Rules for the post of Deputy Finance Officer
NT/14	Recruitment Rules for the post of Assistant Registrar (Finance)
NT/15	Recruitment Rules for the post of Section Officer (Finance)
NT/16	Recruitment Rules for the post of Senior Assistant (Finance)
NT/17	Recruitment Rules for the post of Assistant (Finance)
NT/18	Recruitment Rules for the post of Senior Private Secretary
NT/19	Recruitment Rules for the post of Private Secretary
NT/20	Recruitment Rules for the post of Personal Assistant
NT/21	Recruitment Rules for the post of Chief Hostel warden
NT/22	Recruitment Rules for the post of Senior Hostel warden

Post Code	Recruitment Rules for the posts
NT/23	Recruitment Rules for the post of Hostel warden
NT/24	Recruitment Rules for the post of Superintending Engineer (Civil/Electrical)
NT/25	Recruitment Rules for the post of Executive Engineer (Civil)
NT/26	Recruitment Rules for the post of Assistant Executive Engineer (Civil)
NT/27	Recruitment Rules for the post of Executive Engineer (Electrical)
NT/28	Recruitment Rules for the post of Assistant Executive Engineer (Electrical)
NT/29	Recruitment Rules for the post of Medical Officer
NT/30	Recruitment Rules for the post of Staff Nurse (Grade III)
NT/31	Recruitment Rules for the post of System Manager
NT/32	Recruitment Rules for the post of System Engineer
NT/33	Recruitment Rules for the post of Senior Technical Officer (Hardware /Software)
NT/34	Recruitment Rules for the post of Technical Officer (Hardware//Software)
NT/35	Recruitment Rules for the post of Staff Car Driver (Ordinary Grade) (OG)
NT/36	Recruitment Rules for the post of Legal Officer
NT/37	Recruitment Rules for the post of Communications Manager
Ordinances Repealed - Annexure to Part-III 'Recruitment and Promotion Rules'	
Chapter-II: Recruitment Standard Operating Procedure (SOP)	
Chapter-III: Mentoring Policy	

CHAPTER - I
RECRUITMENT & PROMOTION
RULES, 2025
[NON-TEACHING POSTS
OTHER THAN STATUTORY POSTS]

PART-I

INTRODUCTION

Ordinance prescribing IMU-HR Manual**Rules**

In exercise of the powers conferred under Section 5(xv) of the IMU Act, 2008 and Statute 12(2)(iii), the Executive Council hereby promulgates ‘Ordinance IMU - HR Manual [prescribing the recruitment rules and promotion norms for the non-teaching other than statutory posts, Recruitment SOP and Mentoring Policy]’. It supersedes all the existing relevant recruitment rules, relevant Ordinances/Regulations brought out in Annexure of Chapter-I.

1. Introduction

- a. IMU is a Teaching-cum-Affiliating University established by an Act of Parliament (No.22 of 2008) on 14th November 2008 to provide quality maritime education, training and research.
- b. The Non-Teaching employees, other than Statutory posts of Indian Maritime University are integral to achieving the University’s objectives of excellence in Academics & Research. They perform multiple roles across different sections and Campuses and therefore have to be competent and up-to-date in their knowledge and skill set.
- c. Comprehensive review of Recruitment, Promotional rules by realigning the positions within the sanctioned strength to cater the growing needs of the University and the career advancement of Non-Teaching.

2. Objective

- a. To appoint the best-suitable candidate for a post by identifying appropriate eligibility norms and following a proper Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled
- b. To strike a healthy balance between the functional requirements of the University and the career progression of the non-teaching employees.
- c. To ensure a fair process of selection in accordance with Act and Statutes of the Indian Maritime University along with the guidelines/directions issued by the Government of India from time to time.
- d. To provide a career path to non-teaching employees that will encourage consistent high performance and motivate employees to achieve excellence in their work, thereby attaining their career goals.

3. Short Title and Commencement

- a. This Ordinance may be called ‘IMU-HR Manual 2025’.
- b. This Ordinance ‘IMU- HR Manual 2025’ with the following chapters was approved by the Executive Council vide resolution No. EC-2025-87-04 dated 21/11/2025:

Chapter No	Title
I	Recruitment & Promotion Rules, 2025 [Non-Teaching Posts other than Statutory Posts]
II	Recruitment SOP
III	Mentoring Policy

- d. This Ordinance will come into force from the date of its approval by the Executive Council, Indian Maritime University.

4. **Definitions** - in this Ordinance, unless the context otherwise requires:

- a. "University" means the Indian Maritime University established under the Indian Maritime University Act, 2008.
- b. "Government" means the Central Government/Govt. of India.
- c. "Act" means the Indian Maritime University Act, 2008 as amended from time to time.
- d. "Statute" means the Statute made under IMU Act, 2008.
- e. "Ordinance" means the Ordinance made under IMU Act, 2008.
- f. "Executive Council" means the Executive Council of the University.
- g. "Selection Committee" means a composition of members of Selection Committee including Departmental Promotion Committee as specified in the Statutes/ Ordinances, where not specified, as per these Recruitment Rules.
- h. "Non-Teaching Employees" means employees of the University other than University teachers and such other employees as defined otherwise.
- i. "Regular Service" means service rendered by an employee in the Cadre on regular basis other than the service on contract/ daily wages/ outsourced/temporary/ ad-hoc promotion.

5. **Grades, Authorized Strength and its review**

- a. The Posts in Indian Maritime University shall be classified as follows:

#	Description of Posts	Classification of Posts
1.	An IMU Substantive Post carrying the pay in the Pay Matrix at the Level 10 and above as per the 7 th CPC.	Group A
2.	An IMU Substantive Post carrying the pay in the Pay Matrix at the Level from 6 to 9 as per the 7 th CPC.	Group B
3.	An IMU Substantive Post carrying the pay in the Pay Matrix at the Level from 1 to 5 as per the 7 th CPC.	Group C

- b. The sanctioned strength of the non-teaching employees shall be as follows:

S.No	Post Code	Name of the Post	Pay Level 7 th CPC	Group	No of Posts
		Statutory Officers			
1.	SO/01	Vice Chancellor		A	1
2.	SO/02	Pro-Vice Chancellor		A	1
3.	SO/03	Registrar	Level 14	A	1
4.	SO/04	Controller of Examinations	Level 14	A	1
5.	SO/05	Librarian	Level 14	A	1
6.	SO/06	Finance Officer	Level 14	A	1
7.	SO/07	Campus Director	Level 14	A	6
		Sub Total			12

Non-Teaching other than Statutory Posts					
Academic Support Staff					
S.No	Post Code	Name of the Post	Pay Level 7 th CPC	Group	No of Posts
1.	NT/01	Technical Officer	Level 9	B	6
2.	NT/02	Senior Instructor	Level 8	B	12
3.	NT/03	Instructor	Level 6	B	44
			Sub Total		62
Library Cadre					
4.	NT/04	Deputy Librarian	Academic Pay Level 12	A	2
5.	NT/05	Assistant Librarian	Academic Pay Level 10	A	5
6.	NT/06	Senior Library Assistant	Level 8	B	5
7.	NT/07	Library Assistant	Level 6	B	8
			Sub Total		20
Administrative Cadre					
8.	NT/08	Deputy Registrar	Level 12	A	11
9.	NT/09	Assistant Registrar	Level 10	A	10
10.	NT/10	Section Officer	Level 7	B	13
11.	NT/11	Senior Assistant	Level 6	B	25
12.	NT/12	Assistant	Level 4	C	33
			Sub Total		92
Finance Cadre					
13.	NT/13	Deputy Finance Officer	Level 12	A	4
14.	NT/14	Assistant Registrar (Finance)	Level 10	A	7
15.	NT/15	Section Officer (Finance)	Level 7	B	8
16.	NT/16	Senior Assistant (Finance)	Level 6	B	23
17.	NT/17	Assistant (Finance)	Level 4	C	33
			Sub Total		75

S.No	Post Code	Name of the Post	Pay Level 7 th CPC	Group	No of Posts
		Secretary Cadre			
18.	NT/18	Senior Private Secretary	Level 10	A	1
19.	NT/19	Private Secretary	Level 8	B	5
20.	NT/20	Personal Assistant	Level 6	B	6
			Sub Total		12
		Warden Cadre			
21.	NT/21	Chief Hostel Warden	Level 7	B	3
22.	NT/22	Senior Hostel Warden	Level 6	B	6
23.	NT/23	Hostel warden	Level 5	C	8
			Sub Total		17
		Engineering Cadre			
24.	NT/24	Superintending Engineer (Civil/Electrical)	Level 12	A	1
25.	NT/25	Executive Engineer (Civil)	Level 11	A	1
26.	NT/26	Assistant Executive Engineer (Civil)	Level 10	A	5
27.	NT/27	Executive Engineer (Electrical)	Level 11	A	1
28.	NT/28	Assistant Executive Engineer (Electrical)	Level 10	A	5
			Sub Total		13
		Isolated & Other Posts			
S.No	Post Code	Name of the Post	Pay Level 7 th CPC	Group	No of Posts
29.	NT/29	Medical Officer	Level 10	A	3
30.	NT/30	Staff Nurse (Grade-III)	Level 7	B	6
31.	NT/31	System Manager	Level 12	A	1
32.	NT/32	System Engineer	Level 10	A	2
33.	NT/33	Senior Technical Officer (Hardware/ Software)	Level 8	B	3
34.	NT/34	Technical Officer (Hardware/Software)	Level 6	B	5
35.	NT/35	Staff Car Driver (Ordinary Grade)	Level 3	C	3
36.	NT/36	Legal Officer	Level 8	B	1
37.	NT/37	Communications Manager	Level 12	A	1

c. The Executive Council shall have the powers to create, abolish or divert posts under Section 5(xv) of the IMU Act, 2008 and Statute 12(2)(iii).

6. **Appointing Authority** – The Executive Council shall be the Appointing Authority for all posts under Statute 12(2)(iii).

7. **Initial Constitution Clause-**

- a) The employees holding the posts on regular basis in accordance with the existing rules i.e. prior to the commencement of these rules, shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules.
- b) The regular continuous service of personnel mentioned under sub-rule (a) prior to the initial constitution shall count for the purpose of probation period, qualifying service for confirmation, promotion and non-functional financial upgradation in the service of IMU.
- c) These Recruitment Rules shall not affect or be detrimental to the incumbents appointed prior to the commencement of these rules.

8. **Mode of Recruitment** - the following shall be the mode of recruitment for various posts in the University

- a. Direct Recruitment
- b. Promotion
- c. Deputation
- d. Short Term Contract will be defined by IMU's Ordinance
- e. Absorption

9. **Age limit**

a. **Maximum Age limit for Direct Recruits:**

#	Pay Level as per 7 th CPC	Age limit
1.	1 to 5	35 Years.
2.	6 to 11	40 Years.
3.	12	50 Years.

b. **Age limit for Employees on Deputation:**

Not exceeding fifty-six years on the closing date of receipt of application, as per the DoPT OM. No. AB-14017/11/2017-Estt. (RR) dated 05th February, 2018.

c. The relaxation in age limit shall be as follows:

S. No.	Category of Persons to whom age concession is admissible	Categories of posts to which the age concession is admissible	Extent of Age Concession
1.	SC/ST	All posts filled by Direct Recruitment	5 years
2.	OBC-NCL	All posts filled by Direct Recruitment	3 years
3.	PwD – General	(iii) In case of Recruitment to Group A and Group B posts. (iv) In case of Direct Recruitment to Group 'C' posts.	10 years
	PwD – OBC-NCL		13 years
	PwD – SC/ST		15 years
4.	Ex-Servicemen	In case of Recruitment to Group A posts through Open Competition from Ex-Servicemen with at least five years of Army/Navy/Air force service.	5 years
		In all other Groups and Modes.	Length of Military Service + 3 years
5.	Internal Candidates	Upper age limit for IMU internal candidate [permanent employee] to apply for Group A, B and C posts on Direct Recruitment: 59 years as on closing date of application.	
6.	Contractual employees	Non-Teaching employees engaged on contractual terms and conditions as per the Statute 3(7) of IMU [The list of contractual employees placed before the EC in its 87th meeting held on 21/11/2025. [EC 2025-87-03]] are given age relaxation, to participate in the Direct Recruitment process for Group C Posts of IMU up to a maximum age of 55 years, as on closing date of application.	

10. Reservation norms

- The University will follow the reservation norms of the Central Government, in force and as amended from time to time.
- A 5% relaxation in qualifying marks in essential qualification shall be given to SC/ST/PwD candidates against the posts reserved for them as per the norms of the Central Government, in force and as amended from time to time.

11. Issuance of advertisements

- a. The advertisement to vacant posts will be issued in leading newspapers, Employment News and also published on University's website.
- b. A time duration of minimum 21 - 45 days shall be given to the candidates to apply through online/offline mode. However, Vice Chancellor is empowered to decide the duration of minimum period.
- c. The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.

12. Screening and Shortlisting of Applications

- a. Scrutiny of applications shall be done by a Committee appointed by the Vice Chancellor. Screening of candidates shall be done as per the Recruitment Rules for the particular post and Ordinance 09 of 2017.
- b. Promotion/Deputation: Vice Chancellor is authorized to decide whether to conduct Written Tests/other modes, or directly call for interview, depending on the number of applications received.
- c. The decision of the Indian Maritime University regarding the eligibility of a candidate to a particular post shall be final.

13. Composition of Selection Committee / DPC:**13.1 Rules and Procedure to be followed by the Selection Committees for Direct Recruitment/ Deputation / Absorption/ Short-term contract:**

- a. The composition of the Selection Committees shall be as follows:

#	Composition of the Selection Committee - GROUP A	Designation
1.	The Vice-Chancellor	Chairman
2.	Pro Vice Chancellor	Member
3.	Registrar	Member
4.	One member of the Executive Council	Member
5.	One nominee of the Executive Council	Member
6.	One subject/domain expert to be nominated by the Vice-Chancellor	Member

#	Composition of the Selection Committee - GROUP B	Designation
1.	Registrar	Chairman
2.	One Campus Director nominated by the Vice Chancellor	Member
3.	Two nominees of the Vice Chancellor	Member

#	Composition of the Selection Committee - GROUP C	Designation
1.	Registrar	Chairman
2.	Two nominees of the Vice Chancellor*	Member

***Note:** The Selection Committee shall consist of One member belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe/Minority. (PwD/Transgender) Further, one of the members of the Selection Committee, whether from the general category or from the minority community or from the SC/ST/OBC-NCL community should be a lady failing which a lady member should be co-opted to the Committee for making recruitment to 10 or more vacancies in Group C & D posts. [Vide DoPT. O.M. No. 42011/2/2014-Estt(Res) dated 13.02.2014 and DHE Circular No.39016/1/2012 E-II dated 26th February, 2014].

Deputation: In case of deputation, the Vice-Chancellor, IMU will decide the mode of Selection (Written Test/Skill Test/Interview) based on the receipt of application for the posts.

- b. For a Selection Committee comprising 'N' members, the quorum for a meeting shall be N-2 for Group-A, as per Ordinance 09 of 2017 (Gazette 183 dated 19.07.2018) [EC 2017-39-04 dated 14-06-2017] "Ordinance prescribing the Procedure to be followed by Selection Committee in making recommendations.

N for Group-B & C

- c. The weightage for different components in the selection process for Direct Recruitment shall be as follows:

Category	Weightages
Group A [Level – 10 & above]	Written test: 75% Interview: 25%
Group B [Level – 8 & 9]	Written test: 100%
Group B [Level – 6 & 7]	Written test: 100%
Group C [Level – 5 & below]	Written test: 75% Skill test: 25%
Driver	Written Test: 60% Skill/Trade Test : 40%

- d. The ratio of Number of Candidates / Number of Posts, to be called for interview is as per Recruitment SOP, Chapter II. However, Vice Chancellor is empowered to decide the number of persons to be called for interview.
- e. The Minutes of the meeting of the Selection Committee shall be placed before the Executive Council for approval.
- f. The Selection Committee may also recommend the waiting list in the ratio of 1:3 for each advertised post (category wise) for vertical reservation in the order of merit, which shall be valid for **one year from the date of issuance of the Minutes of the Executive Council**. In

case, any of the person(s) in the main list declines to join/joined and resigned within the validity period of waitlist, appointment order may be issued to be next person(s) in the waiting list.

No Reserve Panel/Waitlist will be maintained for Horizontal Reservation. In case, vacancy occurs under Horizontal Reservation due to non-joining of a candidate within the stipulated time allowed for joining, waitlist will be operated from the Vertical Reservation of the respective reserve panel.

- g. The Selection Committee may also recommend the advance increments up to 3 for the deserving candidates.**

13.2 Composition of the Departmental Promotion Committee for promotion/ confirmation of probation:

#	Composition of the DPC - GROUP A	Designation
1.	The Vice-Chancellor	Chairperson
2.	Pro Vice Chancellor	Member
3.	Registrar	Member
4.	One member of the Executive Council	Member
5.	One nominee of the Vice-Chancellor	Member

#	Composition of the DPC - GROUP B	Designation
1.	Registrar	Chairman
2.	One Campus Director nominated by the Vice Chancellor	Member
3.	Two nominees of the Vice Chancellor	Member

#	Composition of the DPC - GROUP C	Designation
1.	Registrar	Chairman
2.	Two nominees of the Vice Chancellor*	Member

Note:

- *The DPC shall consist of one member belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe/Minority. Further, one of the members of the DPC, whether from the general category or from the minority community or from the SC/ST/OBC-NCL community should be a lady failing which a lady member should be co-opted on the Committee for making recruitment to 10 or more vacancies in Group C & D posts. [Vide DoPT. O.M. No. 42011/2/2014-Estt(Res) dated 13.02.2014 and DHE Circular No.39016/1/2012 E-II dated 26th February, 2014].
- Members included in DPCs should be officers who are at least one-step above the posts in which promotion /confirmation is to be made.
- Validity of the proceedings of DPCs shall be as per DoPT guidelines.

4. For confirmation of probation for Group A posts, the Chairperson will be the Vice Chancellor or his nominee, in addition to Registrar and one nominee of the Vice Chancellor as members.

14. Seniority –

The Seniority of each candidate in the respective cadre shall be determined on the basis of his/her position in the merit list recommended by the Selection Committee and in accordance with the relevant rules of IMU.

- 15. Probation and Confirmation:** The norms prescribed in the DoPT's O.M. No. 28020/1/2010 – Estt. (C) dated 21.07.2014 shall be adopted and as amended from time to time. As per the said O.M, the probation period for different posts shall be as follows:

S. No.	Posts	Method	Period of probation
1.	Group A posts – Level 12 & above	Direct Recruitment	1 year
2.	For all other posts	Direct Recruitment	2 years
3.	Promotion within same group	Promotion	No probation
4.	Promotion from one group to another group e.g., Group B to Group A.	Promotion	2 years or the period prescribed for the direct recruitment to the post, if any.

In cases, where promotion and non-functional upgradation are applicable for a post with the same period of qualifying service, promotion precedes the non-functional upgradation.

16. APAR grading for promotion/ financial Upgradation:

16.1 APAR grading for promotion:

- At least three out of five APAR grading should be 'Very Good' for promotion under these rules
- The recommendation of the DPC for the promotion to and within Group A (Level 10 and above of 7th CPC) shall require the approval of the Executive Council.
- The Vice Chancellor shall approve the proposals of recommendation of the DPC for promotion of Group B and C (up to pay level-9 of 7th CPC).

16.2 APAR grading for financial Upgradation:

- At least three out of five APAR grading should be 'Very Good' for financial upgradation under these rules.
- The Vice Chancellor will be the Competent Authority for approving the financial upgradation for Group A, B and C.

17. Age of Superannuation:

The age of superannuation for all non-teaching posts other than Statutory posts, shall be 60 years.

- 18. Liability for service in any part of India and other conditions of service:** Employees shall be liable to serve anywhere in India or abroad.

19. Disqualifications – No Person

- Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or
- Who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person.
- Who has been convicted by any Court of Law or any criminal proceedings are pending against the applicant.

- d. Who is a person of unsound mind and questionable conduct or not medically fit to perform duties.
- e. Who is not a citizen of India
- f. Any other category of person disqualified for appointment by the Government of India/State Government/IMU from time to time.

Shall be eligible for appointment to the said post.

However, w.r.t rule 19 (a) & (b), the Executive Council of the University may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

20. **Savings:** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Persons with Benchmark Disabilities, the Ex-servicemen, Economically Weaker Sections, Women candidates and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

Unless there is anything repugnant in the Indian Maritime University Act, Statutes, Ordinances, the relevant Government of India norms such as Fundamental Rules and Supplementary Rules and other relevant Government of India norms including the amendments there to or any order or administrative instruction issued by Central Government, this rules prescribing the Recruitment and Promotion stands good.

21. **Instructions:**

- a. Reservations as per Government of India guidelines would be applicable.
- b. The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.
- c. In case, deputation is a mode of Selection, the relevant age of the sponsoring department/ agency will apply subject to a maximum of 60 years.
- d. A candidate must hold a Bachelor's/Post Graduate degree of a University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational institutions established by an Act of Parliament or declared to be deemed as a University under Section-3 of the University Grants Commission Act, 1956 or possess an equivalent qualification, wherever UG/PG qualification has been prescribed as minimum qualification under these rules.
- e. The technical qualifications prescribed as minimum qualification, should be from the recognized institutions as indicated in the respective recruitment rules.
- f. The decision of IMU regarding the relevancy of qualifications and experience shall be final.
- g. The pay of the candidates from the Private firms will be equated with their CTC and Form 16 of the Income Tax Department, GoI.

22. **Removal of Difficulties:**

If any difficulty arises in the implementation or operation of any of the provision of these rules, the Vice-Chancellor may, from time to time issue, such general or specific directions, which appear to be necessary for the purpose of removing such difficulty. However, these shall not be inconsistent with the provisions of the Act, Statutes, Ordinances of IMU.

23. **Interpretation:**

Any ambiguity or lack of clarity with regard to any clause of the rules, the decision of the Executive Council of IMU shall be final.

24. Amendment of Rules:

Amendment, modification, changes, withdrawal, suspension and relaxation in any or all of provisions of these Rules shall be done with the approval of the Executive Council only.

25. Future maintenance of the Cadre/Posts:

All appointments made through the modes of recruitment mentioned at Rule 8 above, after notification of these rules, shall be made only in accordance with the provisions of these rules. The Executive Council may add any other posts and or Cadres or change the sanctioned strength along with necessary recruitment rules.

26. Extent of application:

Instructions of Government of India on Conditions of Service and admissible emoluments, etc. of the non-teaching employees shall apply mutatis mutandis with due approval of the Executive Council from time to time.

27. Residuary matters:

In regard to the matters not specified or referred to in these rules, the corresponding provisions as provided by the Government of India for their employees, as amended from time to time, shall be followed. In case any particular provision in these Rules is in conflict with any provision of the Acts, Statutes and Ordinances of IMU, the provisions of IMU shall prevail.

28. Territorial Jurisdiction:

In case of any dispute, the territorial jurisdiction for adjudication shall be the 'The Madras High Court'.

PART – II
CAREER ADVANCEMENT

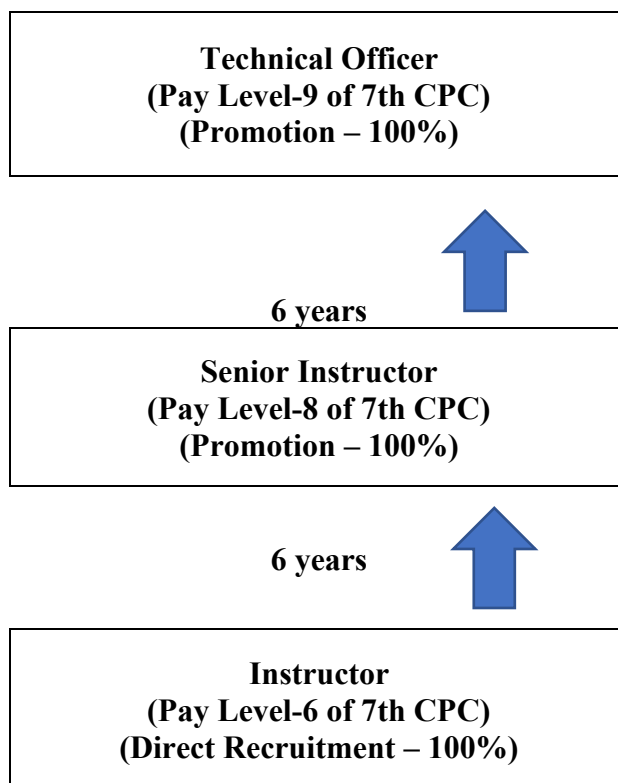
POSTS, CLASSIFICATION, SCALE OF PAY, CADRE STRENGTH AND MODE OF RECRUITMENT

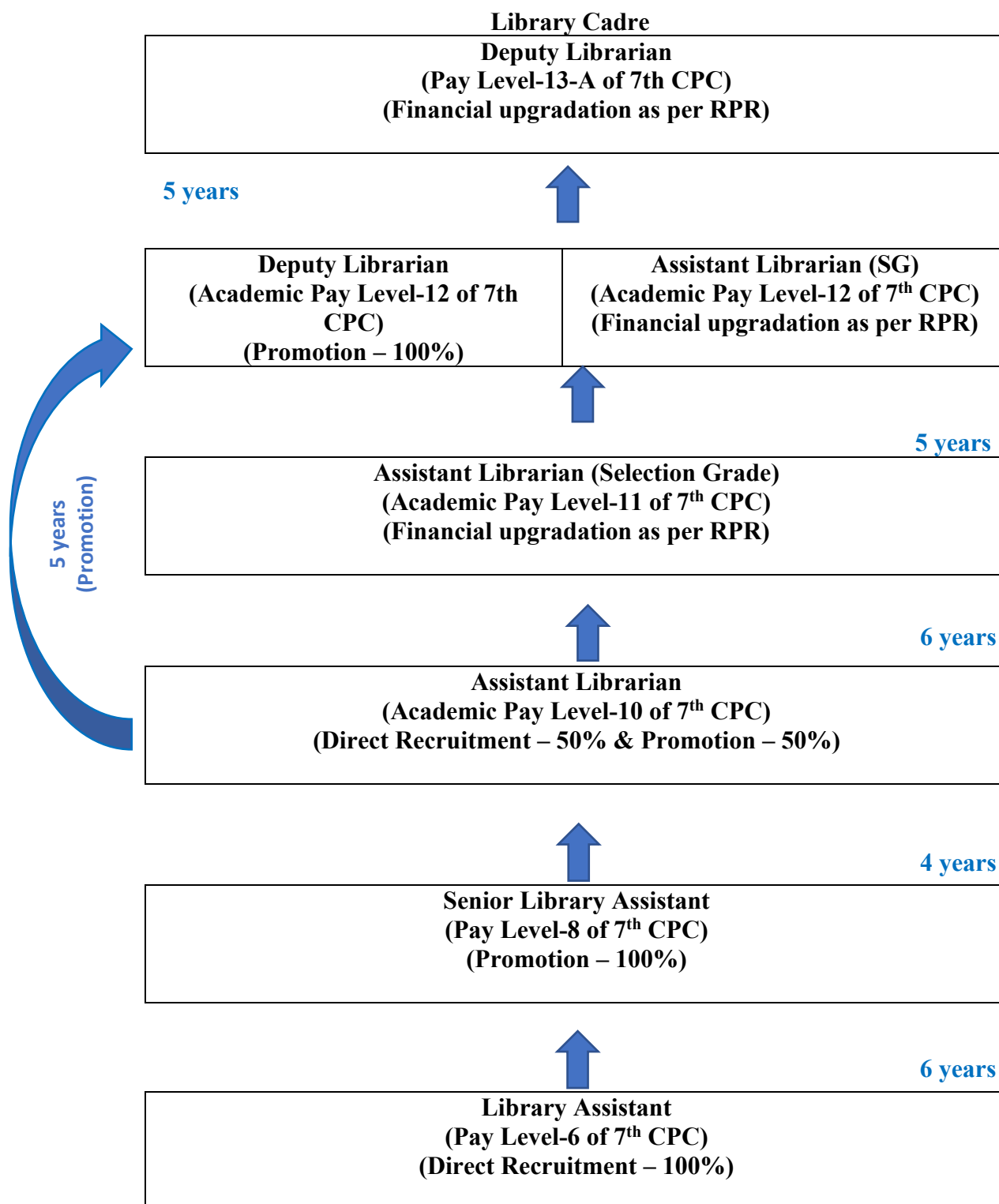
S.No (a)	Cadre (b)	Cadre Strength (c)	Post Code (d)	Name of the Post (e)	Pay Level 7 th CPC (f)	Total Posts (g)	Group (h)	Distribution of Post (j)
1	Academic Support Staff	62	NT/01	Technical Officer	Level 9	6	B	Promotion - 100%
2			NT/02	Senior Instructor	Level 8	12	B	Promotion - 100%
3			NT/03	Instructor	Level 6	44	B	Direct Recruitment (DR) - 100%
4	Library Cadre	20	NT/04	Deputy Librarian	Academic Pay Level 12	2	A	DR - 50% Promotion - 50%
5			NT/05	Assistant Librarian	Academic Pay Level 10	5	A	DR - 50% Promotion - 50%
6			NT/06	Senior Library Assistant	Level 8	5	B	Promotion - 100%
7			NT/07	Library Assistant	Level 6	8	B	DR - 100%
8	Administrative Cadre	92	NT/08	Deputy Registrar	Level 12	11	A	DR - 50% Promotion - 50%
9			NT/09	Assistant Registrar	Level 10	10	A	DR - 50% Promotion - 50%
10			NT/10	Section Officer	Level 7	13	B	DR - 50% Promotion - 50%
11			NT/11	Senior Assistant	Level 6	25	B	Promotion - 100%
12			NT/12	Assistant	Level 4	33	C	DR - 100%
13	Finance Cadre	75	NT/13	Deputy Finance Officer	Level 12	4	A	DR - 50% Promotion - 50%
14			NT/14	Assistant Registrar (Finance)	Level 10	7	A	DR - 50% Promotion - 50%
15			NT/15	Section Officer (Finance)	Level 7	8	B	DR - 50% Promotion - 50%
16			NT/16	Senior Assistant (Finance)	Level 6	23	B	Promotion - 100%
17			NT/17	Assistant (Finance)	Level 4	33	C	DR - 100%
18	Secretary Cadre	12	NT/18	Senior Private Secretary	Level 10	1	A	Promotion - 100%
19			NT/19	Private Secretary	Level 8	5	B	Promotion - 100%
20			NT/20	Personal Assistant	Level 6	6	B	DR - 100%

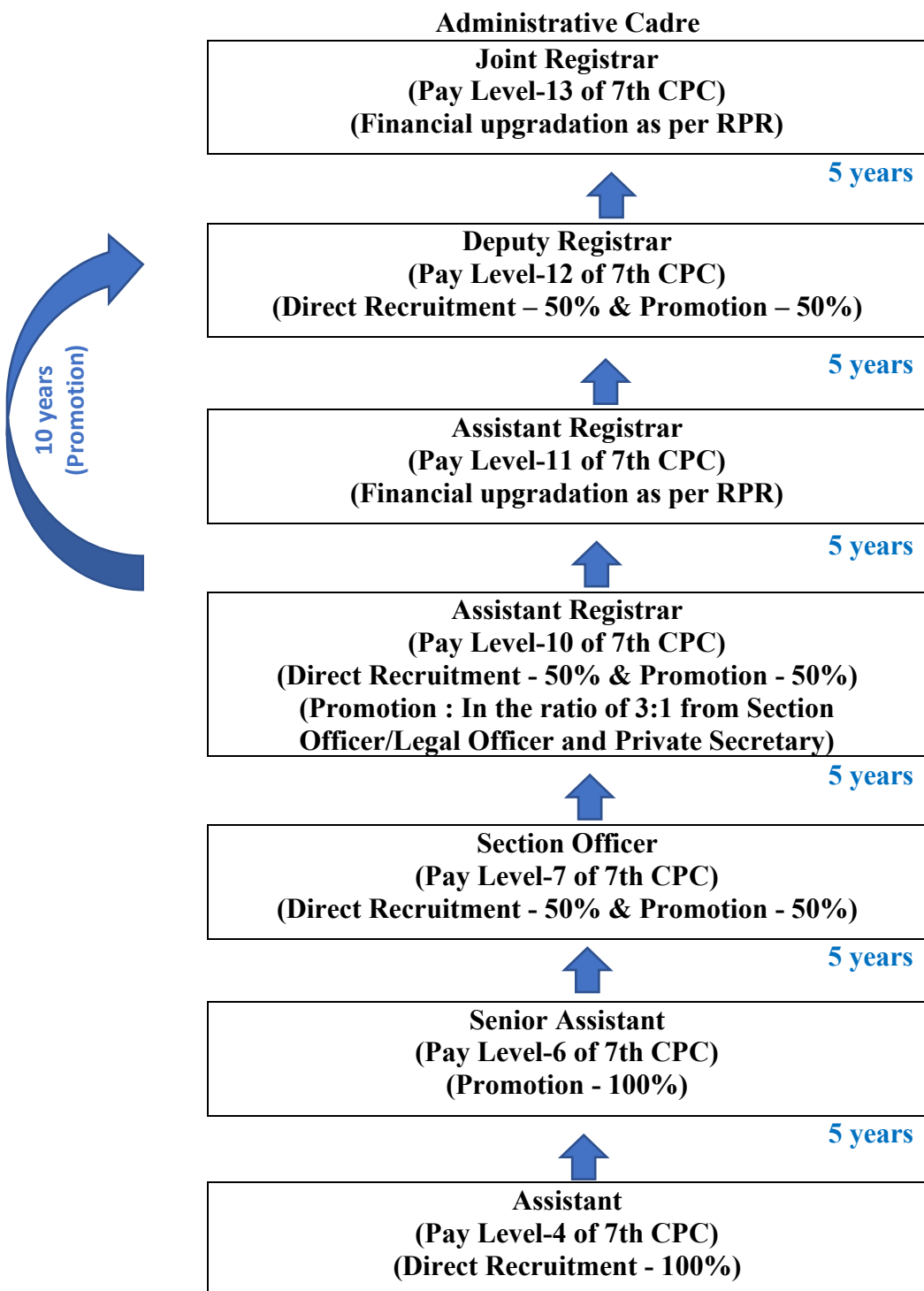
S.No (a)	Cadre (b)	Cadre Strength (c)	Post Code (d)	Name of the Post (e)	Pay Level 7 th CPC (f)	Total Posts (g)	Group (h)	Distribution of Post (j)
21	Warden Cadre	17	NT/21	Chief Hostel warden	Level 7	3	B	Promotion – 100%
22			NT/22	Senior Hostel warden	Level 6	6	B	Promotion – 100%
23			NT/23	Hostel warden	Level 5	8	C	DR – 100%
24	Engineering Cadre	13	NT/24	Superintending Engineer (Civil/Electrical)	Level 12	1	A	Promotion – 100%
25			NT/25	Executive Engineer (Civil)	Level 11	1	A	Promotion – 100%
26			NT/26	Assistant Executive Engineer (Civil)	Level 10	5	A	DR – 100%
27			NT/27	Executive Engineer (Electrical)	Level 11	1	A	Promotion – 100%
28			NT/28	Assistant Executive Engineer (Electrical)	Level 10	5	A	DR – 100%
29	Isolated & Other Posts	25	NT/29	Medical Officer	Level 10	3	A	100% by Deputation/ Short Term Contract
30			NT/30	Staff Nurse (Grade III)	Level 7	6	B	DR – 100%
31			NT/31	System Manager	Level 12	1	A	Promotion – 100%
32			NT/32	System Engineer	Level 10	2	A	DR – 50% Promotion – 50%
33			NT/33	Senior Technical Officer (Hardware /Software)	Level 8	3	B	Promotion – 100%
34			NT/34	Technical Officer (Hardware/Software)	Level 6	5	B	DR – 100%
35			NT/35	Staff Car Driver (Ordinary Grade) (OG)	Level 3	3	C	DR – 100%
36			NT/36	Legal Officer	Level 8	1	B	Direct Recruitment– 100%
37			NT/37	Communications Manager	Level 12	1	A	100% by Deputation/ Short Term Contract

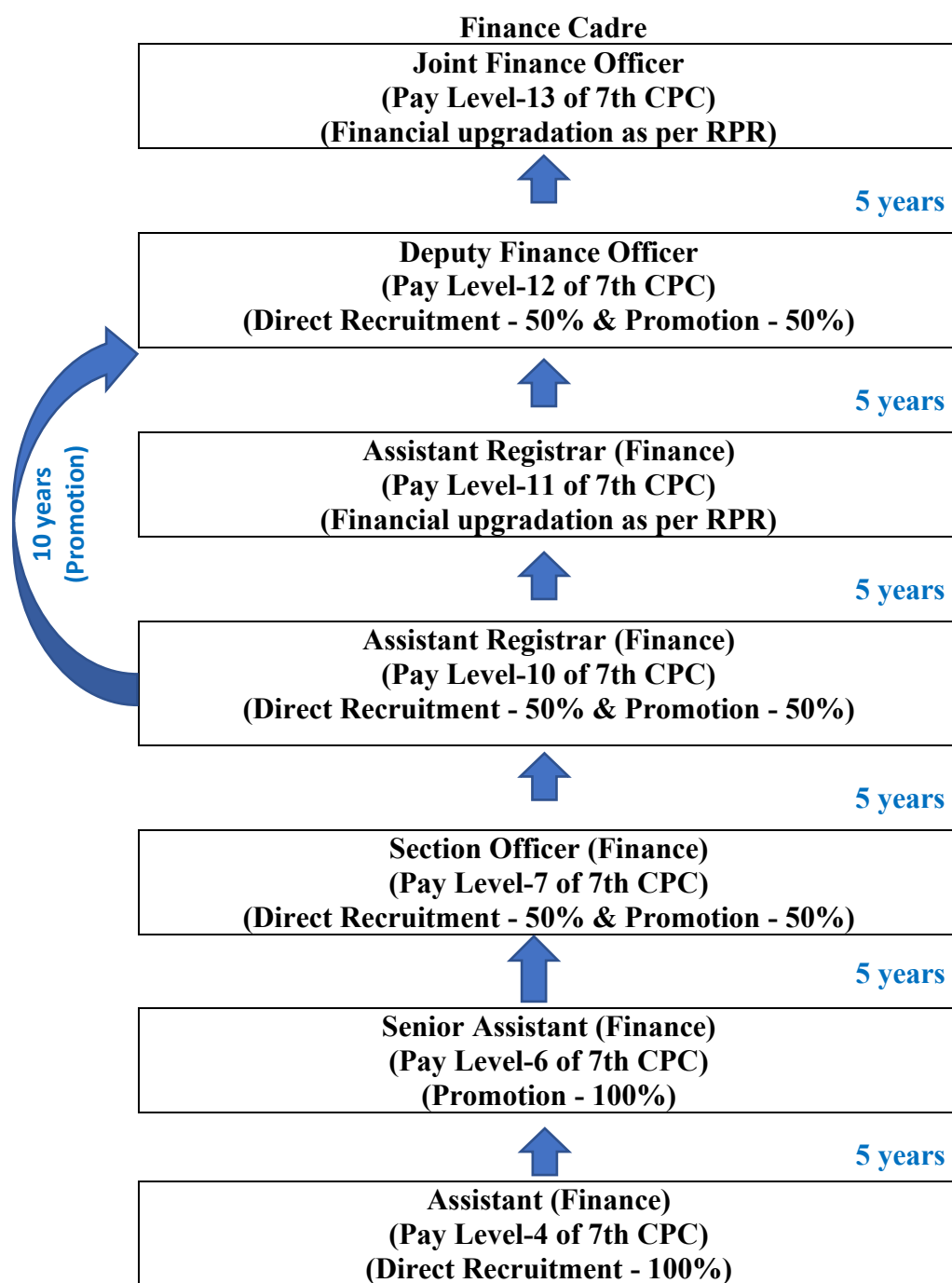
Note: - (1) In all the above cases under the category ‘Distribution of posts [Column j]’ the mode of recruitment shall be either on Direct Recruitment/ Promotion, failing which on Deputation.

(2) If the total number of posts is odd and the distribution is 50% Direct Recruitment and 50% Promotion, the Promotion quota should be rounded up to the next whole number

Academic Support Staff Cadre







Secretarial Cadre

Senior Private Secretary
(Pay Level-10 of 7th CPC)
(Promotion - 100%)



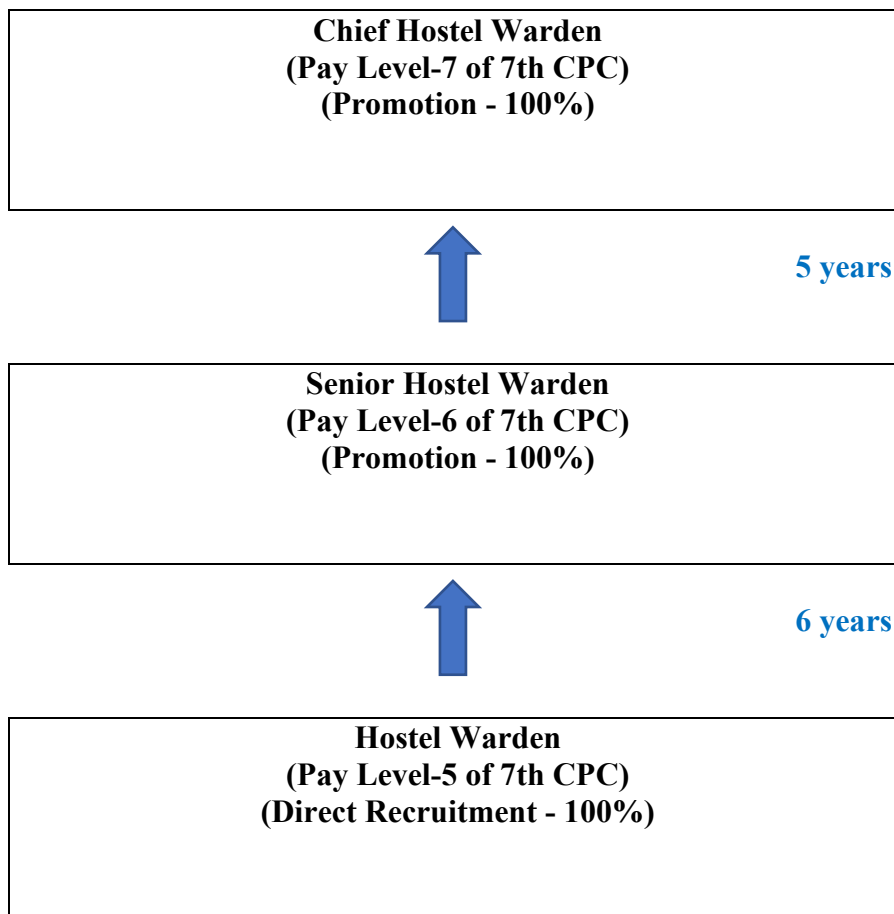
4 years

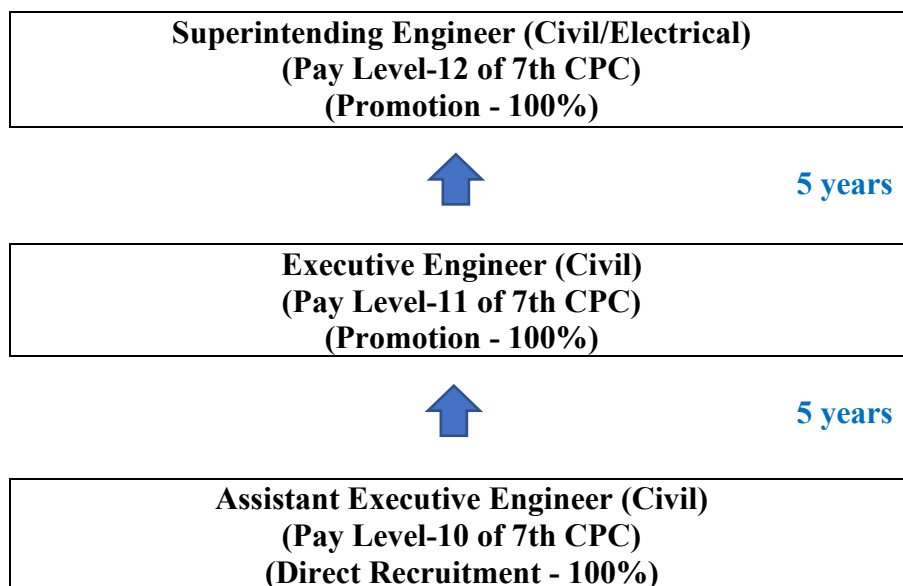
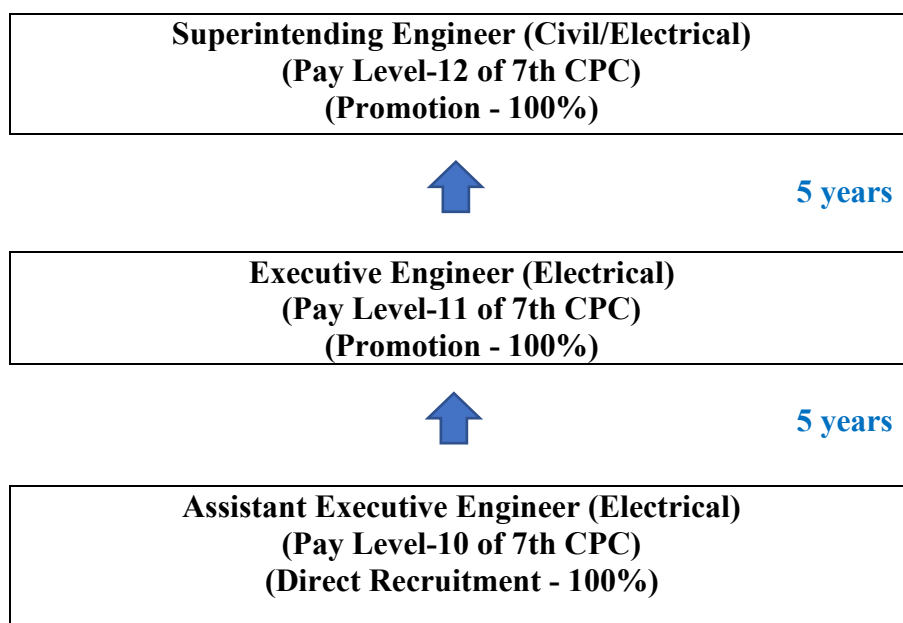
Private Secretary
(Pay Level-8 of 7th CPC)
(Promotion - 100%)



6 years

Personal Assistant
(Pay Level-6 of 7th CPC)
(Direct Recruitment - 100%)

Warden Cadre

Engineering Cadre**a. Civil Cadre****b. Electrical Cadre**

Isolated Posts:**a. Medical Officer**

Medical Officer
(Pay Level-10 of 7th CPC)
(100% by Deputation / Short term Contract)

b. Staff Nurse

Staff Nurse (Grade-III)
(Pay Level-9 of 7th CPC)
(Financial upgradation as per RPR)



5 years

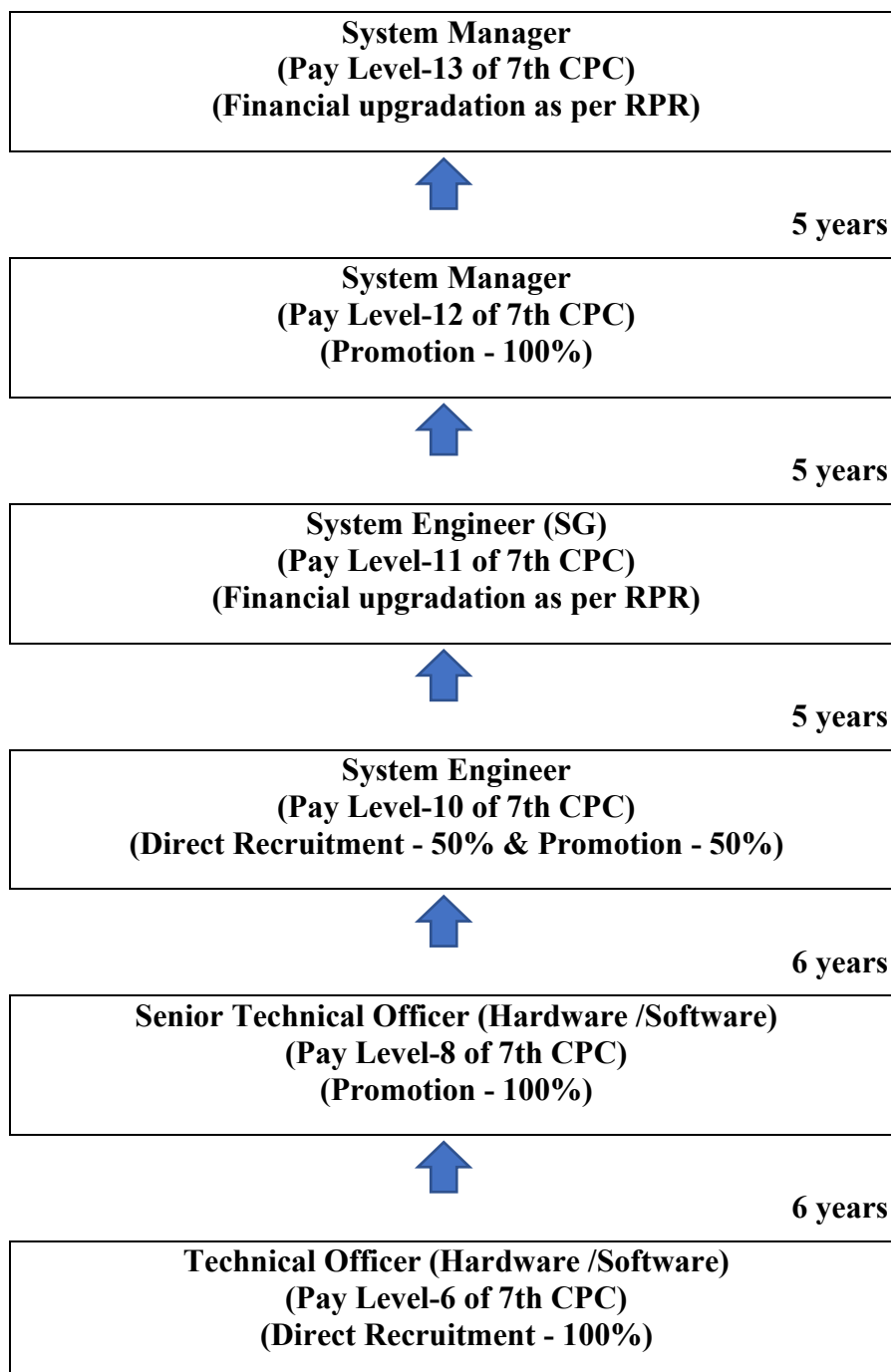
Staff Nurse (Grade-II)
(Pay Level-8 of 7th CPC)
(Financial upgradation as per RPR)

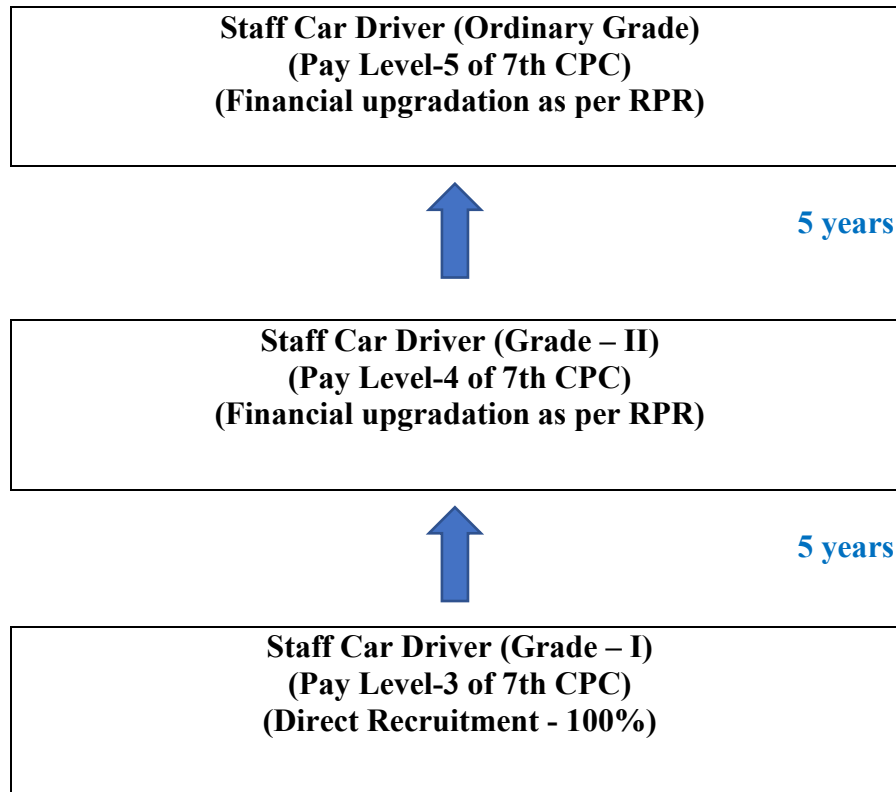
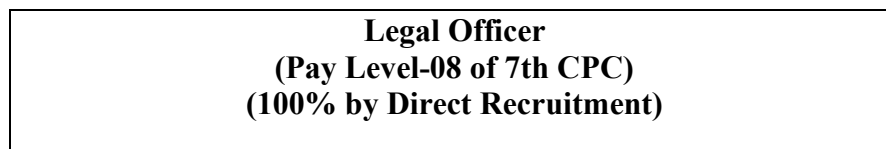
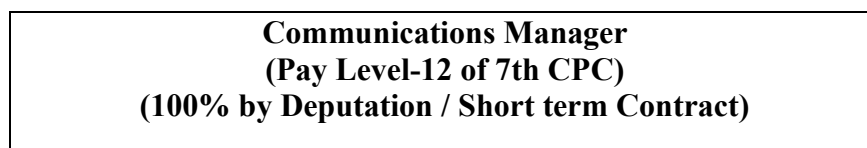


5 years

Staff Nurse (Grade-I)
(Pay Level-7 of 7th CPC)
(Direct Recruitment - 100%)

c. Other Posts:



d. Driver**e. Legal Officer****f. Communications Manager**

PART – III

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF Technical Officer [Post Code–NT/01]

1.	Name of the post	Technical Officer
2.	Number of Posts	Six (6)
3.	Classification	Group B
4.	Scale of Pay	Level-9 of 7 th CPC Pay Matrix.
5.	Whether Selection Post or non-Selection Post.	Selection Post
6.	Age limit for Direct Recruits	Not Applicable
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not Applicable.
8.	Whether age / education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	<u>Promotion:</u> No age limit. <u>Deputation:</u> Age: 56 years
9.	Period of probation	Not Applicable.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled	100% by Promotion failing which by deputation. <u>Promotion:</u> Senior Instructors from relevant branch/stream with 06 years of experience in IMU, subject to availability of the vacancy and assessment by DPC. <u>Deputation:</u> Senior Instructors or its equivalent post in Central/State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government/PSUs/CABs with 06 years' experience in Level-8 of 7 th CPC Pay matrix or equivalent.
11.	If a Selection Committee / DPC exists, what is its composition	As per clause 13 of HR Manual
12.	Grade from which recruitment by promotion/ deputation/ absorption/ short-term contract/ re-employment is to be made	Senior Instructor (Level - 8 of 7 th CPC)
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Not applicable.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF Senior Instructor [Post Code–NT/02]

1.	Name of the post	Senior Instructor
2.	Number of Posts	Twelve (12)
3.	Classification	Group B
4.	Scale of Pay	Level 8 of the 7th CPC Pay matrix.
5.	Whether Selection Post or non-Selection Post	Selection Post
6.	Age limit for Direct Recruits	Not Applicable
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not Applicable.
8.	Whether age / education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	<u>Promotion:</u> No age limit. <u>Deputation:</u> Age: 56 years
9.	Period of probation	Not Applicable
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled	100% by Promotion failing which by deputation. <u>Promotion:</u> Instructors from relevant branch/ stream with 6 years of experience in IMU, subject to availability of the vacancy and assessment by DPC. <u>Deputation:</u> Instructors or its equivalent post in Central/State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government/PSUs/CABs/ with 6 years' experience in Level-6 of 7th CPC Pay matrix or equivalent.
11.	If a Selection Committee / DPC exists, what is its composition	As per clause 13 of HR Manual
12.	Grade from which recruitment by promotion/ deputation/ absorption/ short-term contract/ re-employment is to be made	Instructor (Level – 6 of 7 th CPC)
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Not applicable.

COMBINED RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF Instructor [Post Code–NT/03]

1.	Name of the post	Instructor *(Appendix)
2.	Number of Posts	Forty-four (44)
3.	Classification	Group B
4.	Scale of Pay	Level-6 of the 7th CPC Pay matrix.
5.	Whether Selection Post or non-Selection Post	Not Applicable.
6.	Age limit for Direct Recruits	40 years
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential: (Refer to Appendix for details) The decision of IMU shall be final regarding the relevancy of qualifications and experience.
8.	Whether age / education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	<u>Promotion:</u> Not Applicable <u>Deputation:</u> Age: 56 years Educational and other qualifications: Yes
9.	Period of probation	Two years
10.	Method of recruitment	100% by Direct Recruitment failing which by deputation. <u>Deputation:</u> Persons holding analogous post in the parent department in Central/State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government/ PSUs/CABs with essential qualifications mentioned at column 07.
11.	If a Selection Committee / DPC exists, what is its composition	As per clause 13 of HR Manual
12.	Grade from which recruitment by promotion/ deputation/ absorption/ short-term contract/ re-employment is to be made	Not Applicable.
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Not applicable.

APPENDIX TO THE POST OF INSTRUCTOR [POST CODE–NT/03]

Sl. No	Post	Qualifications
1.	Instructor (Mechanical)	Bachelor's Degree in Engineering / Technology from any recognized University or Institute approved by University Grant Commission/All India Council for technical Education in relevant field with one-year post qualification experience. (OR) Bachelor's degree in any field (3 Years) from recognized University or Institute and National Trade Certificate (NTC) /National Apprenticeship Certificate (NAC) from National Council for Vocational Training (NCVT)/National Council for Vocational Education & Training (NCVET) in the relevant field with three-years post-qualification experience in relevant field. (OR) Diploma in Engineering or Technology (3 Years) approved by All India Council for Technical Education in the relevant field with two years' post-qualification experience in relevant field or teaching or in industry. (OR) Should possess Industrial Training Institute (ITI) certificate in the respective trade (Fitter / Welder (Gas and Electric) / Lathe operator / Mechanic Refrigeration and Air-Conditioner/ etc) with National Trade Certificate with 10 years of relevant work experience. (OR) Petty Officer in Mechanical branch of Indian Navy/ Coast Guard with pass in 10th standard.
2.	Instructor (Marine Workshop)	Bachelor's Degree in Engineering / Technology from any recognized University or Institute approved by University Grant Commission/All India Council for technical Education in relevant field with one-year post qualification experience. (OR) Bachelor's degree in any field (3 Years) from recognized University or Institute and National Trade Certificate (NTC) /National Apprenticeship Certificate (NAC) from National Council for Vocational Training (NCVT)/National Council for Vocational Education & Training (NCVET) in the relevant

		field with three-years post-qualification experience in relevant field. (OR) Diploma in Engineering or Technology (3 Years) approved by All India Council for Technical Education in the relevant field with two years' post-qualification experience in relevant field or teaching or in industry. (OR) Petty Officer of Marine/ Mechanical branch of Indian Navy/ Coast Guard with pass in 10th standard.
3.	Instructor (Electrical)	Bachelor's Degree in Engineering / Technology from any recognized University or Institute approved by University Grant Commission/All India Council for technical Education in relevant field with one-year post qualification experience. (OR) Bachelor's degree in any field (3 Years) from recognized University or Institute and National Trade Certificate (NTC) /National Apprenticeship Certificate (NAC) from National Council for Vocational Training (NCVT)/National Council for Vocational Education & Training (NCVET) in the relevant field with three-years post-qualification experience in relevant field. (OR) Diploma in Engineering or Technology (3 Years) approved by All India Council for Technical Education in the relevant field with two years' post-qualification experience in relevant field or teaching or in industry. (OR) Should possess Industrial Training Institute(ITI) certificate in relevant field with National Trade Certificate with 10 years of work experience. (OR) Petty Officer in Electrical branch of Indian Navy/ Coast Guard with pass in 10th standard.
4.	Instructor (Electronics)	Bachelor's Degree in Engineering / Technology from any recognized University or Institute approved by University Grant Commission/All India Council for technical Education in relevant field with one-year post qualification experience.

		(OR) Bachelor's degree in any field (3 Years) from recognized University or Institute and National Trade Certificate (NTC) /National Apprenticeship Certificate (NAC) from National Council for Vocational Training (NCVT)/National Council for Vocational Education & Training (NCVET) in the relevant field with three-years post-qualification experience in relevant field. (OR) Diploma in Engineering or Technology (3 Years) approved by All India Council for Technical Education in the relevant field with two years' post-qualification experience in relevant field or teaching or in industry. (OR) Should possess Industrial Training Institute (ITI) certificate in relevant field with National Trade Certificate with 10 years of work experience. (OR) Petty Officer in Electronics branch of Indian Navy/ Coast Guard with pass in 10th standard.
5.	Instructor (Computer Lab)	Bachelor's Degree in Engineering / Technology from any recognized University or Institute approved by University Grant Commission/All India Council for technical Education in relevant field with one-year post qualification experience. (OR) Diploma in Engineering or Technology (3 Years) approved by All India Council for Technical Education in the relevant field with two years' post-qualification experience in relevant field or teaching or in industry.
6.	Instructor (Marine Communications)	Should have Global Maritime Distress Safety Systems (GMDSS) General Operator's Certificate (GOC) of Proficiency and License issued by Govt. of India. (AND) 2 years of sea time on ships equipped with GMDSS equipment.
7.	Instructor (Seamanship/PSCRB/Swimming)	Petty Officer in Seaman Branch with Life Guard certificate from Indian Navy/ Coast Guard. (OR) First Mate Near Coastal Voyages (NCV) [or]

		Deck rating of merchant navy with sailing experience of minimum 7 years as indicated in the Continuous Discharge Certificate and Certificate of successful completion of one-year regular course from a recognized Institution. Second mate Near Coastal Voyage of Indian Navy/ Coast Guard
8.	Instructor (Navigation)	Petty Officer in Seaman Branch (Radar Plotter Rating) from Indian Navy or Coast Guard. (OR) Navigational Watch-keeping Officer (Near Coastal Voyages) with DGS certificate.
9.	Instructor (Fire Fighting)	Bachelor Degree preferably in Science from a recognized University or a minimum of 3-Years Diploma in any branch of Engineering from a recognized University or Institution or State Technical Education Board. Has Passed Fireman's Course conducted by State Fire Training Centre Should have passed MS-CIT Course Physical Standards as under: (a) Height - 165 cms. (b) Chest - Normal: Minimum 81 cms, with 5 cms Expansion. (c) Weight - 50 Kgs. (d) Eye sight - Normal
* IMU may create new Instructors posts other than ones mentioned above as per the requirements of the University; accordingly, the essential qualifications will be defined.		

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF Deputy Librarian [Post Code-NT/04]

1.	Name of the post	Deputy Librarian
2.	Number of Posts	Two (2)
3.	Classification	Group A
4.	Scale of Pay	Academic Pay Level-12 of the 7th CPC Pay matrix. After 5 years of service in Academic Pay Level-12, the incumbent will move to Academic Pay Level-13-A, subject to satisfactory performance with the same designation. This upgradation is personal to the incumbent.
5.	Whether Selection Post or non-Selection Post	Not applicable for Direct Recruitment/Deputation. By Selection in case of Promotion.
6.	Age limit for Direct Recruits	50 years

7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<u>Essential:</u> i. A Post-Graduate Degree in Library Science/Information Science/ Documentation Science or an equivalent professional degree with at least 55% marks (or an equivalent grade) and a consistently good academic record with knowledge of computerization of library. ii. Qualifying in the National Eligibility Test (NET) in Library Science conducted for the purpose by the UGC or any other agency approved by the UGC. However, candidates who have been awarded Ph.D in Library Science/Information Science/ Documentation Science shall be exempted from the requirement of minimum eligibility condition of NET. iii. At least five years' experience as an Assistant Librarian or equivalent in a Central or State University or in an IIM, IIT or NIT or in a reputed Research Institute of Central Government or a State Government. iv. Evidence of innovative library service, organization of published work and computerization of library. <u>Desirable:</u> M.Phil/Ph.D degree in Library Science /Information Science/ Documentation / Archives & Manuscript keeping.
8.	Whether age / education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	<u>Promotion:</u> Age: No age limit Educational & other Qualifications: Yes. <u>Deputation:</u> Age: 56 years Educational & other Qualifications: Yes
9.	Period of probation	One Year
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled	50% through Direct Recruitment failing which by Deputation. 50% by promotion failing which by Deputation. <u>Direct Recruitment:</u> Will be done through a Common Recruitment Test followed by Personal Interview. <u>Promotion:</u> Among Assistant Librarians at Academic Pay Level-10 of 7th CPC with a regular service of at least 5 years' in IMU subject to availability of vacancy and assessment by DPC. <u>Deputation:</u> Officers Central/State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government/PSUs/CABs/ holding analogous posts on

		regular basis subject to possessing educational qualification and experience as prescribed in column 07. OR Assistant Librarian at Academic Pay Level-11 of 7th CPC or its equivalent with a regular service of at least 5 years’.
11.	If a Selection Committee / DPC exists, what is its composition	As per clause 13 of HR Manual
12.	Grade from which recruitment by promotion/ deputation/ absorption/ short-term contract/ re-employment is to be made	Promotion: Assistant Librarian (Academic Pay Level – 10 of 7th CPC) Deputation: Assistant Librarian (Academic Pay Level – 11 of 7th CPC)
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Not applicable.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF Assistant Librarian [Post Code - NT/05]

1.	Name of the post	Assistant Librarian
2.	Number of Posts	Five (5)
3.	Classification	Group A
4.	Scale of Pay	Academic Pay Level-10 of the 7th CPC Pay matrix. After 6 years of service in IMU in the Academic Pay Level-10, the incumbent will move to Academic Pay Level-11, and designated as Assistant Librarian (SG) subject to satisfactory performance. This upgradation is personal to the incumbent. After 5 years of service in Academic Pay Level-11 in IMU, the incumbent will move to Academic Pay Level-12, subject to satisfactory performance and will remain designated as Assistant Librarian (SG). This upgradation is personal to the incumbent.
5.	Whether Selection Post or non-Selection Post	Not applicable for Direct Recruitment/Deputation. By Selection in case of Promotion.
6.	Age limit for Direct Recruits	40 years.
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential: (i) A Master’s Degree in library science/information science/documentation science, with at least 55% marks or equivalent grade point average. (ii) Qualifying in the National Eligibility Test (NET) in Library Science conducted for the purpose by the UGC or any other agency approved by the UGC. However, candidates who have been awarded Ph.D. in Library

		Science/ Information Science/ Documentation Science shall be exempted from the requirement of minimum eligibility condition of NET. (iii) Experience of working in any Library Automation Software. <u>Desirable:</u> 1. PG Diploma in Library Automation and networking or PGDCA. 2. Experience in working in Central/State University/ IITs/IISERs/NITs or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government/PSUs/CABs/ Public limited company.
8.	Whether age / education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	<u>Promotion:</u> Age: No age limit Educational & other Qualifications: Yes <u>Deputation:</u> Age limit – 56 years Educational & other Qualifications: Yes.
9.	Period of probation	Two years
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled	50% through Direct Recruitment failing which by Deputation. 50% by promotion failing which by Deputation. <u>Direct Recruitment:</u> Will be done through a Common Recruitment Test followed by Personal Interview. <u>Promotion:</u> Among Senior Library Assistants with 4 years' experience in IMU in Level-8 subject to possessing the education qualification prescribed for the post of Assistant Librarian and assessment by the Departmental Promotion Committee. <u>Deputation:</u> 4 years' experience as Senior Library Assistant or its equivalent post in Central/State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government/PSUs/CABs in Pay Matrix Level-8 of 7th CPC.
11.	If a Selection Committee / DPC exists, what is the composition	As per clause 13 of HR Manual
12.	Grade from which recruitment by promotion/ deputation/ absorption/ short-term contract/ re-employment is to be made	<u>Promotion:</u> Senior Library Assistant (Level – 8 of 7th CPC). <u>Deputation:</u> Senior Library Assistant (Level – 8 of 7th CPC) – 4 years' experience
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Not applicable.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF Senior Library Assistant [Post Code – NT/06]

1.	Name of the post	Senior Library Assistant
2.	Number of Posts	Five (5)
3.	Classification	Group B
4.	Scale of Pay	Level-8 of the 7th CPC Pay matrix.
5.	Whether Selection Post or non-Selection Post	Not applicable for Direct Recruitment/Deputation. By Selection in case of Promotion.
6.	Age limit for Direct Recruits	Not Applicable
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not Applicable
8.	Whether age / education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	<u>Promotion:</u> Age: No age limit <u>Deputation:</u> Age: 56 years Educational & other Qualifications: Yes
9.	Period of probation	Not applicable.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled	100% by Promotion from Library Assistants with 6 years of experience in IMU, subject to availability of the vacancy and assessment by DPC, failing which by Deputation. <u>Deputation:</u> Library Assistants in Level 6 of 7th CPC or its equivalent post with 6 years of experience in Central/State University or autonomous educational/research institution, Central/ State Government/PSUs/CABs
11.	If a Selection Committee / DPC exists, what is the composition	As per clause 13 of HR Manual
12.	Grade from which recruitment by promotion/ deputation/ absorption/ short-term contract/ re-employment is to be made	Library Assistant (Level - 6 of 7 th CPC)
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF Library Assistant [Post Code – NT/07]

1.	Name of the post	Library Assistant
2.	Number of Posts	Eight (8)
3.	Classification	Group B
4.	Scale of Pay	Level-6 of the 7th CPC Pay matrix.
5.	Whether Selection Post or non-Selection Post	Not applicable for Direct Recruitment/Deputation.
6.	Age limit for Direct Recruits	40 years.
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<u>Essential:</u> (i) A Bachelor's degree in Library and Information Science with at least 55% marks or its equivalent grade. (ii) Two years' experience as Library Assistant or equivalent in a Central/State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government/PSUs/CABs/ Public limited company
8.	Whether age / education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	<u>Promotion:</u> Not Applicable <u>Deputation:</u> Age: 56 years Educational & other Qualifications: Yes.
9.	Period of probation	Two years.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled	100% by Direct Recruitment failing which by Deputation. <u>Deputation:</u> Persons holding analogous post in the parent department in Central/State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government/ PSUs/CABs with essential qualifications mentioned at column 07.
11.	If a Selection Committee / DPC exists, what is the composition	As per clause 13 of HR Manual
12.	Grade from which recruitment by promotion/ deputation/ absorption/ short-term contract/ re-employment is to be made	Not applicable.
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Not applicable.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF Deputy Registrar [Post Code – NT/08]

1.	Name of the post	Deputy Registrar
2.	Number of Posts	Eleven (11)
3.	Classification	Group A
4.	Scale of Pay	Level-12 of the 7th CPC Pay matrix. After 5 years of service in Level-12, the incumbent will move to Level-13, and will be designated as Joint Registrar and this upgradation to Joint Registrar will be personal to the incumbent.
5.	Whether Selection Post or non-Selection Post	Not applicable for Direct Recruitment/Deputation. By Selection in case of Promotion.
6.	Age limit for Direct Recruits	50 years.
7.	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment	<u>Essential:</u> (i) Master's degree with at least 55% marks or equivalent grade point average. (ii) 5 years' administrative experience as Assistant Registrar in Pay Matrix Level-10 or equivalent post in any Central/State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government/PSUs/CABs/ Public limited company.
8.	Whether age / education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	<u>Promotion:</u> Age limit – No. Educational and other qualifications: Yes. <u>Deputation:</u> Age limit – 56 years. Educational and other qualifications: Yes.
9.	Period of probation	One Year.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled	50% through Direct Recruitment failing which by Deputation. 50% by promotion failing which by Deputation. <u>Promotion:</u> Among the Assistant Registrars with at least 5 years of regular service in Pay level 11 or 10 years of service in Pay level 10 in IMU, subject to availability of vacancy and assessment by the Departmental Promotion Committee. <u>Deputation:</u> Person with analogous post at Level-12 of 7th CPC or 5 years' administrative experience as Assistant Registrar in Pay level-10 or equivalent post.
11.	If a Selection Committee / DPC exists, what is the composition	As per clause 13 of HR Manual

12.	Grade from which recruitment by promotion/ deputation/ absorption/ short-term contract/ re-employment is to be made	Assistant Registrar (Level 11/10 of 7th CPC)
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Not applicable.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF Assistant Registrar [Post Code – NT/09]

1.	Name of the post	Assistant Registrar
2.	Number of Posts	Ten (10)
3.	Classification	Group A
4.	Scale of Pay	Level-10 of the 7th CPC Pay matrix. After 5 years of service in Level-10 in IMU, the incumbent will move to Level-11, with the same designation and this upgradation is personal to the incumbent.
5.	Whether Selection Post or non-Selection Post	Not applicable for Direct Recruitment/Deputation. By Selection in case of Promotion.
6.	Age limit for Direct Recruits	40 years.
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<u>Essential:</u> (ii) Master's degree with at least 55% marks or equivalent grade point average. (iii) 3 years of administrative experience in Level – 06 and above in any Central/State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government/PSUs/CABs/ Public limited company
8.	Whether age / education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	<u>Promotion:</u> Age limit – No. Educational and other qualifications: Yes. <u>Deputation:</u> Age limit – 56 years. Educational and other qualifications: Yes.
9.	Period of probation	Two years.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled	50% through Direct Recruitment failing which by Deputation. 50% by promotion failing which by Deputation. <u>Promotion:</u> Among the Section Officers/Legal Officer and Private Secretary [in the ratio of 3:1] with at least 5 years of regular service subject to the availability of vacancy and assessment by the Departmental Promotion Committee. <u>Deputation:</u> A person holding analogous post on regular basis in Pay level-10 of 7th CPC (or) 5 years of

		administrative experience as Section Officer in Pay Level-7/8 or equivalent post in Central/State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government/PSUs/CABs.
11.	If a Selection Committee / DPC exists, what is the composition	As per clause 13 of HR Manual
12.	Grade from which recruitment by promotion/ deputation/ absorption/ short-term contract/ re-employment is to be made	Section Officer/ Private Secretary (Level-7/8 of 7th CPC)
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Not applicable.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF SECTION OFFICER [POST CODE – NT/10]

1.	Name of the post	Section Officer
2.	Number of Posts	Thirteen (13)
3.	Classification	Group B
4.	Scale of Pay	Level-7 of the 7th CPC Pay matrix.
5.	Whether Selection Post or non-Selection Post	Not applicable for Direct Recruitment/Deputation. By Selection in case of Promotion.
6.	Age limit for Direct Recruits	40 years.
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<u>Essential:</u> i. Educational Qualification: A Bachelor's Degree. ii. Service Qualification: At least 5 years work experience in the area of Administration / Establishment / Finance / Vigilance /Legal /Documentation / Academic /Examination at Pay level 6 under 7th CPC or equivalent in any Central/State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government/PSUs/CABs/ Public limited company iii. Working knowledge of Information & Communication Technology.
8.	Whether age / education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	<u>Promotion:</u> Age limit: No Educational & other Qualifications: Yes. <u>Deputation:</u> Age limit: 56 years. Educational & other Qualifications: Yes.
9.	Period of probation	Two years.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled	50% by Direct Recruitment failing which by Deputation. 50% by promotion failing which by Deputation. <u>Promotion:</u> From Senior Assistants with at least 5 years of regular service in IMU, subject availability of vacancy and assessment by the Departmental Promotion Committee. <u>Deputation:</u> 5 years of administrative experience as Senior Assistant or equivalent in Pay Matrix Level-6 or equivalent post in Central/State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government/PSUs/CABs

11.	If a Selection Committee / DPC exists, what is the composition	As per clause 13 of HR Manual
12.	Grade from which recruitment by promotion/ deputation/ absorption/ short-term contract/ re-employment is to be made	Senior Assistant (Level-6 of 7th CPC)
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Not applicable.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF Senior Assistant [Post Code – NT/11]

1.	Name of the post	Senior Assistant
2.	Number of Posts	Twenty-Five (25)
3.	Classification	Group B
4.	Scale of Pay	Level-6 of the 7th CPC Pay matrix.
5.	Whether Selection Post or non-Selection Post	Selection Post
6.	Age limit for Direct Recruits	40 years.
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<u>Essential:</u> A Bachelor's Degree from a recognized University with a minimum of 50% of marks or its equivalent grade. <u>Experience:</u> 5 years' administrative experience as Assistant in Pay Matrix Level-4 or equivalent post in any Central/ State Government, experience of PSUs/CABs/ Public limited company <u>Desirable:</u> Working knowledge of Information & Communication Technology.
8.	Whether age / education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	<u>Promotion:</u> Age: No limit Educational & other Qualifications: Yes. <u>Deputation:</u> Age: 56 years. Educational & other Qualifications: Yes.
9.	Period of probation	Not Applicable.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled	100% by promotion failing which by Deputation. <u>Promotion:</u> Among the Assistants (Level-4) with at least 5 years of regular service in IMU, subject to availability of vacancy and assessment by the Departmental Promotion Committee. <u>Deputation:</u> 5 years' administrative experience as Assistant in Pay Matrix Level-4 or equivalent post in any Central/State University or autonomous

		educational/ research institution, Central/ State Government/PSUs/CABs
11.	If a Selection Committee / DPC exists, what is the composition	As per clause 13 of HR Manual
12.	Grade from which recruitment by promotion/ deputation/ absorption/ short-term contract/ re-employment is to be made	Assistant (Level-4 of 7 th CPC)
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Not applicable.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF Assistant [Post Code – NT/12]

1.	Name of the post	Assistant
2.	Number of Posts	Thirty-three (33)
3.	Classification	Group C
4.	Scale of Pay	Level-4 of the 7th CPC Pay matrix.
5.	Whether Selection Post or non-Selection Post	Not Applicable.
6.	Age limit for Direct Recruits	35 years.
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<u>Essential:</u> A Bachelor's Degree from a recognized University with a minimum of 50% of marks or its equivalent grade. <u>Desirable:</u> Working knowledge of Information & Communication Technology.
8.	Whether age / education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	<u>Promotion:</u> Not applicable <u>Deputation:</u> Age: 56 years. Educational & other Qualifications: Yes.
9.	Period of probation	Two years.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled	100 % by Direct Recruitment failing which by Deputation. <u>Deputation:</u> Persons holding analogous post in the parent department in Central/State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government/ PSUs/CABs with essential qualifications mentioned at column 07.
11.	If a Selection Committee / DPC exists, what is the composition	As per clause 13 of HR Manual

12.	Grade from which recruitment by promotion/ deputation/ absorption/ short-term contract/ re-employment is to be made	Not applicable.
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Not applicable.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF Deputy Finance Officer [Post Code – NT/13]

1.	Name of the post	Deputy Finance Officer
2.	Number of Posts	Four (4)
3.	Classification	Group A
4.	Scale of Pay	Level-12 of the 7th CPC Pay matrix. After 5 years of service in Level-12 in IMU, the incumbent will move to Level-13, and will be designated as Joint Finance Officer and this upgradation to Joint Finance Officer will be personal to the incumbent.
5.	Whether Selection Post or non-Selection Post	Not applicable for Direct Recruitment/ Deputation. By Selection in case of Promotion.
6.	Age limit for Direct Recruits	50 years.
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<u>Essential:</u> i. At least 55% marks (or its equivalent grade) in Master of Commerce (or) C.A/I.C.W.A. AND ii. At least 5 years' experience in finance and accounts in Grade Pay Rs. 5,400/Rs. 6,600 (or equivalent) in Central/ State Universities, Autonomous Educational Institutes, Port Trusts, Public Sector Undertakings, Central/State Government Departments/ Agencies. (Or) At least 8 years' post-qualification experience in finance and accounts (i) as a practising chartered/cost accountant (or) (ii) in a senior position in a registered company equivalent to the pay level of 10 as per 7 th CPC. <u>Desirable:</u> Working knowledge of computers.
8.	Whether age / education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	<u>Promotion:</u> Age: No limit Educational and other Qualifications: Yes

		<u>Deputation:</u> Age: 56 years Educational and other Qualifications: Yes.
9.	Period of probation	One Year.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled	50% through Direct Recruitment failing which by Deputation. 50% by promotion failing which by Deputation. <u>Promotion:</u> Among the Assistant Registrar (Finance) with at least 5 years of regular service in pay level 11 or 10 years of regular service in pay level 10 in IMU, subject to availability of vacancy and assessment by the Departmental Promotion Committee. <u>Deputation:</u> A person with analogous post or 5 years' administrative experience as Assistant Registrar (Finance) in pay level-10 or equivalent.
11.	If a Selection Committee / DPC exists, what is the composition	As per clause 13 of HR Manual
12.	Grade from which recruitment by promotion/ deputation/ absorption/ short-term contract/ re-employment is to be made	Assistant Registrar (Finance) (Level 10 of 7th CPC)
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Not applicable.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF Assistant Registrar (Finance) [Post Code – NT/14]

1.	Name of the post	Assistant Registrar (Finance)
2.	Number of Posts	Seven (7)
3.	Classification	Group A
4.	Scale of Pay	Level-10 of the 7th CPC Pay matrix. After 5 years of service in Level-10 in IMU, the incumbent will move to Level-11, but will remain designated as Assistant Registrar (Finance) and this upgradation will be personal to the incumbent.
5.	Whether Selection Post or non-Selection Post	Not applicable for Direct Recruitment/ Deputation. By Selection in case of Promotion.
6.	Age limit for Direct Recruits	40 years.
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<u>Essential:</u> (i) Master's degree in Commerce or Master of Business

		Administration (Finance) or equivalent with minimum of 55% marks or equivalent grade point average from a recognized Universities. (OR) (ii) C.A/I.C.W.A. (AND) (iii) At least three years of experience in the Finance & Accounts wing at Pay Level – 6 or above in the Central/State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government/PSUs/CABs/ Public limited company
8.	Whether age / education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	<u>Promotion:</u> Age limit – No. Educational qualifications: Yes. <u>Deputation:</u> Age limit – 56 years. Educational qualifications: Yes.
9.	Period of probation	Two years.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled	50% through Direct Recruitment failing which by deputation. 50% by promotion failing which by Deputation. <u>Promotion:</u> Among the Section Officer (Finance) with at least 5 years of regular service in IMU, subject to availability of vacancy and assessment by Departmental Promotion Committee. <u>Deputation:</u> A person holding analogous post on regular basis in Pay level-10 of 7th CPC (or) 5 years of experience in Finance & Accounts as Section Officer (Finance) in Pay Level-7/8 or equivalent post in Central/State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government/PSUs/CABs
11.	If a Selection Committee / DPC exists, what is the composition	As per clause 13 of HR Manual
12.	Grade from which recruitment by promotion/ deputation/ absorption/ short-term contract/ re-employment is to be made	Section Officer (Finance) (Level-7/8 of 7th CPC)
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Not applicable.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF Section Officer (Finance) [Post Code – NT/15]

1.	Name of the post	Section Officer (Finance)
2.	Number of Posts	Eight (8)
3.	Classification	Group B
4.	Scale of Pay	Level-7 of the 7th CPC Pay matrix.
5.	Whether Selection Post or non-Selection Post	Not applicable for Direct Recruitment/ Deputation. By Selection in case of promotion.
6.	Age limit for Direct Recruits	40 years.
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<u>Essential:</u> ii. Bachelor's Degree in Commerce or Mathematics or Statistics. iii. At least 5 years work experience in Pay level 6 under 7th CPC or equivalent in the area of Finance and Accounts in any Central/State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government/PSUs/CABs/ Public limited company. iv. Working knowledge of Information & Communication Technology, especially in Accounting Software.
8.	Whether age / education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	<u>Promotion:</u> Age limit: No age limit Educational & other Qualifications: Yes. <u>Deputation:</u> Age limit: 56 years. Educational & other Qualifications: Yes.
9.	Period of probation	Direct Recruitment: Two years. Promotion: Not applicable.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled	50% through Direct Recruitment failing which by Deputation. 50% by Promotion failing which by Deputation. <u>Promotion:</u> From Senior Assistant (Finance) with at least 5 years of regular service in IMU, subject to availability of vacancy and assessment by the Departmental Promotion Committee. <u>Deputation:</u> 3 years of experience in Finance and Accounts as Senior Assistant (Finance) or equivalent post in Pay Matrix Level-6 or equivalent in Central/State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government/PSUs/CABs
11.	If a Selection Committee / DPC exists, what is the composition	As per clause 13 of HR Manual

12.	Grade from which recruitment by promotion/ deputation/ absorption/ short-term contract/ re-employment is to be made	Senior Assistant (Finance) (Level-6 of 7th CPC)
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Not applicable.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF SENIOR ASSISTANT (FINANCE) [POST CODE – NT/16]

1.	Name of the post	Senior Assistant (Finance)
2.	Number of Posts	Twenty three (23)
3.	Classification	Group B
4.	Scale of Pay	Level-6 of the 7th CPC Pay matrix.
5.	Whether Selection Post or non-Selection Post	Selection Post
6.	Age limit for Direct Recruits	Not Applicable
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<u>Essential:</u> Bachelor's Degree from a recognized University with a minimum aggregate of 50% marks or its equivalent grade in Commerce or Mathematics or Statistics. <u>Experience:</u> Assistant (Finance) or equivalent post in Central/State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government/PSUs/CABs/ Public limited company with 5 (five) years of experience in Pay Matrix Level - 4 of 7th CPC or equivalent. <u>Desirable:</u> Working knowledge of Information & Communication Technology preferably in Accounting Software.
8.	Whether age / education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	<u>Promotion:</u> Age: No limit Educational & other Qualifications: Yes <u>Deputation:</u> Age: 56 years Educational & other Qualifications: Yes
9.	Period of probation	Two years
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled	100% by Promotion failing which by Deputation. <u>Promotion:</u> Among the Assistants (Finance) with at least 5 years of regular service in IMU, subject to assessment by the Departmental Promotion Committee.

		<u>Deputation:</u> A person with analogous post or Assistant (Finance) or equivalent of Central/State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government/PSUs/CABs with 5 (five) years of experience in Pay Matrix Level - 4 of 7th CPC or equivalent.
11.	If a Selection Committee / DPC exists, what is the composition	As per clause 13 of HR Manual
12.	Grade from which recruitment by promotion/ deputation/ absorption/ short-term contract/ re-employment is to be made	Assistant (Finance) (Level-4 of 7th CPC)
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Not applicable.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF ASSISTANT (FINANCE) [POST CODE – NT/17]

1.	Name of the post	Assistant (Finance)
2.	Number of Posts	Thirty-three (33)
3.	Classification	Group C
4.	Scale of Pay	Level-4 of the 7th CPC Pay matrix.
5.	Whether Selection Post or non-Selection Post	Not Applicable
6.	Age limit for Direct Recruits	35 years.
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<u>Essential:</u> Bachelor's Degree in commerce from a recognized University with a minimum aggregate of 50% marks or its equivalent grade <u>Desirable:</u> Working knowledge of Information & Communication Technology, particularly in Accounting Software
8.	Whether age / education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	<u>Promotion:</u> Not Applicable <u>Deputation:</u> Age: 56 years. Educational & other Qualifications: Yes.
9.	Period of probation	Two years
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled	100% through Direct Recruitment failing by Deputation <u>Deputation:</u> Persons holding analogous post in the parent department in Central/State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government/ PSUs/CABs with essential qualifications mentioned at column 07.
11.	If a Selection Committee / DPC exists, what is the composition	As per clause 13 of HR Manual

12.	Grade from which recruitment by promotion/ deputation/ absorption/ short-term contract/ re-employment is to be made	Not Applicable
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Not applicable.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF SENIOR PRIVATE SECRETARY [POST CODE – NT/18]

1.	Name of the post	Senior Private Secretary
2.	Number of Posts	One (1)
3.	Classification	Group A
4.	Scale of Pay	Level-10 of the 7th CPC Pay matrix.
5.	Whether Selection Post or non-Selection Post	Selection Post
6.	Age limit for Direct Recruits	Not Applicable
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not Applicable.
8.	Whether age / education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	<u>Promotion:</u> Age: No age limit Educational and other qualifications: Yes <u>Deputation:</u> Age: 56 Years Educational and other qualifications: Yes
9.	Period of probation	Two years.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled	100% by Promotion failing which by deputation. <u>Promotion:</u> From Private Secretaries with 4 years' experience in Pay Matrix Level-8 in IMU, subject to availability of vacancy and assessment by DPC. <u>Deputation:</u> From Private Secretary with 4 years' experience in Pay Matrix Level-8 or its equivalent post in any Central/State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government/PSUs/CABs.
11.	If a Selection Committee / DPC exists, what is the composition	As per clause 13 of HR Manual
12.	Grade from which recruitment by promotion/ deputation/ absorption/ short-term contract/ re-employment is to be made	Private Secretary (Level-8 of 7 th CPC)
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Not applicable.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF Private Secretary [Post Code – NT/19]

1.	Name of the post	Private Secretary
2.	Number of Posts	Five (5)
3.	Classification	Group B
4.	Scale of Pay	Level-8 of the 7th CPC Pay matrix.
5.	Whether Selection Post or non-Selection Post	By Selection
6.	Age limit for Direct Recruits	Not Applicable
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<u>Essential:</u> <u>Educational & Technical Qualifications:</u> (i) A Bachelor's Degree. (ii) Proficiency in Stenography in English / Hindi with minimum speed of 100 wpm. (iii) Typewriting Higher/Senior Grade in English [45 words per minute]. (iv) Proficiency in Information & Communication Technology. <u>Service Qualification:</u> From Personal Assistant or equivalent with at least 6 years of regular service. <u>Desirable:</u> (ii) Shorthand Higher/Senior Grade in English [120 words per minute]. (iii) Typing in Hindi.
8.	Whether age / education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	<u>Promotion:</u> Age: No Age limit Educational and other Qualification: Yes. <u>Deputation:</u> Age: 56 years. Educational Qualification and other Qualification: Yes.
9.	Period of probation	Not Applicable.

10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled	100% by Promotion failing which by Deputation. <u>Promotion:</u> Among Personal Assistants with at least 6 years of regular service subject to availability of vacancy and assessment by the Departmental Promotion Committee. <u>Deputation:</u> 6 years of administrative experience as Personal Assistant in Pay Matrix Level-6 or equivalent post in any Central/State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government/PSUs/CABs.
11.	If a Selection Committee / DPC exists, what is the composition	As per clause 13 of HR Manual
12.	Grade from which recruitment by promotion/ deputation/ absorption/ short-term contract/ re-employment is to be made	Personal Assistant (Level – 6 of 7 th CPC)
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Not applicable.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF Personal Assistant [Post Code – NT/20]

1.	Name of the post	Personal Assistant
2.	Number of Posts	Six (6)
3.	Classification	Group B
4.	Scale of Pay	Level-6 of the 7th CPC Pay matrix.
5.	Whether Selection Post or non-Selection Post	Not Applicable.
6.	Age limit for Direct Recruits	40 years.
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<u>Essential:</u> 1. A Bachelor's Degree in any discipline from any recognised Institute/ University. 2. Proficiency in Stenography in English / Hindi with minimum speed of 100 wpm. 3. Proficiency in Typing in English or Hindi with minimum speed of 35 / 30 wpm respectively. 4. Knowledge of Computer Applications. 5. Two years' experience as Stenographer in

		Central/State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government/PSUs/CABs/ Public limited company <u>Desirable:</u> Proficiency in English and good communication skills. Skill Test Norms on Computer: Dictation: 10 minutes @ 100 w.p.m. Transcription : 40 minutes English/55 minutes Hindi.
8.	Whether age / education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	<u>Promotion: Not Applicable</u> <u>Deputation:</u> Age: 56 years. Educational Qualification and other Qualification: Yes.
9.	Period of probation	Two years.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled	100% by Direct Recruitment failing which by Deputation. <u>Deputation:</u> Persons holding analogous post in the parent department in Central/State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government/ PSUs/CABs with essential qualifications mentioned at column 07.
11.	If a Selection Committee / DPC exists, what is the composition	As per clause 13 of HR Manual
12.	Grade from which recruitment by promotion/ deputation/ absorption/ short-term contract/ re-employment is to be made	Not applicable.
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Not applicable.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF CHIEF Hostel Warden [Post Code – NT/21]

1.	Name of the post	Chief Hostel Warden
2.	Number of Posts	Three (03)
3.	Classification	Group B
4.	Scale of Pay	Level-7 of the 7th CPC Pay matrix.
5.	Whether Selection Post or non-Selection Post	By Selection
6.	Age limit for Direct Recruits	Not applicable.
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<u>Essential:</u> Petty Officer in Seaman branch from Indian Navy/ Coast Guard. (OR) Havildar from Indian Army/Paramilitary force. (OR) Sergeant in Indian Air Force.
8.	Whether age / education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	<u>Promotion:</u> Age: No Age limit Educational and other qualifications: Yes <u>Deputation:</u> Age: 56 Years Educational and other qualifications: Yes
9.	Period of probation	Two years.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled	100% by Promotion from Senior Hostel wardens with at least 5 years of experience in IMU, subject to availability of vacancy and assessment by the Departmental Promotion Committee, failing which by Deputation.
11.	If a Selection Committee / DPC exists, what is the composition	As per clause 13 of HR Manual
12.	Grade from which recruitment by promotion/ deputation/ absorption/ short-term contract/ re-employment is to be made	Senior Hostel Warden (Level - 06)
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Not applicable.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF SENIOR Hostel Warden [Post Code – NT/22]

1.	Name of the post	Senior Hostel Warden
2.	Number of Posts	Six (06)
3.	Classification	Group B
4.	Scale of Pay	Level-6 of the 7th CPC Pay matrix.
5.	Whether Selection Post or non-Selection Post	By Selection
6.	Age limit for Direct Recruits	Not Applicable.
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<u>Essential:</u> Petty Officer in Seaman branch from Indian Navy/ Coast Guard. (OR) Havildar from Indian Army/Paramilitary force. (OR) Sergeant in Indian Air Force.
8.	Whether age / education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	<u>Promotion:</u> Age: No Age limit Educational and other qualifications: Yes <u>Deputation:</u> Age: 56 Years Educational and other qualifications: Yes
9.	Period of probation	Two years.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled	100% by Promotion from Hostel wardens with at least 6 years of experience in IMU, subject to availability of vacancy and assessment by the Departmental Promotion Committee, failing which by Deputation.
11.	If a Selection Committee / DPC exists, what is the composition	As per clause 13 of HR Manual
12.	Grade from which recruitment by promotion/ deputation/ absorption/ short-term contract/ re-employment is to be made	Not applicable.
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Not applicable.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF Hostel Warden [Post Code – NT/23]

1.	Name of the post	Hostel Warden
2.	Number of Posts	Eight (08)
3.	Classification	Group C
4.	Scale of Pay	Level-5 of the 7th CPC Pay matrix.
5.	Whether Selection Post or non-Selection Post	Not Applicable.
6.	Age limit for Direct Recruits	35 years.
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<u>Essential:</u> Petty Officer in Seaman branch from Indian Navy/ Coast Guard. (OR) Havildar from Indian Army/Paramilitary force. (OR) Sergeant in Indian Air Force.
8.	Whether age / education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	<u>Promotion:</u> Not Applicable <u>Deputation:</u> Age: 56 Years Educational and other qualifications: Yes
9.	Period of probation	Two years.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled	100% by Direct Recruitment failing which by Deputation. <u>Deputation:</u> Persons holding analogous post in the parent department in Central/State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government/ PSUs/CABs with essential qualifications mentioned at column 07.
11.	If a Selection Committee / DPC exists, what is the composition	As per clause 13 of HR Manual
12.	Grade from which recruitment by promotion/ deputation/ absorption/ short-term contract/ re-employment is to be made	Not applicable.
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Not applicable.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF SUPERINTENDING Engineer (Civil/ELECTRICAL)**[Post Code – NT/24]**

1.	Name of the post	Superintending Engineer (Civil/Electrical)
2.	Number of Posts	One (1)
3.	Classification	Group A
4.	Scale of Pay	Level-12 of the 7th CPC Pay matrix.
5.	Whether Selection Post or non-Selection Post	Selection Post
6.	Age limit for Direct Recruits	Not Applicable
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<u>Essential:</u> M.E/M.Tech in relevant branch with at least 55% marks or equivalent CGPA from a recognized University / Institution with 8 years of regular service in Group 'A' post of which at least 3 years of regular service as Executive Engineer in Pay Matrix in Level 11 (Pre-revised PB-3: GP 6600) OR B.E/B.Tech in relevant branch with at least 55% marks or equivalent CGPA from a recognized University / Institution with 10 years of regular service in Group 'A' post of which at least 3 years of regular service as Executive Engineer in Pay Matrix in Level 11 (Pre-revised PB-3: GP 6600).
8.	Whether age / education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	<u>Promotion:</u> Age: No age limit Educational & other Qualifications: Yes. <u>Deputation:</u> Age: 56 years Educational & other Qualifications: Yes.
9.	Period of probation	Not Applicable
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled	100% by Promotion failing which by Deputation. <u>Promotion:</u> Among Executive Engineers (Civil/Electrical) (Pay Level-11) having at least 5 years of regular service in IMU or among Assistant Executive Engineers (Civil/Electrical) (Pay Level-10) having at least 10 years of regular service in IMU, subject to availability of vacancy and assessment by the Departmental Promotion Committee. <u>Deputation:</u> Person with analogous post or Executive Engineers(Civil/Electrical) at Level-11 of 7 th CPC

		with at least 5 years' regular service (OR) Assistant Executive Engineers(Civil/Electrical) at Level-10 of 7 th CPC with at least 10 years' regular service in Central/State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government/PSUs/CABs.
11.	If a Selection Committee / DPC exists, what is the composition	As per clause 13 of HR Manual
12.	Grade from which recruitment by promotion/ deputation/ absorption/ short-term contract/ re-employment is to be made	Executive Engineers (Civil/Electrical) (Level-11 of 7 th CPC) Assistant Executive Engineers (Civil/Electrical) (Level-10 of 7 th CPC)
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Not applicable.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF Executive Engineer (Civil)

[Post Code – NT/25]

1.	Name of the post	Executive Engineer (Civil)
2.	Number of Posts	One (1)
3.	Classification	Group A
4.	Scale of Pay	Level-11 of the 7th CPC Pay matrix.
5.	Whether Selection Post or non-Selection Post	Selection Post
6.	Age limit for Direct Recruits	Not Applicable
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<u>Essential:</u> (ii) B.E./B.Tech. in Civil Engineering. (iii) 5 years of regular service as Assistant Executive Engineer (Civil) or its equivalent post in any Central/State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government/PSUs/CABs/ Public limited company.
8.	Whether age / education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	<u>Promotion:</u> Age: No age limit Educational & other Qualifications: Yes. <u>Deputation:</u> Age: 56 years Educational & other Qualifications: Yes
9.	Period of probation	Not Applicable
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled	100% by Promotion failing which by Deputation. <u>Promotion:</u> Among Assistant Executive Engineers (Civil) (Pay Level-10) having at least 5 years of regular service in IMU, subject to availability of vacancy and assessment by the Departmental Promotion Committee. <u>Deputation:</u>

		Person with analogous post or Assistant Executive Engineers (Civil) at Level-10 of 7 th CPC with at least 5 years' regular service in Central/State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government/PSUs/CABs.
11.	If a Selection Committee / DPC exists, what is the composition	As per clause 13 of HR Manual
12.	Grade from which recruitment by promotion/ deputation/ absorption/ short-term contract/ re-employment is to be made	Assistant Executive Engineers (Civil) (Level-10 of 7 th CPC)
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Not applicable.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF Assistant Executive Engineer (Civil)

[Post Code – NT/26]

1.	Name of the post	Assistant Executive Engineer (Civil)
2.	Number of Posts	Five (05)
3.	Classification	Group A
4.	Scale of Pay	Level-10 of the 7th CPC Pay matrix.
5.	Whether Selection Post or non-Selection Post	Not Applicable.
6.	Age limit for Direct Recruits	40 years.
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<u>Essential:</u> (i) B.E./B.Tech. in Civil Engineering. (ii) 5 years' experience in execution, construction and maintenance of Civil works including buildings, roads, etc.
8.	Whether age / education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	<u>Promotion:</u> Not Applicable <u>Deputation:</u> Age: 56 years. Educational & other Qualifications: Yes.
9.	Period of probation	Two years
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled	100% through Direct Recruitment, failing which by Deputation. <u>Deputation:</u> Persons with analogous posts from Central/State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government/PSUs/CABs, who possess a degree in Civil Engineering with a minimum of 5 years' experience in execution, construction and maintenance of Civil works including buildings, roads, etc.

11.	If a Selection Committee / DPC exists, what is the composition	As per clause 13 of HR Manual
12.	Grade from which recruitment by promotion/ deputation/ absorption/ short-term contract/ re-employment is to be made	Not Applicable
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF Executive Engineer (Electrical)

[Post Code – NT/27]

1.	Name of the post	Executive Engineer (Electrical)
2.	Number of Posts	One (1)
3.	Classification	Group A
4.	Scale of Pay	Level-11 of the 7th CPC Pay matrix.
5.	Whether Selection Post or non-Selection Post	Selection post
6.	Age limit for Direct Recruits	Not Applicable
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<u>Essential:</u> ii. B.E./B.Tech. in Electrical Engineering. ii. 5 years of regular service as Assistant Executive Engineer (Electrical) or its equivalent post in any Central/State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government/PSUs/CABs/ Public limited company
8.	Whether age / education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	<u>Promotion:</u> Age: No limit Educational & other Qualifications: Yes. <u>Deputation:</u> Age: 56 years Educational & other Qualifications: Yes.
9.	Period of probation	Not Applicable
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled	100% by Promotion failing which by Deputation. <u>Promotion:</u> Among Assistant Executive Engineers (Electrical) of IMU (Pay Level-10) having at least 5 years of regular service in IMU, subject to availability of vacancy and assessment by the Departmental Promotion Committee. <u>Deputation:</u> Person with analogous posts at Level-11 of 7 th CPC or Assistant Executive Engineers (Electrical) at Level-10 of 7 th CPC with at least 5 years' regular service in Central/State University or autonomous educational/

		research institution, Central/ State Government/PSUs/CABs.
11.	If a Selection Committee / DPC exists, what is the composition	As per clause 13 of HR Manual
12.	Grade from which recruitment by promotion/ deputation/ absorption/ short-term contract/ re-employment is to be made	Assistant Executive Engineers (Electrical) (Level-10 of 7 th CPC)
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Not applicable.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER (ELECTRICAL) [Post Code – NT/28]

1.	Name of the post	Assistant Executive Engineer (Electrical)
2.	Number of Posts	Five (5)
3.	Classification	Group A
4.	Scale of Pay	Level-10 of the 7th CPC Pay matrix.
5.	Whether Selection Post or non-Selection Post	Not Applicable.
6.	Age limit for Direct Recruits	40 years.
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<u>Essential:</u> (i) B.E./ B.Tech. in Electrical Engineering. (ii) 5 years' experience in execution /supervision/maintenance of large Electrical works such as high tension and low-tension lines, electrical maintenance, planning etc.
8.	Whether age / education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	<u>Promotion:</u> Not Applicable <u>Deputation:</u> Age: 56 years Educational & other Qualifications: Yes.
9.	Period of probation	Two years.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled	100% through Direct Recruitment failing which by deputation. <u>Deputation:</u> Persons with analogous posts from Central/State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government/PSUs/CABs, who possess a degree in Electrical Engineering with a minimum of 5 years' experience in in execution/ supervision/ maintenance of large Electrical works such as high tension and low-tension lines, electrical maintenance, planning etc.

11.	If a Selection Committee / DPC exists, what is the composition	As per clause 13 of HR Manual
12.	Grade from which recruitment by promotion/ deputation/ absorption/ short-term contract/ re-employment is to be made	Not Applicable
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Not applicable.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF Medical Officer [Post Code – NT/29]

1.	Name of the post	Medical Officer
2.	Number of Posts	Three (3)
3.	Classification	Group A
4.	Scale of Pay	Level-10 of the 7th CPC Pay matrix.
5.	Whether Selection Post or non-Selection Post	Not Applicable.
6.	Age limit for Direct Recruits	40 Years
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<u>Essential:</u> i. MBBS recognised by MCI. ii. Three years of working experience in a Hospital attached with a Medical College / Corporate Hospital. <u>Desirable:</u> Post Graduate Medical Qualification recognized by the MCI.
8	Whether age / education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	<u>Promotion:</u> Not Applicable <u>Deputation:</u> Age: 56 years Educational and other qualifications: Yes <u>Short Term Contract:</u> Age: Yes Educational and other qualifications: Yes
9	Period of probation	Not Applicable
10	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled	100% by Deputation/ Short Term Contract <u>Deputation:</u> Medical Officers from Govt. Hospitals / Autonomous bodies/ Public Sector Undertakings, employed on regular basis and possessing the qualifications prescribed in Column 7.
11	If a Selection Committee / DPC exists, what is the composition	As per clause 13 of HR Manual
12.	Grade from which recruitment by promotion/ deputation/ absorption/ short-term contract/ re-employment is to be made	Not Applicable
13	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Not Applicable.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF STAFF NURSE [POST CODE – NT/30]

1.	Name of the post	Staff Nurse (Grade III)
2.	Number of Posts	Six (6)
3.	Classification	Group B
4.	Scale of Pay	Level-7 of the 7th CPC Pay matrix. The Staff Nurse (Grade-III) after 5 years of service in IMU will be placed in Pay Level-8 of 7th CPC, and will be designated as Staff Nurse Grade – II. This upgradation to Staff Nurse Grade – II will be personal to the incumbent. The Staff Nurse (Grade-II) after 5 years of service in IMU will be placed in Pay Level-9 of 7th CPC, and will be designated as Staff Nurse Grade – I. This upgradation to Staff Nurse Grade – I will be personal to the incumbent.
5.	Whether Selection Post or non-Selection Post	Not Applicable.
6.	Age limit for Direct Recruits	40 years.
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<u>Category – I</u> (i) B.Sc(Hons.) Nursing/B.Sc. Nursing from an Indian Nursing Council/State Nursing Council recognized Institute or University. OR (ii) B.Sc(Post-Certificate)/Post basic B.Sc Nursing from an Indian Nursing Council/State Nursing Council recognized Institute or University. (iii) Registered as a Nurse or Nurse Midwife with State / Indian Nursing Council (OR) <u>Category – II</u> (i) Diploma in General Nursing Midwifery from an Indian Nursing Council/State Nursing Council recognized Institute / Board or Council. (ii) Registered as a Nurses or Nurse Midwife in State / Indian Nursing Council. (iii) 2 years' experience in a minimum 50 bedded Hospital after acquiring the educational qualification mentioned above. Remarks - The required two years of experience as in above is an Essential criterion, and to be valid, the experience shall be acquired after obtaining Essential Qualification, i.e. after completing residency period of

		the course, declaration of result & registration with the State/Indian Nursing Council.
8	Whether age / education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	<u>Promotion:</u> Not Applicable <u>Deputation:</u> Age: 56 years Educational and other qualifications: Yes
9	Period of probation	Two years.
10	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled	100% by Direct Recruitment failing which by Deputation. <u>Deputation:</u> Persons holding analogous post in the parent department in Central/State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government/ PSUs/CABs with essential qualifications mentioned at column 07.
11	If a Selection Committee / DPC exists, what is the composition	As per clause 13 of HR Manual
12	Grade from which recruitment by promotion/ deputation/ absorption/ short-term contract/ re-employment is to be made	Not Applicable
13	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Not applicable.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF System Manager [Post Code – NT/31]

1.	Name of the post	System Manager
2.	Number of Posts	One (1)
3.	Classification	Group A
4.	Scale of Pay	Level-12 in the 7 th CPC Pay Matrix. After 5 years of service in Level-12 in IMU, the incumbent will move to Level-13, with the same designation and this upgradation will be personal to the incumbent.
5.	Whether Selection Post or non-Selection Post	Selection Post
6.	Age limit for Direct Recruits	Not Applicable

7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<u>Essential:</u> 1(a) M.E./M.Tech. in Computer Science Engineering/ Information Technology from any recognized University with minimum 55% of marks and 5 years of experience in the area as mentioned under experience. Or 1(b) B.E/B.Tech in Computer Science Engineering/ Information Technology/MCA from any recognized University with minimum 55% of marks and 8 years of experience in the area as mentioned under experience. AND (2) <u>Experience:</u> A minimum of 3 years (out of above-mentioned over-all experience) in EDP/IT centre management in Govt. (or) PSU (or) ABs (or) University (or) reputed organization in Pay Level-10 or above or equivalent (in terms of gross salary) and on any one or more of the following areas: Hands on working experience with in-house Software/Programme development/ maintenance/ database administration/ Network operating system installation/ website/ intranet development and maintenance/ information security. Desirable: - Experience in ERP. Practical experience in Industry standard software development, implementation and documentation process.
8.	Whether age / education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	<u>Promotion:</u> Age: No Age limit Educational and other qualifications: Yes <u>Deputation:</u> Age: 56 years Educational and other qualifications: Yes
9.	Period of probation	Not Applicable
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled	100% by Promotion failing which by Deputation. <u>Promotion:</u> Among System Engineers (SG) at Level-11 with at least 5 years of regular service in IMU, subject to availability of vacancy and assessment by the Departmental Promotion Committee.

		<u>Deputation:</u> Persons working in analogous post at Level 12 of 7 th CPC or above or persons possessing the qualifications prescribed in Column 7.
11.	If a Selection Committee / DPC exists, what is the composition	As per clause 13 of HR Manual
12.	Grade from which recruitment by promotion/ deputation/ absorption/ short-term contract/ re-employment is to be made	System Engineer (Level-10 of 7 th CPC).
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Not Applicable.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF System Engineer [Post Code – NT/32]

1.	Name of the post	System Engineer
2.	Number of Posts	Two (2)
3.	Classification	Group A
4.	Scale of Pay	Level-10 of the 7 th CPC Pay matrix. After 5 years of service in Level-10 in IMU, the incumbent will move to Level-11 and is designated as System Engineer (SG) and this upgradation is personal to the incumbent.
5.	Whether Selection Post or non-Selection Post	Not Applicable for Direct Recruitment/Deputation By Selection in case of Promotion
6.	Age limit for Direct Recruits	40 years.
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<u>Essential:</u> M.E/ M.Tech in Computer Science and Engineering / Information Technology with First Class Or B.E/ B.Tech in Computer Science and Engineering / Information Technology with three years' experience in relevant field.
8.	Whether age / education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	<u>Promotion:</u> Age: No Age limit Educational and other qualifications: Yes <u>Deputation:</u> Age: 56 years Educational and other qualifications: Yes
9.	Period of probation	Two years
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by	50% by Direct recruitment failing which by Deputation.

	promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled	50% by promotion failing which by Deputation. <u>Promotion:</u> 50% by Promotion from Senior Technical Officer (Hardware/ Software) with a minimum of 6 years of service in IMU in Level – 8 of 7th CPC subject to availability of vacancy and assessment by the Departmental Promotion Committee, failing which by deputation. <u>Deputation:</u> Persons in analogous post at Level 10 of 7th CPC or Senior Technical Officer (Hardware/ Software) with a minimum of 6 years of service in Level – 8 of 7th CPC or above working in Central/State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government/PSUs/CABs/ Departments / NIC or any Central / State Government organizations conducting examinations (example C-DAC, NTA etc.).
11.	If a Selection Committee / DPC exists, what is the composition	As per clause 13 of HR Manual
12.	Grade from which recruitment by promotion/ deputation/ absorption/ short-term contract/ re-employment is to be made	Senior Technical Officer (Hardware/Software) (Level-8 of 7 th CPC)
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Not Applicable.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF Senior Technical Officer (Hardware/SOFTWARE) [Post Code – NT/33]

1.	Name of the post	Senior Technical Officer (Hardware / Software)
2.	Number of Posts	Three (3)
3.	Classification	Group B
4.	Scale of Pay	Level-8 under 7 th CPC.
5.	Whether Selection Post or non-Selection Post	Selection Post.
6.	Age limit for Direct Recruits	Not Applicable
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<u>Essential:</u> (i) Bachelor's Degree in Engineering/Technology in Computer Science and Information Technology from a recognized university/ Institute. (OR) Master of Computer Applications from a recognized University/Institute. AND

		Minimum 6 years of experience in Level – 6 in the relevant field in a Central /State Government or Universities. <u>Desirable:</u> Experience in programming/ software development /database administration.
8.	Whether Age & Educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of Promotion and Deputation?	<u>Promotion:</u> Age: No Age limit Educational and other qualifications: Yes <u>Deputation:</u> Age: 56 years. Educational and other qualifications: Yes
9.	Period of probation	Not applicable.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled	<u>Promotion:</u> 100% by promotion from Technical Officers (Hardware / Software) with 6 years of service in IMU in Level – 6 of 7 th CPC subject to availability of vacancy and assessment by the Departmental Promotion Committee, failing which by deputation. <u>Deputation:</u> Persons working in analogous post in Level 8 of 7 th CPC or Technical Officers (Hardware / Software) with 6 years of service in Level – 6 of 7 th CPC or its equivalent in Central/State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government/PSUs/CABs.
11.	If a Selection Committee / DPC exists, what is the composition	As per clause 13 of HR Manual
12.	In case of Promotion/ Deputation/Absorption, grades from which Promotion/ Deputation/ Absorption to be made.	Technical Officers (Hardware / Software) (Level – 6 of 7 th CPC)
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Not applicable.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF Technical Officer (Hardware / Software)**[Post Code – NT/34]**

1.	Name of the post	Technical Officer (Hardware / Software)
2.	Number of Posts	Five (5)
3.	Classification	Group B
4.	Scale of Pay	Level-6 under 7 th CPC.
5.	Whether Selection Post or non-Selection Post	Not applicable.
6.	Age limit for Direct Recruits	40 years.

7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<u>Essential:</u> B.E. / B.Tech. in Computer Science / Information Technology with one-year experience. Or BCA / B.Sc in Computer Science with minimum three years' experience in relevant field.
8.	Whether age / education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	<u>Promotion:</u> Not Applicable <u>Deputation:</u> Age: 56 years.
9.	Period of probation	Two years
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled	100% by Direct Recruitment failing which by Deputation. <u>Deputation:</u> Persons holding analogous post in the parent department in Central/State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government/ PSUs/CABs with essential qualifications mentioned at column 07.
11.	If a Selection Committee / DPC exists, what is the composition	As per clause 13 of HR Manual
12.	Grade from which recruitment by promotion/ deputation/ absorption/ short-term contract/ re-employment is to be made	Not applicable.
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Not applicable.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF STAFF CAR DRIVER (ORDINARY GRADE) (OG)
[POST CODE – NT/35]

1.	Name of the post	Staff Car Driver (Ordinary Grade) (OG)
2.	Number of Posts	Three (3)
3.	Classification	Group C
4.	Scale of Pay	Level-3 of the 7th CPC Pay matrix. After 5 years of service as Staff Car Driver (OG) in Pay Level-3 in IMU, the incumbent will move to Pay Level-4, and will be designated as Driver Grade – II. After 5 years of service as Driver Grade – II in Pay Level-4 in IMU, the incumbent will move to Pay Level-5, and will be designated as Driver Grade – I.
5.	Whether Selection Post or non-Selection Post	Not Applicable.
6.	Age limit for Direct Recruits	35 years.

7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<u>Essential:</u> (i) 10th pass from recognized board. [AND] (ii) Possession of a valid driving license of Motor Vehicles (Car/Jeep/Three-Wheeler) and Heavy Motor Vehicles. [AND] (iii) Experience of driving Motor Vehicles for at least 5 years.
8	Whether Age & Educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of Promotion and Deputation?	<u>Promotion:</u> Not Applicable <u>Deputation:</u> Age: 56 years Educational and other qualifications: Yes
9	Period of probation	Two years
10	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled	100% by Direct Recruitment failing which by deputation. <u>Deputation:</u> Persons holding analogous post in the parent department in Central/State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government/ PSUs/CABs with essential qualifications mentioned at column 07.
11	A. If a Selection Committee exists, what is the composition	As per clause 13 of HR Manual
12	Grade from which recruitment by promotion/ deputation/ absorption/ short-term contract/ re-employment is to be made	Not applicable.
13	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Not applicable.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF LEGAL Officer [Post Code – NT/36]

1.	Name of the post	Legal Officer
2.	Number of Posts	One (01)
3.	Classification	Group B
4.	Scale of Pay	Level-8 of the 7th CPC Pay matrix.
5.	Whether Selection Post or non-Selection Post	Not Applicable
6.	Age limit for Direct Recruits	40 years.
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<u>Essential:</u> Degree of Law from a recognized University /Institute of repute with experience of 5 years especially in the required field of legal work, IPR claim submission and monitoring. <u>Desirable:</u> Experience in an Institution of National Importance like IITs/ IISERs/ IISc/ NITs or similar central Govt. Institutions. Working knowledge of computer applications.

8.	Whether age / education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	<u>Promotion:</u> Not Applicable <u>Deputation:</u> Age limit: 56 years. Educational & other Qualifications: Yes.
9.	Period of probation	Two years.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled	100% by Direct Recruitment failing which by Deputation. <u>Deputation:</u> A person holding analogous post on regular basis in Pay level-8 of 7th CPC or 6 years of administrative experience as Assistant Section Officer (Legal) or equivalent in Pay Matrix Level-6 or equivalent post in Central/State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government/ PSUs/ CABs
11.	If a Selection Committee / DPC exists, what is the composition	As per clause 13 of HR Manual
12.	Grade from which recruitment by promotion/ deputation/ absorption/ short-term contract/ re-employment is to be made	NA
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Not applicable.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF Communications Manager**[Post Code – NT/37]**

1.	Name of the post	Communications Manager
2.	Number of Posts	One (1)
3.	Classification	Group A
4.	Scale of Pay	Level-12 of the 7th CPC Pay matrix.
5.	Whether Selection Post or non-Selection Post	Not Applicable.
6.	Age limit for Direct Recruits	50 Years
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<u>Essential:</u> i) A Master's Degree with at least 55% if marks or its equivalent grade of B in the UGC seven-point scale and a degree/Diploma in Public Relations/Journalism/Media Relations or equivalent to relevant qualification ii) 5 years of experience in Public Relations in Educational Institution Central/State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government/PSUs/CABs at the Pay Level of 10, as per 7th CPC or its equivalent. <u>Desirable:</u> Knowledge of Hindi and Tamil.

8.	Whether age / education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	<u>Promotion:</u> Not Applicable <u>Deputation:</u> Age limit: 56 years Educational and other qualifications: No Short Term Contract: Age limit: Yes Educational and other qualifications: Yes
9.	Period of probation	Not Applicable
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled	100% by Deputation/ Short Term Contract <u>Deputation:</u> Officers from Indian Information Service with 5 years of service at Pay Level-10 of 7th CPC or above.
11.	If a Selection Committee / DPC exists, what is the composition	As per clause 13 of HR Manual
12.	Grade from which recruitment by promotion/ deputation/ absorption/ short-term contract/ re-employment is to be made	Not applicable.
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Not applicable.

The Ordinances mentioned in the Annexure to Part-III: Recruitment & Promotion Rules are hereby repealed.

ANNEXURE TO PART-III: RECRUITMENT & PROMOTION RULES

List of Ordinances repealed

S. No.	Name of the Post	Ordinance Prescribing Recruitment Rules
1	Deputy Librarian	Ordinance 04 of 2017
2	Deputy Finance Officer	Ordinance 02 of 2014
3	Executive Engineer (Civil)	Ordinance 29 of 2015
4	Deputy Registrar	Ordinance 36 of 2015
5	Assistant Librarian	Ordinance 79 of 2015
6	Assistant Registrar	Ordinance 37 of 2015
7	Assistant Registrar (Finance)	Ordinance 38 of 2015
8	Assistant Engineer (Civil/Electrical)	Ordinance 30 of 2015
9	Communication Manager (PRO)	Sl. No 28, Chapter 9)(Gazette 76 dated 12.05.2009)

10	System Manager	Ordinance 03 of 2020
11	Medical Officer	(Sl.No.52, Chapter 9)(Gazette 76 dated 12.05.2009)
12	Section Officer	Ordinance 05 of 2020
13	Section Officer (Finance)	Ordinance 04 of 2020
14	Private Secretary	Ordinance 10 of 2015
15	Personal Assistant	Ordinance 11 of 2015
16	Senior Assistant	Ordinance 08 of 2015
17	Senior Assistant (Finance)	Ordinance 09 of 2015
18	Senior Tech/Programme Asst.	(Sl.No.34 & 35, Chapter 9)(Gazette 76 dated 12.05.2009)
19	Library Assistant	Ordinance 33 of 2015
20	Staff Nurse	(Sl.No.53, Chapter 9)(Gazette 76 dated 12.05.2009)
21	Assistant	Ordinance 39 of 2015
22	Assistant (Finance)	Ordinance 40 of 2015
23	Driver	(Sl.No.66, Chapter 9)(Gazette 76 dated 12.05.2009)
24	Hostel warden	Ordinance 32 of 2015
25	Senior Technician for Seamanship Laboratory	Ordinance 43 of 2015
26	Senior Technician for Electrical and Electronics Laboratory	Ordinance 42 of 2015
27	Senior Technician for Navigation Laboratory	Ordinance 44 of 2015
28	Senior Technician for Naval Architecture Laboratory	Ordinance 45 of 2015
29	Senior Technician for Hydraulics and Pneumatics Laboratory	Ordinance 46 of 2015
30	Senior Technician for Applied Mechanical Laboratory	Ordinance 47 of 2015
31	Senior Technician for Instrumentation, Automation and Control Engineering Laboratory	Ordinance 48 of 2015
32	Senior Technician for the post of Thermodynamics and Boiler Chemistry Laboratory	Ordinance 49 of 2015
33	Senior Technician for the post of Nautical Physics Laboratory	Ordinance 50 of 2015
34	Junior Laboratory Assistant (Chemistry)	Ordinance 51 of 2015
35	Junior Laboratory Assistant (Physics)	Ordinance 52 of 2015
36	Senior Technician for Fitting and Basic Workshop	Ordinance 53 of 2015
37	Senior Technician for Marine Workshop (Diesel/Power & Maintenance)	Ordinance 54 of 2015
38	Senior Technician for Machine Shop	Ordinance 55 of 2015

39	Senior Technician for Welding and Gas Cutting Workshop	Ordinance 56 of 2015
40	Senior Technician for Boiler Shops	Ordinance 57 of 2015
41	Fire Fighting Instructor	Ordinance 58 of 2015
42	Fire Fighting Helper	Ordinance 59 of 2015
43	'Proficiency in Survival Craft and Rescue Boat other than Fast Rescue Boats' (PSCRB) Training Officer	Ordinance 60 of 2015
44	Proficiency in Survival Craft and Rescue Boat other than Fast Rescue Boats' (PSCRB) Laboratory Instructor	Ordinance 61 of 2015
45	Recruitment Rules for the post of Stenotypist	Ordinance 41 of 2015
46	Physical Training-cum-Swimming Instructor	Ordinance 31 of 2015

Note: In addition to the above, the Recruitment Rules for Non-Teaching Staff mentioned in Chapter 9 of the Gazette 76 of 2009 are hereby repealed.

CHAPTER - II
RECRUITMENT
Standard Operating Procedure (SOP)

Standard Operating Procedure

Introduction:

The purpose of this Standard Operating procedure (SOP) is to establish a step-by-step guideline for the selection of Faculty/staff to India Maritime University (IMU). The procedures set out in this SOP is to followed in the spirit of the letter.

Scope:

This SOP is application only for filling regular positions of Non-Teaching positions of IMU.

Stages in the Recruitment Process:

1. Identification of Vacancies
2. Identification of Mode/Method of Recruitment as per Recruitment Rules
3. Identification of Reservation Points as per Reservation Roster
4. Approval of the Competent Authority to fill the post on the method and Reservation points identified at 2 & 3.
5. Design and Development of application in e-Samarth Portal / in case of third party service provide, providing BRS (Business Requirement Specification) for Online Recruitment portal.
6. Testing the Applications
7. Release of Advertisement in Newspapers & Employment News
8. Publishing the Advertisement along with Recruitment Rules and general Instruction to the candidates on IMU Website.
9. Question Paper Management, if applicable
10. Received of application (A Minimum of 21 days and a Maximum of 60 days or further extension, if required.)
11. Release of Call letters to the candidates of Written Test, if applicable.
12. Conduct of Written Test
13. Question Paper Challenge
14. Processing Raw Result of Written Test
15. Processing Final Result of Written Test
16. Shortlisting of the candidates for further process by Expert Scrutiny Committee/ scrutiny Committee as the case may be for interview
17. Release of Call letters to the shortlisted candidates for Interview
18. Conduct of Interview
19. Placing the Selection Committee minutes/ Final Result of Written Test before the Appointing Authority for Approval.
20. Release of Result on the Website upon approval of the Appointing Authority.
21. Issue of Order of Appointment to the selection candidates.
22. Joining formalities
23. Updated of Reservation Roster
24. Induction of newly recruited employees.

Recruitment SOP is a dynamic document. This may be updated with the approval of the Competent Authority based on the feedback received from the officer's concerned.

A. GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF RECRUITMENT:

- i) For Candidates who are in service: They shall submit the application through proper channel along with 'Vigilance Clearance Certificate' issued by the respective competent authority. They may send an advance copy of application. In case their application is not forwarded due to whatever reasons till the time of written test or interview, he/she, should produce a 'No Objection Certificate' along with the 'Vigilance Clearance Certificate' in a sealed cover from the employer at the time of written test or interview.
- ii) The application for appointment on deputation shall be forwarded by the employer along with the Annual Performance Appraisal Reports (APARs)/ACR for the preceding five years and Vigilance Clearance Certificate, duly certified by the Competent Authority.
- iii) It shall be the responsibility of the candidate to ascertain his/her own eligibility for the post which he/she is applying for in accordance with the prescribed qualifications, experience, etc.

The candidate may submit the application duly filled-in, along with the desired information and documents as per the advertisement.

Suppression of information, supply of fake documents, providing false or misleading information or canvassing in any manner on the part of the candidates shall lead to disqualification.

In case, it is come to known at any point of time in future, even after appointment, that the candidate was not eligible, the candidate is liable for termination forthwith. This will be mentioned in the letter of offer and appointment clearly.

- iv) Acceptance of documents submitted by an applicant shall be subject to verification by the competent authority. If any document is found to be false/fake/incorrect, the document shall be summarily rejected.
- v) Documents are subject to verification even after appointment. If any document is found to be false/fake/incorrect, action may be initiated against the candidate which shall lead to cancellation of his appointment, etc.
- vi) The appointment of a candidate shall be subject to verification of character and antecedents by the competent authority. Until the verification of character and antecedents' reports are complete, the appointment shall be treated as provisional. In case the report/s with regard to his conduct, character, antecedents, etc., is found to be unsatisfactory, the appointment shall be cancelled/terminated forthwith.
- vii) Canvassing in any form on behalf of any candidate shall be treated as a disqualification which shall lead to cancellation of candidature.
- viii) Prior to his joining, the selected candidate shall produce a medical fitness certificate:
Group B and C Posts: The certificate should be signed by a civil surgeon or the Medical Superintendent/Director.
Group A Posts: The certificate should be issued by the Medical Board of a Government Hospital or Government CGHS empaneled Hospital.
- ix) The terms and conditions of appointment will be communicated to the selected candidates in the form of 'Offer of Appointment'. If the candidate does not accept the terms and conditions mentioned in the offer of appointment within the stipulated time, the offer shall be treated as withdrawn.

- x) The selected candidates shall be required to perform duties as per the Rules of the University, as amended from time to time. The University shall be free to assign any duty as per the exigency of the situation at any time even during non-working hours/holidays, which the employee will have to perform.
- xi) At the time of recruitment, a 'Written Contract' shall be executed between the University and the employee concerned and a copy of the same shall be kept with the Registrar. Such service agreements will be drawn on Non-Judicial stamp paper as applicable.
- xii) The candidate shall bring all original certificates relating to his age, qualifications, experience, etc., at the time of tests or interview. In case the candidate fails to submit the original documents for verification of the certified photocopies (enclosures to his application), he may not be allowed to appear at the tests/interview and his candidature may be cancelled.
- xiii) The details of the vacancies shall be indicated in the advertisement. The University may also include the details with regard to anticipated vacancies.
- xiv) The University reserves the right to fill or not to fill up the posts advertised for any reasons whatsoever.
- xv) The University reserves the right to withdraw an advertisement, either partly or wholly, at any time without assigning any reason.
- xvi) If the University withdraws any advertisement for any post, the application fee collected from the candidates shall be refunded within a reasonable period.
- xvii) In case of any ambiguity pertaining to the eligibility criteria for any post, the decision of the Executive Council shall be final.

B. Applicability of Absorption:

Candidates recruited on Deputation will be considered for absorption when the following criteria are met:

- (i) The 'Absorption Clause' is mentioned in the advertisement calling for recruitment.
- (ii) The post advertised for is against a vacant post available under Direct Recruitment.
- (iii) The employee has satisfactorily completed three years of service in the University on Deputation.
- (iv) Acceptance for absorption from the employee.
- (v) Concurrence of the parent organization for absorption.

C. Syllabus, Qualifying marks in Written Test & Skill Test for Direct Recruitment:

1. For posts without experience, the syllabus shall be as under:

General English	– 25 Marks
Numeral Aptitude	– 25 Marks
Logical Reasoning	– 25 Marks
General Knowledge	– 25 Marks
Computer Awareness	– 20 Marks
2. For Posts with experience, the syllabus shall be as under:

General English	– 25 Marks
-----------------	------------

Numerical Aptitude & Logical Reasoning	– 25 Marks
Computer Awareness	– 15 Marks
General Knowledge	– 15 Marks
Domain Knowledge in the respective field	– 40 Marks

Notes:

- i. Tests are to be conducted for all recruitments as applicable
- ii. Written Tests: Duration for any mode will be for two hours with relaxation for PWBD candidates as per extant rules.
- iii. Written Tests: Computer Based Test/ Pen and Paper/ Other mode
- iv. Tests: Preferably MCQ based.
- v. All tests will generally be in English.
- vi. Skill Tests: Duration and method shall be decided by the Competent Authority.

3. Qualifying marks for Written Test

For SC/ST Candidates	: 45% of the Maximum marks
For Others	: 50% of the Maximum marks

Candidates who are qualified in the Written Test alone shall be called for Skill Test/ Interview as the case may be

4. Qualifying marks for Skill Test

The Qualifying marks in the Skill Test Shall be as under for further selection process:

For SC/ST Candidates	: 45% of the Maximum marks
For Others	: 50% of the Maximum marks

5. Shortlisting for Interview

Direct Recruitment: 1:10 candidates in the order of Merit as per Written Test for each advertised post (category wise) will be called for Interview

Promotion/Deputation: Vice Chancellor is authorized to decide whether to conduct Written Tests, use other means, or directly call for interview, depending on the number of applications received.

D. Reserve Panel/Waitlist

- i. Reserve Panel/waitlist in the ratio of 1:3 for each advertised Post (Category wise) for Vertical Reservation alone shall be maintained subject to candidates qualifying in Written Test and Skill Test/Interview.
- ii. Reserve Panel/ Waitlist shall be operated in the event of occurrence of a vacancy caused by non-joining of a candidate within the stipulated time allowed for joining or where a candidate joins but he resigns or dies within a period of one year from the date of approval of the Reserve Panel/Waitlist.
- iii. No Reserve Panel/Waitlist will be maintained for Horizontal Reservation.
- iv. In case, vacancy occurs under Horizontal Reservation due to non-joining of a candidate within the stipulated time allowed for joining, waitlist will be operated from the Vertical Reservation of the respective reserve panel.

CHAPTER - III

MENTORING POLICY

Mentoring Policy Guidelines for Teaching and Non-Teaching Staff of IMU

As an initiative under NAVIC HR, Indian Maritime University (IMU) has brought out this **mentoring policy** to establish a structured framework for mentoring that enhances the professional development of both teaching and non-teaching staff. This policy aims to foster a culture of collaboration, support, and continuous improvement, ultimately leading to enhanced performance and job satisfaction.

Scope

This policy applies to all teaching and non-teaching staff of IMU, including:

- i. New hires
- ii. Existing employees seeking professional development
- iii. Staff transitioning to new roles or responsibilities

Objectives

- i. To provide guidance and support to new staff members to facilitate their integration into the university.
- ii. To Promote the development of teaching skills, administrative competencies, and leadership qualities.
- iii. To Encourage collaboration and knowledge sharing among staff members.
- iv. To Increase employee satisfaction and retention through supportive relationships.

Mentorship Structure

A. Mentor Selection

- i. Mentors should possess relevant experience, expertise, and a willingness to support others. They should demonstrate effective communication skills, empathy, and a commitment to professional development.
- ii. Interested faculty/staff can apply to become mentors through a formal application process.
- iii. Mentors will participate in an orientation programme that covers mentoring best practices, communication skills, and goal-setting strategies.

B. Mentee Selection

- i. All new faculty/staff.
- ii. Existing faculty/staff, if required.
- iii. A pairing (mentor + mentee) process will consider the specific needs, goals, and preferences of the mentee, as well as the expertise of the mentor. The pairing choices shall be non-parochial.

C. Mentee Orientation

- i. New faculty/staff shall complete mandatory induction training program that familiarizes them with IMU's objectives, vision, mission, culture, policies, and expectations.
- ii. Mentees (new/existing) will be encouraged to set specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound (SMART) goals for their mentoring relationship.

Mentoring Process

- i. Initially, mentors and mentees will meet to discuss and establish clear goals, expectations, and a communication plan and should focus on building rapport and trust between the mentor and mentee.
- ii. Scheduled meetings shall occur at least once a week, with flexibility for additional meetings as needed.

- iii. Meetings should cover progress towards goals, challenges faced, and feedback on performance.
- iv. Both mentors and mentees shall share insights and suggestions for improvement, this suggestion can be provided informally during regular interactions, such as phone calls or casual meetings.

Accountability and Evaluation

The mentoring program will be periodically assessed through online evaluations, surveys and feedback from participants to measure its effectiveness and identify areas for improvement.

Workshops and Trainings

IMU, based on the feedback of mentors and the Reporting Officers shall nominate the faculty/staff for workshops and training sessions, to address specific skill gaps and promote professional development in areas such as teaching methodologies, administrative skills, and leadership. iGOT [Integrated Government Online Training], the e-learning platform devised by the DoPT, under Mission Karmayogi, shall also be utilised for the purpose.

Recognition

Mentors and mentees who demonstrate significant progress and contributions will be recognized through certificates, or public acknowledgment during university events.

Confidentiality

- i. All discussions between mentors and mentees will be treated with confidentiality to foster a trusting and respectful relationship.
- ii. Mentors and mentees should establish boundaries regarding the sharing of personal information.

This policy aims to create a supportive environment that fosters professional growth, employee satisfaction, and enhances the quality of education and administration thereby improving overall performance of IMU.

Non-enforceability clause

The participation in the mentorship program is aimed to provide guidance and support to enhance performance and job satisfaction only, and any such guidance and support provided in the course of mentorship programme does not constitute a contractual obligation on the part of the university and the mentoring staff.

The guidance shall not be considered as part of the formal employment contract of any individual involved or shall not carry any legal or binding obligations between IMU and the individuals involved.

K. SARAVANAN, Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./672/2025-26]